

2022

जिला आपदा प्रबन्धन योजना मधेपुरा



बिहार सरकार



बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

विषय सूची

तालिका सूची
मानचित्र सूची
शब्द संक्षिप्त
शब्दावली
सारांश

परिचय(Introduction)

- 1.1 उद्देश्य
 - 1.2 योजना का विस्तार
 - 1.3 योजना विकसित करने की कार्य प्रणाली
 - 1.4 जिला आपदा प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन : प्रमुख हितभागी एवं उनकी जिम्मेदारियाँ
 - 1.5 योजना पुनरावलोकन एवं अपडेट करने की अवधि
-

1. जिले का परिचय(Introduction of District)

- 2.1 भौगोलिक परिचय
 - 2.2 जलवायुविक विशेषताएँ
 - 2.3 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
 - 2.4 जनसंख्यात्मक परिचय
 - 2.5 प्रशासनिक ढांचा
 - 2.6 प्राकृतिक संसाधन
-

2. खतरा, जोखिम, भेद्यता एवं क्षमता विश्लेषण (Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Assessment (HRVCA))

- 3.1 आपदा की प्रकृति एवं स्वरूप
 - 3.2 भेद्यता एवं जोखिम विश्लेषण
 - 3.3 क्षमता आंकलन
-

3. संस्थागत व्यवस्था(Institutional Arrangements)

- 4.1 जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
 - 4.2 पंचायती राज संस्थाएँ
 - 4.3 सामुदायिक संस्थाएँ
 - 4.4 जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर
 - 4.5 समन्वय तंत्र
-

4. रोकथाम, शमन एवं पूर्व तैयारी हेतु उपाय(Measures for Prevention, Mitigation and Preparedness)

- 5.1 विभागों/एजेन्सियों के मुख्य कार्य
 - 5.2 सभी विभागों/एजेन्सियों के लिए मुख्य कार्य (समान रूप से)
 - 5.3 आपदावार विभागों/एजेन्सियों के कार्य
-

5. क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण(Capacity Building and Trainings)

- 6.1 संस्थागत क्षमता वर्धन
 - 6.2 जागरूकता
-

6. रिस्पान्स योजना(Response Plan)

7. पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना एवं पुनर्प्राप्ति (Reconstruction, Rehabilitation and Recovery)

- 8.1 पुनर्निर्माण
 - 8.2 पुनर्प्राप्ति
-

8. बजट एवं वित्तीय संसाधन(Budget and Financial Resources)

- 9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहायक योजनाएँ/कार्यक्रम, जुड़ाव का स्वरूप व कार्यदायी संस्थाएँ
 - 9.2 केन्द्रीय सरकार की गैर-योजना कार्यक्रम
 - 9.3 अन्य विकल्प
-

9. निगरानी, मूल्यांकन एवं जिला आपदा प्रबन्धन योजना का अद्यतन(Monitoring, Evaluation and Updation of District Disaster Management Plan)

अनुलग्नक सूची

अनुलग्नक 1	:	आपदा प्रबन्धन के विषय में विभिन्न पदाधिकारियों की भूमिका एवं जवाबदेही
अनुलग्नक 2	:	औसत वार्षिक, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान सम्बन्धी आँकड़े (1971–2022)
अनुलग्नक 3	:	जिला मधेपुरा में छत एवं दीवार में प्रयोग हुई सामग्री के आधार पर क्षति की संभावना
अनुलग्नक 4	:	10–25 किमी० तटबंध टूटने से संभाव्य प्रभावित होने वाले गाँवों की सूची
अनुलग्नक 5	:	विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित संसाधन
अनुलग्नक 6	:	संभावित बाढ़ व सुखाड़ हेतु मानव व पशु शरणस्थली
अनुलग्नक 7	:	स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित सूचनाएँ
अनुलग्नक 8	:	पशु चिकित्सा से सम्बन्धित विवरण
अनुलग्नक 9	:	अग्निशमन विभाग से सम्बन्धित सूचनाएँ
अनुलग्नक 10	:	आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अनुसार जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कार्य
अनुलग्नक 11	:	आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर प्रशिक्षित मुखिया एवं सरपंचों की सूची
अनुलग्नक 12	:	जिले की मुख्य क्रियाशील स्वैच्छिक संस्थाओं की सूची
अनुलग्नक 13	:	विभिन्न आपदाओं में की जाने वाली कार्यवाही के फ्लो चार्ट
अनुलग्नक 14	:	विभिन्न आपदाओं की स्थिति में रोक-थाम के उपाय
अनुलग्नक 15	:	अस्पताल सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश
अनुलग्नक 16	:	स्कूल सुरक्षा से सम्बन्धित दिशा-निर्देश
अनुलग्नक 17	:	सड़क यातायात सुरक्षा से सम्बन्धित दिशा-निर्देश
अनुलग्नक 18	:	प्रशिक्षित प्रशासनिक अधिकारियों की सूची
संलग्नक 19	:	बिहार आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के सन्दर्भ में जारी किये गये दिशा-निर्देश
संलग्नक 20	:	आपदाओं से निपटने हेतु विभागवार चेकलिस्ट

तालिका सूची

तालिका 1	:	जिला में विगत 13 वर्षों का वार्षिक वर्षा का आंकड़ा (2008–21)
तालिका 2	:	प्रखण्डवार जनसंख्या विवरण
तालिका 3	:	मधेपुरा जिला से सम्बन्धित सामान्य सूचनाएँ
तालिका 4	:	जिले में पशुधन एवं उनकी संख्या हजार में
तालिका 5	:	जिले में विभिन्न प्रकार की आपदाओं की स्थिति
तालिका 6	:	जिले में विभिन्न प्रकार की आपदाओं का मौसमी चित्रण
तालिका 7	:	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पंचायत एवं ग्रामों की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन
तालिका 8	:	नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित वार्डों की संख्या
तालिका 9	:	प्रखण्डवार बाढ़ आपदा की आवृत्ति
तालिका 10	:	जिला में बाढ़ से होने वाला नुकसान (1991–2021)
तालिका 11	:	2021–22 के अन्तर्गत जिला में अगलगी की घटनाएँ
तालिका 12	:	वर्ष 2015 में जिला में आंधी-तूफान से हुई क्षति का ब्योरा
तालिका 13	:	विगत पांच वर्षों में जिला में विभिन्न आपदाओं के कारण हुई मानव क्षति का ब्योरा
तालिका 14	:	बहुआपदा भेद्यता एवं जोखिम वाले क्षेत्र
तालिका 15	:	संभावित बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या
तालिका 16	:	जिला में उपलब्ध संसाधन
तालिका 17	:	अंचलवार मानव शरण स्थली हेतु ऊँचे स्थल
तालिका 18	:	अंचलवार पशु शरण स्थली हेतु ऊँचे स्थल
तालिका 19	:	मधेपुरा जिला में उपलब्ध स्वास्थ्य केन्द्र
तालिका 20	:	पशु चिकित्सा से सम्बन्धित विवरण
तालिका 21	:	जिला में पुलिस थाना
तालिका 22	:	इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर हेतु आवश्यक संसाधन
तालिका 23	:	विभागवार अपेक्षित प्रशिक्षण विषय एवं लाभार्थियों की सूची
तालिका 24	:	आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहायक केन्द्र व राज्य की योजनाएँ एवं जुड़ाव का स्वरूप

मानचित्र की सूची

मानचित्र 1	:	जिले का धरातलीय स्वरूप
मानचित्र 2	:	जिले में कोसी नदी का मार्ग परिवर्तन एवं उसकी छाड़न धाराएँ
मानचित्र 3	:	जिले में अधिकतम तापमान (1971–2022)
मानचित्र 4	:	जिले में न्यूनतम तापमान (1971–2022)
मानचित्र 5	:	जिले में वार्षिक वर्षा की स्थिति (2004–21)
मानचित्र 6	:	मधेपुरा जिला प्रशासनिक क्षेत्र
मानचित्र 7	:	जिले में बाढ़ प्रभावित प्रखण्ड
मानचित्र 9	:	जिले में भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील प्रखण्ड

शब्द संक्षिप्त

ए0एन0एम0	:	आक्विजलरी नर्स मिडवाइफ
बी0एम0टी0पी0सी0	:	बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी प्रोमोशन कौंसिल
बी0पी0एम0यू0	:	ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजमेण्ट यूनिट
बी0एस0एन0एल0	:	भारत संचार निगम लिमिटेड
सी0बी0ओ0	:	कम्यूनिटी बेस्ड आर्गनाइजेशन
सी0डी0आर0टी0	:	कम्यूनिटी डिजास्टर रिस्पान्स टीम
सी0आई0एस0एफ0	:	सेण्ट्रल इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स
सी0ओ0	:	सर्किल आफिसर
सी0आर0पी0	:	कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन
सी0एस0ओ0	:	सिविल सोसायटी आर्गनाइजेशन
सी0एच0सी0	:	कम्यूनिटी हेल्थ सेण्टर
सी0एस0आर0	:	कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी
डी0ए0एच0ओ0	:	डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बैण्डरी ऑफिसर
डी0डी0एम0ए0	:	डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेण्ट ऑथोरिटी
डी0डी0एम0सी0	:	डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेण्ट सेण्टर
डी0एम0टी0	:	डिजास्टर मैनेजमेण्ट टीम
डी0पी0एम0यू0	:	डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेण्ट यूनिट
डी0आर0आर0	:	डिजास्टर रिस्क रिडक्शन
डी0टी0ओ0	:	डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट ऑफिस
ई0ओसी	:	इमरजेन्सी ऑपरेशन सेण्टर
ई0एस0एफ	:	इमरजेन्सी सपोर्ट फंक्शन
एफ0सी0आई	:	फूड कॉरपोरेशन आफ इण्डिया
एफ0आई0आर0	:	फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट
एच0बी0	:	हेल्थ बिजीटर
एच0आर0वी0सी0ए0	:	हजर्ड, रिस्क, वलनरेबिलिटी एण्ड कैपेसिटी एसेसमेण्ट
आई0सी0डी0एस0	:	इण्टीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेण्ट सेण्टर
आई0ई0सी0	:	इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन
आई0एम0ए0	:	इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन
आई0आर0एस0	:	इमरजेन्सी रिस्पॉन्स सिस्टम
आई0टी0	:	इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी
आई0वी0	:	इण्ट्रावेनस
जे0ई0	:	जूनियर इंजीनियर
के0वी0के0	:	कृषि विज्ञान केन्द्र
एम0ओ0आई0सी0	:	मेडिकल आफिसर इंचार्ज

एम0आई0एस0	:	मैनेजमेण्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम
एम0आई0एस0पी0	:	मिनिमम इनीशियल सर्विस पैकेज
एन0ए0पी0सी0	:	नेशनल एसोसियेशन आफ प्लानिंग कौंसिल
एन0डी0एम0ए0	:	नेशनल डिजास्टर मैनेजमेण्ट ऑथोरिटी
एन0डी0आर0एफ0	:	नेशनल डिजास्टर रिस्पान्स फोर्स
एन0जी0ओ0	:	नॉन गवर्नमेण्ट आर्गनाइजेशन
एन0एच0	:	नेशनल हाइवे
एन0एस0एस0	:	नेशनल सर्विस स्कीम
एन0सी0सी0	:	नेशनल कैडेट कोर
एन0वाई0के0	:	नेहरू युवा केन्द्र
ओ0आर0एस0	:	ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन
पी0डी0एस0	:	पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम
पी0एच0सी0	:	प्राइमरी हेल्थ सेण्टर
पी0एच0ई0डी0	:	पब्लिक हेल्थ एण्ड इन्जीनियरिंग डिपार्टमेण्ट
पी0पी0पी0	:	पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप
पी0आर0ए	:	पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी
पी0डब्ल्यू0डी0	:	पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेण्ट
क्यू0आर0टी0	:	क्विक रिस्पॉन्स टीम
आर0ए0एफ0	:	रैपिड एक्शन फोर्स
आर0टी0ए0	:	रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी
आर0डब्ल्यू0एस0एस0	:	रूरल वाटर सप्लाई एण्ड सैनितेशन
एस0डी0एम0ए0	:	स्टेट डिजास्टर मैनेजमेण्ट ऑथोरिटी
एस0डी0ओ0	:	सब डिवीजनल आफिसर
एस0डी0आर0एन0	:	स्टेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क
एस0डी0आर0एफ0	:	स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स
एस0पी0 सिग्नल	:	सिग्नल ट्रांसफर प्वाइण्ट
एस0आर0टी0एम0	:	शटल रडार टोपोग्राफी मिशन
एस0एस0सी0	:	स्टाफ सेलेक्शन कमीशन
एस0टी0ओ0	:	स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑफिस
यू0एन0	:	यूनाइटेड नेशन्स
यू0एन0डी0पी0	:	यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेण्ट प्रोग्राम
यूनीसेफ	:	यूनाइटेड नेशन्स इण्टरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेन्सी फण्ड
यूआरएस	:	यूनाइटेड रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी
वी0एच0एफ0	:	वेरी हाई फ्रिक्वेन्सी

शब्दावली

Acceptable Risk	:	स्वीकार्य जोखिम
Adaptation	:	अनुकूलन
Biological Hazard	:	जैविक संकट
Building Code	:	भवन निर्माण संहिता
Capacity	:	धारिता
Capacity Development	:	धारिता विकास
Climate Change	:	जलवायु परिवर्तन
Contingency planning	:	आकस्मिकता नियोजन
Coping Capacity	:	शिखर क्षमता
Corrective disaster risk management	:	सुधारात्मक आपदा जोखिम प्रबन्धन
Critical facilities	:	क्रान्तिक सुविधाएँ
Disaster	:	आपदा
Disaster Risk	:	आपदा जोखिम
Disaster Risk Management	:	आपदा जोखिम प्रबन्धन
Disaster Risk Reduction	:	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
Disaster Risk Reduction Plan	:	आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना
Early Warning System	:	पूर्व चेतावनी तंत्र
Ecosystem Services	:	पारिस्थितिकी सेवाएँ
Emergency management	:	आपातकालीन प्रबन्धन
Emergency services	:	आपातकालीन सेवाएं
Environmental degradation	:	पर्यावरण अवनयन
Environmental impact assessment	:	पर्यावरण पर प्रभाव आकलन
Exposure	:	प्रभाविता
Extensive risk	:	विस्तृत जोखिम
Forecast	:	पूर्वानुमान
Geological hazard	:	भौगर्भिक आपदा
Greenhouse gases	:	हरित गृह गैसों
Hazard	:	संकट
Hydrometeorological hazard	:	जलीय मौसमी संकट
Intensive risk	:	गहन जोखिम
Land-use planning	:	भूमि उपयोग नियोजन
Mitigation	:	न्यूनीकरण/अल्पीकरण
National platform for disaster risk reduction	:	आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच

Natural hazard	:	प्राकृतिक संकट
Preparedness	:	तैयारी
Prevention	:	निवारण
Prospective disaster risk management	:	संभावित आपदा जोखिम प्रबन्धन
Public awareness	:	जन चेतना
Recovery	:	पुनर्प्राप्ति
Residual risk	:	अवशेष जोखिम
Resilience	:	लोचकता (रिजीलियेन्स) / लचीलापन
Response	:	अनुक्रिया
Retrofitting	:	सुदृढीकरण
Risk	:	जोखिम
Risk assessment	:	जोखिम आँकलन / जोखिम मूल्यांकन
Risk management	:	जोखिम प्रबन्धन
Risk transfer	:	जोखिम हस्तान्तरण
Socio-natural hazard	:	सामाजिक-प्राकृतिक संकट
Structural and non-structural measures	:	संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपाय
Sustainable development	:	संदृष्ट विकास / सतत विकास
Technology hazard	:	तकनीकी आपदा
Vulnerability	:	घातकता या भेद्यता

सारांश

80 के दशक के बाद विभिन्न कारणों से जहां प्राकृतिक आपदाओं – जैसे बाढ़, सुखाड, भूकम्प आदि आपदाओं का स्वरूप परिवर्तित हुआ है, तो वहीं विकास की बढ़ती रफ्तार के कारण कई मानवजनित आपदाओं जैसे – सड़क दुर्घटना, विद्युत से होने वाली दुर्घटनाओं आदि में वृद्धि हुई है। आपदाओं ने नये-नये क्षेत्रों में अपने पांव पसारना प्रारम्भ कर दिया है और आपदाओं की दृष्टि से सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र भी अब आपदाओं की चपेट में आते जा रहे हैं। नयी-नयी आपदाओं से पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, जिससे न केवल मनुष्य वरन् सभी जीव जगत गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन आपदाओं से निपटने हेतु मिल-जुल कर व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की दिशा में आपदा प्रबन्धन योजना बनाने की प्रासंगिकता बढ़ जाती है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना एवं राज्य आपदा प्रबन्धन योजना की तर्ज पर जिले में आपदाओं से निपटने हेतु जिले स्तर पर भी जिला आपदा प्रबन्धन योजना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। वर्ष 2005 में, भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम (2005) की धारा 25 की उपधारा (1) में दिये गये निर्देश के अनुसार जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। इसके अलावा अधिनियम की धारा 31 में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सभी तरह की आपदाओं से निपटने हेतु संबंधित विभिन्न विभागों के साथ समन्वयन स्थापित करते हुए गतिविधियां संचालित करने की दृष्टि से जिला आपदा प्रबन्धन योजना का निर्माण किया जायेगा।

इस योजना के माध्यम से न सिर्फ रोक-थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी के उपायों पर विस्तृत समझ विकसित की जा सकती है, वरन् जिले के अन्दर विभिन्न आपदाओं की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों/संवेदनशील संवर्गों एवं समुदायों की पहचान की जा सकेगी। इसके साथ ही अलग-अलग आपदाओं के लिए अलग-अलग गतिविधियों की पहचान भी की जा सकेगी।

मधेपुरा जिले की आपदा प्रबन्धन योजना को तैयार करते समय विभिन्न प्रकार की आपात स्थिति से निपटने हेतु सम्बन्धित सभी विभागों के लिए

रोक-थाम, पूर्व तैयारी, शमन, रिस्पांस, पुनर्स्थापन आदि गतिविधियां निर्धारित करते समय विभाग की विभागीय कार्ययोजना को भी ध्यान में रखा गया।

विभागों की विभागीय कार्य योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश किया जाना आपदा से निपटने हेतु तात्कालिक तौर पर किया गया उपाय है।

गौरतलब है कि विभागीय कार्ययोजना विकासीय मुद्दों के ऊपर बनते हैं और किसी भी प्रकार की आपदा से इन विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में विभागीय कार्ययोजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश करने से स्थाई विकास की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। विभागीय कार्ययोजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के पहलुओं को शामिल करने से विभाग आपदा जोखिम न्यूनीकरण जैसे संवेदनशील विषय से परिचित हो सकेगा और गतिविधियों को ढोने की बजाय उन्हें रूचि के साथ क्रियान्वित करेगा।

जिले की आपदा प्रबन्धन योजना का मुख्य लक्ष्य विभिन्न आपदाओं के प्रभावों को कम से कम करते हुए, सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों तथा मानव एवं पशुधन के नुकसान में कमी करना है। आपात काल में अव्यवस्था की स्थिति से बचने हेतु विभिन्न विभागों का आपस में समन्वयन तथा एक-दूसरे के साथ सहभागिता पर समझ विकसित करना भी इस दस्तावेज का उद्देश्य है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिला, अनुमण्डल व प्रखण्ड स्तर पर विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ वार्ता की गयी। साथ ही विभाग के पास मौजूद संसाधनों व क्षमताओं के साथ-साथ विभाग की कमियों को भी जानने का प्रयास किया गया।

इस दस्तावेज को तैयार करने में आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उपधारा (1) व (2) में वर्णित उपबंधों का सहारा लिया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत दिये गये दिशा-निर्देश, बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा तैयार बिहार डी0आर0आर0 रोडमैप, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न आपदाओं के लिए जारी किये गये एस0ओ0पी आदि दस्तावेजों का भी सहारा लिया गया।

आपदा की दृष्टि से बिहार अतिसंवेदनशील राज्य है और आपदा से बचाव के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा नीतिगत स्तर पर कई कदम उठाये गये हैं। जिसके अन्तर्गत 2015 में आपदा प्रबन्धन विभाग के तत्वाधान में आपदा के दृष्टिकोण से विस्तृत विचारमंथन कर बिहार डी0आर0आर0रोडमैप का निर्माण किया गया। इस दस्तावेज का निर्माण SFDRR के अन्तर्गत बताये गये लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया गया, जिसमें राज्य से लेकर ग्राम पंचायत तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को विभागवार बताया गया है। विभागवार गतिविधियों का निर्धारण करने में पांच मुख्य तत्वों – सुरक्षित (रिजिलियेण्ट) गांव, सुरक्षित आजीविका, सुरक्षित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों, सुरक्षित आधारभूत सेवाओं तथा सुरक्षित शहरों को ध्यान में रखा गया है। मधेपुरा जिले की आपदा प्रबन्धन योजना बनाते समय बिहार डी0आर0आर0 रोडमैप के अन्तर्गत दिये गये विभागीय प्रावधानों को भी समाहित किया गया है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना

मधेपुरा जिले की आपदा प्रबन्धन योजना को कुल 10 अध्यायों में विभक्त किया गया है। विषयवार प्रत्येक अध्याय के अन्तर्गत निहित विषय तत्व निम्नलिखित हैं—

जिला आपदा प्रबन्धन योजना का पहला अध्याय परिचय का है। इस अध्याय में जिला आपदा प्रबन्धन योजना का परिचय देने के साथ ही योजना निर्माण के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय में योजना बनाने की रणनीति एवं प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है साथ ही जिला आपदा प्रबन्धन योजना की अनिवार्यता एवं महत्ता को बताते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के बारे में चर्चा की गयी है एवं योजना को अद्यतन करने के विषय में बताया गया है।

दूसरा अध्याय मधेपुरा जिले के परिचय से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत जिले में बाढ़ का कारण बनने वाली नदियों, बाढ़ से सुरक्षा हेतु बने तटबन्धों आदि के बारे में बताया गया है। जिले का विस्तार बताने के साथ ही मिट्टी की प्रकृति आदि के बारे में चर्चा की गयी है। जिले की जलवायु एवं मौसमों के बारे में चर्चा करने के साथ ही जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया है। जिले का जनसंख्यात्मक परिचय देने के साथ ही जिले के अनुमण्डलों, प्रखण्डों एवं गांवों के बारे में इस अध्याय में सविस्तार चर्चा की गयी है।

तीसरे अध्याय में जिला को प्रभावित करने वाली विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं जैसे – बाढ़, भूकम्प, अगलगी, ठनका, चक्रवात, सुखाड़, सड़क दुर्घटना आदि आपदाओं की प्रकृति व उनसे होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा की गयी है। विभिन्न आपदाओं का मौसमी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मुख्य रूप से द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित इस अध्याय में समुदाय के साथ की गयी चर्चाओं से निकली प्राप्ति को भी समाहित किया गया है। प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के अनुसार बाढ़ जिले की प्रमुख आपदा है।

योजना के चौथे अध्याय में प्रभावी आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थागत प्रणाली की चर्चा की गयी है। इसके अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं एवं एजेन्सियों के बारे में व्यापक चर्चा की गयी है। इस अध्याय में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का परिचय देते हुए उसके अधिकार एवं शक्तियों के बारे में चर्चा की गयी है। आपदा के रोक-थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी के साथ किसी आपदा के दौरान त्वरित रिस्पान्स करने हेतु विभिन्न हितभागियों के साथ प्रभावी समन्वयन करने की दृष्टि से स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज संगठनों), सामुदायिक संगठनों व अन्य निजी संगठनों/एजेन्सियों की भूमिका एवं जवाबदेही की चर्चा की गयी है। इसी अध्याय में जिले में स्थापित इमरजेन्सी रिस्पान्स सेंटर, उसमें उपलब्ध सामग्रियों तथा आपदा के दौरान एवं सामान्य समय में ई0ओ0सी0 द्वारा किये जाने वाले कार्यों की भी चर्चा की गयी है। एक इमरजेन्सी आपरेशन सेंटर में पर्याप्त मानव संसाधनों सहित आधुनिक संचार सुविधाएं, कम्प्यूटर, इण्टरनेट एवं पर्याप्त मात्रा में कुर्सी मेज की भी उपलब्धता को आवश्यक बताया गया है।

योजना के पांचवें अध्याय “रोक-थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी हेतु उपाय” में आपदा के रोक-थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी हेतु उपायों के ऊपर विभागवार चर्चा की गयी है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अध्याय 5 के अन्तर्गत 40वें अनुच्छेद के अनुसार सभी विभागों की विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना का निर्माण किया जाना है। साथ ही राज्य के डी0आर0आर0 रोड मैप में दिये गये पांच स्तम्भों में भी विभागों की गतिविधियों को विनिर्दिष्ट किया गया है। उपरोक्त दोनों के आलोक में पांचवा अध्याय सम्बन्धित हितभागियों/विभागों के लिए सुझायी गयी गतिविधियों पर आधारित है। जिसके अन्तर्गत कुल 20 विभागों के लिए आपदा निवारण हेतु शमन, रोक-थाम, पूर्व तैयारी एवं क्षमता निर्माण से सम्बन्धित गतिविधियों को शामिल किया गया है। गतिविधियों का निर्धारण करते समय विभाग की पूर्व विकासीय योजनाएं, उनके द्वारा किये जाने वाले

कार्य तथा उनकी विभागीय सीमाओं को ध्यान में रखा गया।

छठा अध्याय प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण का है। जिसके अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन हेतु आवश्यक दक्षता पर चर्चा की गयी है। इन दक्षताओं को प्रदान करने हेतु चिन्हित संस्थाओं/एजेन्सियों के ऊपर व्यापक चर्चा की गयी है। इस अध्याय में संस्थागत क्षमता वर्धन के साथ ही समुदाय, सामुदायिक संगठनों एवं पंचायती राज संगठनों के क्षमता वर्धन के बारे में चर्चा की गयी है। साथ ही तालिका के माध्यम से विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक प्रशिक्षणों एवं प्रशिक्षण लेने वाले स्टाफ/पदनाम को भी दर्शाया गया है। यह तालिका विभिन्न विभागों के साथ की गयी बैठकों तथा उनसे निकले बिन्दुओं के आधार पर तैयार की गयी है।

योजना के सातवें अध्याय में रिस्पान्स द्वारा प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु विभिन्न विभागों के आपसी समन्वयन एवं समन्वय के घटकों पर चर्चा की गयी है। इसी अध्याय में जिला में गठित विभिन्न कोषांगों, उसके नोडल विभाग, सहयोगी विभागों तथा आपदा के समय उनके द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं के बारे में व्यापक चर्चा की गयी है। इसके साथ सेना, एनडीआरएफ/एसडीआरएफ, पुलिस एवं अग्निशमन विभागों द्वारा आपदा के दौरान निभाई जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों के ऊपर भी चर्चा की गयी है।

आठवां अध्याय आपदा के बाद पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्प्राप्ति के विभिन्न उपायों पर आधारित है। इस अध्याय में पुनर्निर्माण के दौरान की जाने वाली गतिविधियों को मुख्य रूप से दो भागों – तात्कालिक एवं दीर्घकालिक गतिविधियों में बांटकर उसी के अनुरूप कार्य करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि क्षति आकलन करते समय किन-किन बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए, राहत का वितरण आपदा राहत कोष में दिये गये मानकों के अनुरूप होना चाहिए तथा सुधार, मरम्मत एवं निर्माण के दौरान किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दीर्घकालिक गतिविधियों में आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मुद्दों को ध्यान में रखने की बात की गयी है। जबकि पुनर्प्राप्ति के अन्तर्गत सामाजिक-आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, कृषिगत व पर्यावरण पुनर्प्राप्ति तथा सामाजिक पूंजियों के पुनर्स्थापन के ऊपर चर्चा की गयी है।

नवें अध्याय में आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधनों की पहचान की गयी है। इस अध्याय में आपदा प्रबन्धन हेतु केन्द्रीय एवं राज्य

स्तर से मिलने वाले अनुदानों के साथ ही यह भी देखने का प्रयास किया गया है कि किन योजनाओं के साथ जुड़ाव स्थापित कर आपदा प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन आसानी से किया जा सकता है।

दसवां एवं अन्तिम अध्याय आपदा प्रबन्धन योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन का है, जिसके अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जिला आपदा प्रबन्धन योजना के निर्माण से सम्बन्धित धारा 31 की उपधारा 4, 5, 6 एवं 7 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार निगरानी हेतु आवश्यक बिन्दुओं की पहचान की गयी है।

अनुलग्नक

जिला आपदा प्रबन्धन योजना का दूसरा खण्ड अनुलग्नक का है, जिसमें आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक दस्तावेजों, संसाधनों, दिशा-निर्देशों एवं जिले से सम्बन्धित अन्य सूचनाओं को अनुलग्नक के तौर पर समाहित किया गया है। इस खण्ड में –

अनुलग्नक 1 के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन हेतु जिला स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों – जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, आपदा, असैनिक एवं शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अंचल पदाधिकारियों तथा पंचायत की आपदा के दौरान भूमिका एवं जवाबदेही के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी है।

अनुलग्नक 2 में 1971-2017 तक के अधिकतम, न्यूनतम एवं वार्षिक औसत तापमान के आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है।

अनुलग्नक 3 में जिला में छत एवं दीवार में प्रयोग की गयी निर्माण सामग्री के आधार पर विभिन्न आपदाओं के दौरान क्षति की संभावनाओं को दर्शाया गया है। यह तालिका भारतीय भेद्यता एटलस द्वारा तैयार की गयी है।

अनुलग्नक 4 में 10-25 किमी तटबन्ध के टूटने की स्थिति में प्रभावित होने वाले गांवों की सूची दी गयी है।

अनुलग्नक 5 में जिले में विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित संसाधनों का सविस्तार वर्णन किया गया है। इसके अन्तर्गत बाढ़ से बचाव हेतु जिले स्तर पर उपलब्ध संसाधनों, नाव नाविकों, मोटरबोट चालकों, गोताखोरों, तैराकों, स्वयंसेवकों, क्विक रिस्पान्स टीम मेडिकल व आपदा के दौरान हेलीकाप्टर उतरने हेतु चिन्हित स्थानों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

अनुलग्नक 6 में बाढ़ आपदा से प्रभावितों के लिए चिन्हित ऊँचे शरणस्थलों की सूची प्रस्तुत की गयी है। इसी अनुलग्नक में सुखाड़ प्रभावित पशुओं के लिए चिन्हित राहत शिविरों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

अनुलग्नक 7 में जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य केन्द्रों तथा निशक्तजनों का विवरण दिया गया है।

अनुलग्नक 8 में जिले में उपलब्ध पशु स्वास्थ्य केन्द्रों एवं संसाधनों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

अनुलग्नक 9 में अग्निशमन विभाग के पास उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों की चर्चा की गयी है।

अनुलग्नक 10 में जिले में स्थापित आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आपदा प्रबन्धन अधिनियम के सन्दर्भ में अधिकार एवं शक्तियों की चर्चा की गयी है।

अनुलग्नक 11 में बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर मधेपुरा के प्रशिक्षित किये गये मुखिया एवं सरपंच की सूची प्रस्तुत की गयी है। वहीं अनुलग्नक 12 के अन्तर्गत जिले में काम करने वाली मुख्य क्रियाशील स्वैच्छिक संगठनों की सूची प्रदर्शित की गयी है।

अनुलग्नक 13 के अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं के ऊपर जारी एस0ओ0पी0 को ध्यान में रखते हुए आपदा के दौरान त्वरित कार्यवाही के माध्यम को फ्लो चार्टों के माध्यम से दर्शाया गया है।

अनुलग्नक 14 में विभिन्न आपदाओं की स्थिति में “क्या करें” व “क्या न करें” की चर्चा की गयी है। यह अनुलग्नक बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जागरूकता हेतु जारी किये गये पोस्टर एवं अन्य जागरूकता सामग्रियों पर आधारित है।

अनुलग्नक 15, 16 व 17 में क्रमशः अस्पताल, सड़क एवं स्कूल सुरक्षा हेतु समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का वर्णन किया गया है।

अनुलग्नक 18 में आपदाओं के नवीनताओं से परिचित कराने तथा उनसे निपटने के उपायों पर बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा मधेपुरा जिला के प्रशिक्षित प्रशासनिक अधिकारियों की सूची प्रस्तुत है।

अनुलग्नक 19 में बिहार सरकार एवं बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आपदाओं एवं उसके सन्दर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को संकलित किया गया है। इसके अन्तर्गत राहत वितरण हेतु एस0डी0आर0एफ0 में दिये गये मानदरों का उल्लेख किया गया।

और अन्त में अनुलग्नक 20 में विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु विभागवार चेकलिस्ट दी गयी है, ताकि विभाग एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा के सन्दर्भ में विभाग की तैयारी को जान सकें।

अध्याय : 1

परिचय (Introduction)

कोशी प्रमण्डल में रहने के कारण मुख्यतः बाढ़ आपदा से प्रभावित मधेपुरा जिला को वर्षा की अनिश्चितता के कारण कभी-कभी सुखाड़ जैसी आपदा का भी सामना करना पड़ता है। इसके साथ भूकम्प, आंधी-तूफान के साथ हाल के कुछ वर्षों में यहां पर ठनका/बज्रपात की घटनाएं भी सामने आयी हैं और जिला में निवास करने वाले लोगों, उनकी आजीविका, संसाधनों आदि पर इन आपदाओं/घटनाओं का व्यापक कुप्रभाव भी परिलक्षित होता है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के खण्ड 31 के अनुसार जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं स्वैच्छिक संगठनों सहित अन्य हितभागियों के संयुक्त तत्वाधान में जिला आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रिस्पान्स, राहत और बचाव के साथ-साथ आपदा रोक-थाम, शमन, पूर्व तैयारी, पुनर्स्थापन, पुनर्निर्माण व पुनर्प्राप्ति के उपायों को विस्तृत व्यापकता दी गयी है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना की विभागीय कार्ययोजना निर्धारित करते समय बिहार डी0आर0आर0 रोडमैप में दी गयी गतिविधियों को भी संज्ञान में लिया गया है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसका समय-समय पर अद्यतन होना आवश्यक है।

1.1 उद्देश्य

तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन सेंडई, जापान में मार्च-2015 में आयोजित हुआ था, जिसमें वर्ष 2015 से 2030 तक के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्राथमिकताएँ एवं लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। इसके आलोक में बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिनांक-10.05.2016 को “बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015-30” की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न प्राथमिकताओं को हासिल करने में जिला आपदा प्रबंधन योजना एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगी:-

- आपदा जोखिम की समझ विकसित करना
- आपदा जोखिम के प्रबंधन हेतु संस्थाओं का सुदृढीकरण
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश

- प्रभावी रिस्पॉन्स के लिए पूर्व तैयारियों को प्रोत्साहन तथा
- पूर्व से बेहतर पुनर्वासन, पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण

जिला आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण के निम्न मुख्य उद्देश्य हैं:-

- आपदा प्रबंधन के आईने में मधेपुरा जिले की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण करना।
- पूर्व एवं वर्तमान की आपदाओं व संभावित खतरों के सन्दर्भ में विकास कार्यों में आने वाली समस्याओं को समझना एवं उसके निराकरण हेतु सुझाव देना।
- विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजनित खतरों को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करना।
- समुचित नियोजन करते हुए सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों, विशेषकर महत्वपूर्ण सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं के नुकसान को कम से कम करना।
- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए समुदाय, सरकार के लाइन डिपार्टमेंट एवं अन्य हितधारकों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इमरजेन्सी रिस्पान्स एवं पुनर्स्थापन (रिकवरी) हेतु कार्य योजना विकसित करना।
- आपदा प्रबंधन योजना के विकास में हितधारकों की प्रत्यक्ष भागीदारी करा कर उन्हें योजना के प्रति जागरूक करना एवं उत्तरदायी बनाना।
- योजना को नियमित रूप से अद्यतन (update) करने हेतु प्रक्रिया निर्माण करना।
- जिला स्तर के संस्थागत तंत्र में नवाचार एवं अच्छे उदाहरणों को शामिल कराना तथा सभी स्तर पर एक समन्वित योजना बनाना।
- समुदाय को आपदा से निपटने हेतु तैयार करने की दृष्टि से पूर्व चेतावनी प्रणाली को विकसित करना।
- किसी भी आपदा के दौरान प्रभावी तरीके से खोज, बचाव एवं रिस्पान्स करने हेतु जिले स्तर पर एक इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर की स्थापना करना।
- जिले की चिन्हित जोखिमों के शमन हेतु विविध हितधारकों के लिए शमन के उपाय सुझाना।
- भावी विकास की आवश्यकता को समझाते हुए

विभिन्न दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों के माध्यम से समुदाय को जागरूक करना ताकि वे आपदा सहनशील निर्माण प्रणाली को अपना सकें।

- आपदा प्रबन्धन में मीडिया की सक्रिय भूमिका एवं उत्तरदायित्वों को निर्धारित करना।
- प्रभावित लोगों के लिए पुनर्स्थापन योजना तैयार करना तथा जिले के विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्य करने के लिए पुनर्निर्माण उपायों को बताना।


1.2 योजना का कार्यक्षेत्र

जिले को प्रभावित करने वाली प्रत्येक प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा और उससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र एवं उससे प्रभावित समुदाय की भेद्यता व क्षमता की पहचान करने की बात योजना में शामिल की गयी है। इसके अन्तर्गत जिले स्तर की आपदा से जुड़े सभी विभागों, एजेन्सियों, पंचायती राज संस्थाओं, नगर परिषद, निजी क्षेत्र, सामुदायिक संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों एवं समुदाय द्वारा आपदा के विभिन्न चरणों में किये जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी है। यह योजना जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावी होगी। इसके आधार पर ही वहां के लिए कृषि, आजीविका, बुनियादी सुविधाओं, आधारभूत संरचनाओं के लिए पूर्व तैयारी, रोक-थाम एवं शमन आदि के उपायों को विशिष्टता से इस योजना में शामिल किया गया है। इसके साथ ही रिस्पान्स के दौरान प्रभावी कार्यों को करने हेतु विभागीय संसाधनों के ऊपर भी योजना में प्रकाश डाला गया है।



1.3 योजना विकसित करने की कार्यप्रणाली

योजना तैयार करने से लेकर क्रियान्वयन तक के सभी चरणों को तैयार करने के दौरान क्षेत्रीय स्थितियों का विश्लेषण किया गया। हितभागियों की पहचान करने के पश्चात् हितभागियों के साथ समय-समय पर बैठकों में जानकारीयां/आंकड़े, सूचनाएं एकत्र कर आंकड़ों का विश्लेषण करने का कार्य किया गया। इसके साथ ही योजना के क्रियान्वयन में विभागीय समन्वयन तथा वित्तीय संसाधनों के ऊपर भी चर्चा की गयी (चित्र सं0 1)। तत्पश्चात् निम्न प्रक्रियाओं के तहत जिला आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की गयी :-



1.4 जिला आपदा प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन : प्रमुख हितभागी एवं उनकी जिम्मेदारियां

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अध्यक्ष होने के नाते आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी मधेपुरा जिला के जिला पदाधिकारी की होगी। जिला में स्थापित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिला पदाधिकारी के निर्देशन व नेतृत्व में कार्य करेगा। योजना के क्रियान्वयन में जिला पदाधिकारी का सहयोग जिला के आपदा नोडल अपर जिला पदाधिकारी आपदा करेंगे। इसके साथ आपदा पूर्व, दौरान एवं बाद के

सभी चरणों में जिला में कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक मुख्य भूमिका में होंगे। आपदा के दौरान एवं बाद में प्रभावितों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिविल सर्जन की प्रमुख भूमिका होगी। आपदा पूर्व एवं आपदा के बाद पूर्व तैयारी, शमन, पुनर्स्थापन तथा पुनर्निर्माण के कार्यों में सम्बन्धित विभाग जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे।

योजना के क्रियान्वयन में जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में अंचल पदाधिकारी अंचल स्तर पर आपदा प्रबन्धन में प्रभावी भूमिका में होंगे।

इसके साथ ही जिले स्तर पर कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठन, पंचायती राज संस्थाएं एवं स्वयं सहायता समूह आदि भी आपदा के दौरान प्राथमिक रूप से रिस्पान्स गतिविधियों को करने, आपदा पूर्व समुदाय को पूर्व तैयारी हेतु सक्षम बनाने तथा आपदा के प्रभावों के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से प्रमुख भूमिका निभायेंगे(अनुलग्नक-1)।

1.5 योजना पुनरावलोकन एवं अद्यतन करने की अवधि

योजना निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया होती है। अतः आपदा की बदलती परिस्थितियों के सन्दर्भ में योजना का पुनरावलोकन प्रत्येक वर्ष होना आवश्यक होगा। पहले से तैयार योजना का पुनरावलोकन एवं उसमें समय के अनुसार सुधार करते समय जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक होगा-

1. **व्यापक:-** आपदा के सन्दर्भ में सभी तरह के प्रभाव, सभी हितधारक सहित सभी काल या चरणों को ध्यान में रखते हुए योजना में सुधार करना।

2. **विकासात्मक:-** आपदाओं से प्रभावित समुदाय के क्षमता निर्माण हेतु भावी

आपदाओं का अनुमान करना, उनके निवारण हेतु पूर्व तैयारी का कार्य होना

3. **जोखिम:-** खतरों/नये खतरों की पहचान, जोखिम एवं प्रभाव विश्लेषण जैसे ठोस जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से प्राथमिकताएं एवं संसाधन तय करना

4. **समेकित:-** सरकार एवं अन्य हितधारकों के सभी स्तरों पर सभी प्रयासों की उपयोगिता सुनिश्चित करना।

5. **सहयोगी:-** सभी हितधारकों द्वारा किये गये कार्यों की उपयोगिता को एक-दूसरे से साझा करना और व्यक्ति तथा एजेंसियों के बीच प्रभावी सम्बंध बनाने हेतु साझा मंच विकसित करना।

6. **सुरक्षित:-** आपदा की चुनौतियों के समाधान के लिए सुरक्षित, रचनात्मक एवं नवीन तरीके अपनाना।

7. **पेशेवर:-** शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव, सार्वजनिक नेतृत्व, नैतिक आचरण, जवाबदेही और निरंतर सुधार आदि मूल्यों पर आधारित ज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देना।

अध्याय : 2

जिला का परिचय (District Profile)

जिला मधेपुरा बाढ़, अकाल, सूखा आदि के विभिन्न उतार-चढ़ावों को झेलता रहा है। कोसी नदी जिले के दक्षिण से प्रवाहित होती है जबकि एक लघु नदी दुआस मधेपुरा शहर को तीन तरफ से घेरे हुए है। इसके अलावा परवानी, वैवाह, सुरसर, हारून, लोरान, तिलाबे आदि नदी की धाराएं भी मधेपुरा शहर की सीमाओं को प्रभावित करती हैं। वर्तमान में इन नदी-धाराओं के सिकुड़ने या सूख जाने के कारण स्थानीय स्तर पर पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या बड़ी है, लेकिन बेसिन के ऊपरी हिस्से नेपाल में किसी भी तरह की असामान्य स्थिति उत्पन्न होने पर यही सूख चुकी नदियां जिले के लिए विभीषिका बन जाती हैं।

2.1 भौगोलिक परिचय

जिले का कुल क्षेत्रफल 1787 वर्ग किमी⁰ है। मधेपुरा जिला के उत्तर में अररिया और सुपौल, दक्षिण में खगड़िया और भागलपुर, पूरब में पूर्णिया तथा पश्चिम में सहरसा जिले द्वारा आबद्ध है।


यह कोसी नदी के मैदान में स्थित है और बिहार के उत्तरी-पूर्वी भाग में 25°31' से 26°20' उत्तरी अक्षांश एवं 86°36' से 87°07' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले का धरातलीय ढाल उत्तर से दक्षिण की तरफ है (मानचित्र संख्या- 1)। कोसी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जिले का जल प्रवाह नियंत्रित होता है। जिले की मिट्टी हल्की से मध्यम, संगठन वाली तथा अम्लीय, बलुई तथा चिकनी दोमट प्रकार की है। जैसा कि ऊपर वर्णित है कि मधेपुरा जिला कोसी बेसिन के अन्तर्गत आता है और यह नदी अपनी धाराओं को परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है। विगत 200 वर्षों में कोसी नदी पूरब से पश्चिम की तरफ परिवर्तित हुई है, जिसके साक्ष्य के तौर पर वर्तमान में छाड़न धाराओं को देखा जा सकता है।

(मानचित्र संख्या- 2)




मधेपुरा जिला एवं इसके निकटवर्ती जिले

मानचित्र संख्या- 1 :जिले का धरातलीय स्वरूप



स्रोत : एस0आर0टी0एम0 आंकड़ों पर आधारित

मानचित्र संख्या- 2 : जिले में कोसी नदी का मार्ग परिवर्तन एवं उसकी छाड़न धाराएं



स्त्रोत : जल संसाधन विभाग, वीरपुर, सुपौल, बिहार

2.2 जलवायुविक विशेषताएं

मधेपुरा की जलवायु गर्म एवं आर्द्र है। यहां ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक होती है। जिले में गर्मियों के दिनों में अधिकतम तापमान 35° से 40° सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में तापमान 7° से 9° सेंटीग्रेड तक हो जाता है। जिले में औसत वार्षिक वर्षा 1300 मिमी० है। दिसम्बर यहां का सबसे शुष्क महीना है और जुलाई से अगस्त के मध्य वर्षा होती है, जिसका औसत 294 मिमी० है। वर्ष का सबसे गर्म महीना मई होता है, जिसका

औसत तापमान 30° सेंटीग्रेड रहता है। सबसे न्यूनतम तापमान जनवरी महीने में दर्ज किया जाता है। गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी होने से कम दबाव के क्षेत्र विकसित हो जाते हैं इसके कारण से क्षेत्र में तेज आंधी-तूफान की घटनाएं होती हैं।

वर्ष 1971 से 2017 तक के अधिकतम व न्यूनतम औसत तापमान के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि न्यूनतम व अधिकतम तापमान दोनों में काफी उतार-चढ़ाव आ रहा है। (तालिका-1)

तालिका-1 : जिले में वर्षवार औसत अधिकतम-न्यूनतम तापमान (1971-2022)

वर्ष	अधिकतम तापमान	न्यूनतम तापमान
1971	29.43	18.40
1972	31.70	17.41
1973	31.66	17.70
1974	31.54	17.70
1975	30.40	19.26
1976	30.66	19.46
1977	30.13	19.38
1978	29.65	19.43
1979	31.00	20.03
1980	30.61	19.68
1981	30.15	18.67
1982	31.09	19.25
1983	31.06	19.10
1984	30.99	19.06
1985	31.06	19.43
1986	30.57	18.91
1987	31.13	19.47
1988	31.45	20.03
1989	31.17	19.47
1990	30.66	19.59
1991	31.28	19.45
1992	30.92	19.09
1993	31.14	19.32
1994	31.22	19.39
1995	31.24	19.55
1996	31.01	19.44

वर्ष	अधिकतम तापमान	न्यूनतम तापमान
1997	30.60	19.19
1998	31.21	20.12
1999	31.65	20.05
2000	31.08	19.77
2001	31.53	20.16
2002	31.58	19.74
2003	31.56	19.90
2004	31.25	19.85
2005	31.35	19.56
2006	31.57	19.72
2007	31.02	19.67
2008	31.76	19.92
2009	31.71	20.11
2010	31.90	20.03
2011	31.34	19.87
2012	30.97	19.91
2013	31.35	20.02
2014	31.76	19.95
2015	31.56	19.98
2016	31.78	19.87
2017	31.81	19.96
2018	32.22	21.11
2019	30.55	19.44
2020	31.11	17.22
2021	31.94	20.55
2022	32.05	19.83

स्रोत : आई०एम०डी० के आंकड़ों पर आधारित

तालिका-2 में प्रदर्शित पिछले 13 वर्षों में जिले में हुई वर्षा के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता

है कि जिले में वर्षा की मात्रा में उतार-चढ़ाव आया है (मानचित्र सं0 5)

तालिका-2 : जिला में विगत 13 वर्षों का वार्षिक वर्षा का आंकड़ा (2004-2017)

वर्ष	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	कुल वार्षिक वर्षा
2004	40.4	0.0	0.0	0.0	103.2	130.2	379.9	251.7	85.4	31.5	2.6	0.0	1024.9
2005	36.2	3.0	0.0	0.0	136.0	135.4	302.8	234.5	167.5	0.0	0.0	0.0	1015.4
2006	2.3	4.5	12.5	23.4	98.7	154.5	298.4	245.6	200.2	30.2	1.5	0.2	1072.0
2007	0.0	15.4	23.1	30.5	100.2	220.2	301.5	121.2	2.7	0.0	0.5	0.0	815.3
2008	1.2	4.5	30.2	33.2	123.4	201.4	287.6	298.4	103.8	23.1	0.0	0.0	1106.8
2009	11.3	5.6	25.6	31.5	130.2	167.5	147.8	332.6	93.8	42.6	2.5	1.3	992.3
2010	10.6	12.2	21.7	23.9	156.4	131.7	219.6	133.3	173.8	5.0	0.0	0.0	888.2
2011	3.2	7.0	24.3	30.2	83.5	176.2	298.8	234.6	267.4	11.2	0.8	0.0	1137.2
2012	2.1	14.5	33.9	40.2	100.5	225.5	302.1	236.7	198.0	21.4	3.2	1.2	1179.3
2013	3.7	7.0	0.3	17.6	93.6	374.4	199.9	197.3	224.9	302.0	6.0	0.0	1426.7
2014	7.9	24.0	2.7	0.0	202.7	155.7	285.6	290.8	106.1	17.4	0.0	0.0	1092.9
2015	14.2	6.7	19.0	34.6	70.0	110.0	173.3	263.1	165.3	1.3	0.0	0.0	857.5
2016	1.2	0.0	0.0	16.0	133.8	176.6	359.8	120.2	440.6	73.2	0.0	0.0	1321.4
2017	0.0	0.0	59.5	28.2	128.5	143.6	408.2	246.9	120.5	61.7	0.0	0.0	1197.1
2018	0.0	0.0	0.0	52.2	50.5	170.0	237.5	227.8	130.6	20.7	0.0	8.1	897.4
2019	2.9	29.2	0.4	73.6	40.6	162.4	452.2	110.8	466.2	16.2	2.3	0.0	1356.8
2020	0.0	0.0	0.0	6.8	38.6	297.3	590.1	224.3	347.5	17.2	0.0	1.6	1523.4
2021	0.0	0.0	0.0	4.6	270.9	270.2	311.6	274.1	97.9	211.3	0.0	7.1	1447.7
2022	5.2	26.4	0.0	21.8	120.1	217.2	55.0	121.1	111.5				678.3

स्रोत : आईएम0डी0

2.3 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

किसी भी स्थान/क्षेत्र के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहलुओं की जानकारी रखना आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। उदाकिशुनगंज में स्थित मौर्यकालीन स्तम्भ से ज्ञात होता है कि मधेपुरा जिला मौर्या साम्राज्य का एक भाग रहा है। मधेपुरा के इतिहास से ज्ञात होता है कि यह प्राचीन काल के कुषाण साम्राज्य का एक क्षेत्र रहा है। शंकरपुर प्रखण्ड के बसन्तपुर और रायभीर गांव में रहने वाले समुदाय के लोग कुषाण वंश के पूर्वज कहे जाते हैं।

पुराने जमाने के महान श्रृंगी श्रृषि के ध्यान की भूमि होने के कारण यहां पर स्थित सिंहेश्वर स्थान धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए यह स्थान हिन्दुओं के लिए बहुत ही पवित्र एवं महत्वपूर्ण माना जाता है।

ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मिथिला के राजा मिथि (के पौत्र गंगादेव के नाम पर बसा गंगापुर गांव) के नाम पर मधेपुरा जिले

का नाम पड़ा। बाद में कोसी बेसिन के मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्यपुरा कहा जाने लगा, जो कालान्तर में मधेपुरा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक अन्य विचारधारा के अनुसार - इस क्षेत्र में भगवान कृष्ण के वंशज माधव रहते थे, उन्हीं के नाम पर मधेपुरा पड़ा।

2.4 जनसंख्यात्मक परिचय

2011 की जनगणना के अनुसार मधेपुरा की कुल जनसंख्या 2001762 थी। जिले का जनसंख्या घनत्व 1120 व्यक्ति/वर्ग किमी0 है। 2001-2011 दशक के मध्य जनसंख्या का विकास दर 30.65 प्रतिशत रहा। यहां स्त्री-पुरुष का अनुपात 9:10 है। जबकि जिले की साक्षरता 52.25 प्रतिशत है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से मधेपुरा प्रखण्ड सर्वाधिक तथा गम्हरिया सबसे कम जनसंख्या वाला प्रखण्ड है। जिला मधेपुरा का प्रखण्डवार जनसंख्या विवरण तालिका-3 में प्रदर्शित है -

तालिका 3 : प्रखण्डवार जनसंख्या विवरण

कम सं०	अनुमण्डल	प्रखण्ड	जनसंख्या (2011)	पंचायतों की सं०	गांवों की सं०	जिला मुख्यालय से दूरी (कि०मी० में)
1	मधेपुरा	मधेपुरा	245847	17	49	2
2		सिंहेश्वर	134159	13	27	08
3		शंकरपुर	106222	09	09	20
4		गम्हरिया	82522	08	12	24
5		घैलाढ़	91818	09	16	14
6		मुरलीगंज	214322	17	45	22
7		कुमारखण्ड	243629	21	71	
8	उदाकिशुनगंज	ग्वालपाड़ा	126020	12	51	25
9		उदाकिशुनगंज	189159	16	44	35
10		बिहारीगंज	135534	12	22	41
11		पुरैनी	104436	09	31	44
12		चौसा	152693	13	43	60
13		आलमनगर	175401	14	29	60
14	नगरीय क्षेत्र	मधेपुरा नगर परिषद	54472	—	—	01
15		मुरलीगंज नगर पंचायत	28691	15	—	22
16		सिंहेश्वर स्थान	5298	—	449	07
कुल			2001762	170	449	

स्रोत : जनगणना 2011, भारत सरकार

जिले से सम्बन्धित अन्य विवरणों को तालिका सं० 4 के माध्यम से दर्शाया गया है -

तालिका संख्या-4 : मधेपुरा जिला से सम्बन्धित सामान्य सूचनाएँ

जनसंख्या		लिंग अनुपात	910
व्यक्ति	2001762	घनत्व	1120
पुरुष	1047559	ग्राम पंचायत की संख्या	170
महिला	954203	सामुदायिक विकास ब्लाक	13
वृद्धि (2001-11)	30.65	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	12532
ग्रामीण	1913301	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	0.63
शहरी	88461	पूर्ण टीकाकृत बच्चों का प्रतिशत	38.6
अनुसूचित जाति जनसंख्या	346275	सामान्य वर्षा	1300mm
कुल जनसंख्या का प्रतिशत	17.30	धरातलीय स्वरूप	समतल
परिवार की संख्या	401289	मुख्य ढाल की दिशा	उत्तर से दक्षिण
परिवार का साइज	5.0		
साक्षरता तथा शैक्षणिक स्तर		आयु वर्ग	
साक्षरता दर		0-4	270598
व्यक्ति	52.25	5-14	582891
पुरुष	61.77	15-59	1018340
महिला	41.74	60 वर्ष तथा ऊपर	129933
कार्यशील जनसंख्या		महत्वपूर्ण टाउन	
कुल कार्यशील जनसंख्या	777546	मधेपुरा	54472
मुख्य कार्यशील जनसंख्या	443507	मुरलीगंज	28691
सीमान्त कार्यशील	334039	सिंहेश्वर स्थान	5298
अकार्यशील	1224216		
अनुमंडलों की संख्या	2		
घर का प्रकार प्रतिशत में		धर्म	
स्थाई	28.00	हिन्दू	87.6
अर्ध स्थाई	26.4	मुस्लिम	12.1
अस्थाई	45.2	ईसाई	0.07

स्रोत : जनगणना, 2011, भारत सरकार

तालिका 3 : प्रखण्डवार पशुसंख्या विवरण

Sl.	Block Name	Cattle	Buffalo	Sheep	Goat	Horse	Donkey	Pig	Dog	Rabbit	Fowl	Duck	Other Poultry Birds
1	Alamnagar	41065	11824	0	67056	131	0	935	462	38	3061	403	2
2	Biharianj	27054	13432	0	30338	109	1	387	91	17	1472	61	0
3	Chausa	36310	14608	4	32584	62	0	392	53	0	22386	103	0
4	Gamharia	21287	11186	1177	29579	23	2	598	1004	112	3436	103	6
5	Ghailarh	21879	13320	203	31697	41	0	321	16	0	76	0	0
6	Gwalpara	25481	12309	1	47641	97	0	622	948	49	6187	170	0
7	Kishanganj	43582	17042	1	55469	198	2	579	263	5	9317	347	0
8	Kumarkhand	77632	37905	41	64194	140	5	372	709	5	2184	1438	1086
9	Madhepura	57142	38752	2	63018	169	0	315	158	5	3662	160	0
10	Murliganj	39511	22686	5	46574	68	0	505	17	0	2626	163	40
11	Puraini	28718	13071	8	30613	48	1	464	113	23	9900	107	28
12	Shankarpur	36238	16687	1240	32426	23	0	114	72	0	6314	0	0
13	Singheshwar	57028	30146	0	28673	65	0	57	89	36	199	6	0
14	Madhepura urban	6865	1189	0	1518	1	0	0	22	0	6	0	0
15	Murliganj urban	1583	1346	0	3833	0	0	0	11	0	14	0	0
	Total	521375	255503	2682	565213	1175	11	5661	4028	290	70840	3061	1162


Source: 19th Animal Husbandary & Livestock, 2012

2.5 प्रशासनिक ढांचा


मधेपुरा में दो अनुमण्डल – मधेपुरा और उदाकिशुनगंज तथा 13 प्रखण्ड हैं (मानचित्र सं० 6)। वर्तमान मधेपुरा जिला को 3 सितम्बर 1845 को एक अनुमण्डल का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसमें कुल 7 प्रखण्ड थे। वर्तमान सहरसा जिला उस समय मधेपुरा अनुमण्डल का एक हिस्सा था जो बनगाँव थाना के अन्तर्गत पड़ता था। जब 1 अप्रैल, 1954 को सहरसा जिला बना तो मधेपुरा इसका एक अनुमण्डल बन गया। मधेपुरा अनुमण्डल में उस समय कुल 7 प्रखण्ड थे, जिसे 9 मई 1981 को जिले का दर्जा प्रदान किया गया। 21 मई, 1983 को उदाकिशुनगंज प्रखण्ड को मधेपुरा जनपद का अनुमण्डल बना दिया गया। इन पुराने 7 प्रखण्डों के अलावा 1994 में चार और प्रखण्ड अस्तित्व में आये, जो ग्वालपाड़ा, पुरैनी, बिहारीगंज और शंकरपुर है। इसमें से प्रथम तीन प्रखण्ड उदाकिशुनगंज अनुमण्डल में आते हैं जबकि अन्तिम एक मधेपुरा अनुमण्डल में आता है। बाद में मधेपुरा अनुमण्डल में 1999 में घैलाढ़ और गम्हरिया नाम के दो अन्य प्रखण्डों का भी निर्माण किया गया। मधेपुरा जिले के

अन्तर्गत आने वाले अनुमण्डल, प्रखण्डों एवं ग्राम पंचायतों को निम्नवत् देख सकते हैं –

अनुमण्डलों, प्रखण्डों एवं ग्राम पंचायतों की सूची



मानचित्र : मधेपुरा जिला प्रशासनिक क्षेत्र



स्रोत : भारतीय जनगणना, 2011

2.6 प्राकृतिक संसाधन

जिले का अर्थ-तन्त्र मुख्यतः कृषि पर आधारित है। कोसी प्रवाह क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उसकी छोड़ी हुई कई धाराओं से यह क्षेत्र प्रभावित होता है। अतः जल संसाधन की दृष्टि से यह जिला समृद्ध है। बाढ़ प्रवण क्षेत्र होने के कारण यहां की मिट्टी जलोढ़ है, जो कृषि के लिए लाभप्रद है। इस जिले का कृषित क्षेत्र का क्षेत्रफल 1515.22 वर्ग किमी⁰ है। इसके अलावा 26.84 वर्ग किमी⁰ भूमि परती के रूप में, 22.79 वर्ग किमी⁰ झाड़ी एवं बालू से आच्छादित है। ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास के रूप में क्रमशः 110.51 और 6.98 वर्ग किमी⁰ भूमि है। शेष 104.65 वर्ग किमी⁰ भूमि अन्य उपयोग के अन्तर्गत प्रयुक्त है।

जिले में खाद्यान्न, बागवानी तथा सब्जी उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त कृषि-जलवायुविक दशा है। जिले के अन्तर्गत कुल बोया गया क्षेत्र 200700 हेक्टेयर है। कुल सिंचित क्षेत्र 137000 हेक्टेयर है तथा 41000 हेक्टेयर भूमि पर वर्षा आधारित खेती की जाती है। यहां की मृदा उर्वर है। जिले में 72.60 प्रतिशत बलुई-दोमट, 26.38 प्रतिशत बलुई तथा 1.02 प्रतिशत अम्लीय भूमि है। चावल जिले का प्रमुख खाद्यान्न है। धान की दो फसलें यहां पर उगाई जाती हैं। गेंहूं, मक्का व जूट की बहुत अच्छी फसल यहां पर होती है। दलहन की खेती बहुत न्यून मात्रा में होती है। यहां पूरे वर्ष भर सब्जी उत्पादन विशेषकर आलू, टमाटर, फूलगोभी, पातगोभी, बैंगन, तरोई, नेनुआ, लौकी, लहसुन

इत्यादि की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु पायी जाती है। बागवानी में आम, केला, अमरूद, नीबू, अनानास की खेती की जाती है।

जिला जल संसाधन की दृष्टि से काफी समृद्ध है। मत्स्य पालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में 1508 पोखर-पोखरियां हैं। यहां पर भूमिगत जलस्तर काफी ऊंचा है। सामान्यतः 10-20 फीट पर ही पानी मिल जाता है। जिले की अधिकांश जनसंख्या अपने घरेलू तथा कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए भूमिगत जल पर निर्भर करती है। भूमिगत जल की गुणवत्ता मानकों के अन्तर्गत सुरक्षित है।

मुख्य पेशा

जिला का मुख्य पेशा कृषि है। यहां पर रहने वाली अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। जिले में खेतिहर किसानों की संख्या 135741 है और जिले के कुल क्षेत्रफल का 200.7 हेक्टेयर कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है। चावल यहां की मुख्य फसल है। इसके अलावा यहां पर गेंहूं, मक्का, व जूट तथा सब्जियों आदि की खेती की जाती है। खेती के अलावा एक बड़ा वर्ग खेतिहर मजदूरी पर निर्भर करता है, जिनकी संख्या 238882 है।

जिले में गाय, भैंस, बकरी आदि पशुओं का पालन किया जाता है, परन्तु दूध की उत्पादकता बहुत कम है। कुछ मात्रा में मुर्गी पालन भी अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जाता है। जिले में उपलब्ध पशुधन एवं उनकी संख्या को तालिका सं० 4 के माध्यम से जान सकते हैं।

तालिका संख्या- 4 : जिले में पशुधन एवं उनकी संख्या हजार में

गाय (कम दूध देने वाली)	संकर गाय	भैंस (कम दूध देने वाली)	संकर भैंस	बकरी	मुर्गी-मुर्गा
295.6	11.3	121.8	1.6	332.7	68.3

स्रोत : जिला आकस्मिक कृषि योजना, मधेपुरा

अध्याय : 3

खतरा, जोखिम, भेद्यता एवं क्षमता विश्लेषण (एच.आर.वी.सी.ए.)

(Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis (HRVCA))

मधेपुरा जिला विभिन्न आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील है। यहां बाढ़, सुखाड़, अगलगी, भूकम्प, आंधी-तूफान आदि आपदाओं की आशंका निरन्तर बनी रहती है। जिले की अधिकांश जनसंख्या (90 प्रतिशत से अधिक) जलवायु आधारित व्यवसायों में लिप्त रहने के कारण आपदाओं के सन्दर्भ में उनकी भेद्यता बढ़ जाती है। ऐसे में छोटे-मझोले और महिला किसान बाढ़, अगलगी, सुखाड़, आंधी-तूफान के बढ़ते प्रकोप की स्थितियों को निरन्तर झेलते हैं। जब उनकी आजीविका विभिन्न जोखिमों और उनके प्रकोपों से सीधे प्रभावित होती है तो इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से उनके रहन-सहन पर पड़ता है।

खतरा, जोखिम, भेद्यता एवं क्षमता विश्लेषण (Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Assessment (HRVCA)) एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष में व्याप्त विभिन्न खतरों, उससे उत्पन्न जोखिमों तथा उससे प्रभावित होने वाले नाजुक वर्गों की पहचान की जाती है। साथ ही उस क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का आकलन किया जाता है ताकि उसके आधार पर आपदा जोखिम प्रबन्धन की दिशा में बेहतर नियोजन किया जा सके।

एच0आर0वी0सी0ए0 प्रक्रिया करने का मुख्य प्रयोजन निम्न है-

- सुनियोजित प्रगति हेतु व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामुदायिक स्तर पर आत्मविश्वास का आकलन करना।
- ग्राम स्तरीय संस्थानों के निर्माण द्वारा आपदा जोखिम एवं समुदाय की भेद्यता को समझना तथा न्यूनीकरण के उपाय ढूंढना।
- आपदा प्रबन्धन हेतु विभिन्न विभागों के साथ-साथ समुदाय की क्षमताओं, विभागों के पास उपलब्ध संसाधनों एवं कमियों की पहचान करना।

खतरा, जोखिम, भेद्यता, क्षमता आकलन में प्रयुक्त साधन/ तकनीक

विभागों एवं समुदाय के साथ खतरा, जोखिम, भेद्यता, क्षमता (एच0आर0वी0सी0ए0) प्रक्रिया में निम्न साधनों, तकनीकों का उपयोग किया गया -

- आपदा संभाव्य मानचित्रण
- दूर संवेदी चित्र अथवा गुगल इमेज
- कारण सम्बन्ध आरेख
- सेवा सुविधा का चपाती चित्रण एवं तालिकाबद्ध (Tabulation)
- समस्याओं का चिन्हीकरण एवं उनका प्राथमिकीकरण
- समस्या प्राथमिकीकरण की प्रक्रिया
- उद्देश्यपूर्ण गतिविधि मॉडल

उपरोक्त उद्देश्यों को लेकर जिले के सभी प्रखण्डों में समुदाय के साथ आपदाओं के सन्दर्भ में चर्चा की गयी। विभागों से बात-चीत एवं समुदाय के साथ एचआरवीसीए के विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर जिले की आपदाओं के बारे में समझ विकसित की गयी। प्राप्त बिन्दुओं के आधार पर आपदाओं को प्राकृतिक एवं मानव जनित दो श्रेणियों में विभक्त किया गया, जिसे निम्नवत् तालिका सं0 5 के माध्यम से दर्शाया गया है-

तालिका संख्या-5 : जिले में विभिन्न प्रकार की आपदाओं की स्थिति

प्राकृतिक आपदाएं	मानवजनित आपदाएं
बाढ़	बिजली का करेण्ट लगना
सूखा	सड़क दुर्घटना
तूफान (तेज हवाएँ)	नाव दुर्घटना
लू लगना	संक्रामक बीमारियाँ
ठनका	डूबने की घटनाएँ
भूकम्प	
शीतलहर	
ओलावृष्टि	
आगजनी	

स्रोत : विभागीय एवं सामुदायिक बैठकें

समुदाय के साथ की गयी चर्चाओं में उपरोक्त आपदाओं के आने के समय को भी जानने का प्रयास किया गया और इस प्रकार समुदाय की सहभागिता से आपदाओं का मौसमी चित्रण तैयार

किया गया, जो तालिका सं0 6 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-6 : जिले में विभिन्न प्रकार की आपदाओं का मौसमी चित्रण

आपदा	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	प्रभावित प्रखण्ड / क्षेत्र
बाढ़							■	■	■				सम्पूर्ण जिला (विशेषकर आलमनगर, चौसा एवं पुरैनी)
सूखा							■	■					सम्पूर्ण जिला
भूकम्प	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	सम्पूर्ण जिला
आगजनी				■	■	■							सम्पूर्ण जिला
ओलावृष्टि	■												सम्पूर्ण जिला
आंधी-तूफान													सम्पूर्ण जिला
शीतलहर	■												सम्पूर्ण जिला
लू					■	■							सम्पूर्ण जिला
ठनका						■	■	■	■				सम्पूर्ण जिला
बिजली का करेण्ट													सम्पूर्ण जिला
सड़क दुर्घटना	■									■		■	सम्पूर्ण जिला
नाव दुर्घटना								■					सम्पूर्ण जिला
डूबने की घटनाएँ										■	■		सम्पूर्ण जिला
संक्रामक बीमारियाँ													सम्पूर्ण जिला

स्रोत : विभागीय चर्चा एवं सामुदायिक बैठकें

तीव्रता / संवेदनशीलता

अत्यधिक	मध्यम	निम्न	सामान्य
■	■	■	■

3.1 आपदा की प्रकृति एवं स्वरूप

(Hazard Profile)

आपदाएं, संकट तथा भेद्यता(vulnerability) का सयुक्त परिणाम होती हैं। यह तब प्रभावी होती हैं जब प्रभावित समुदाय अथवा व्यक्ति की किसी संकट से जूझने की योग्यता उनकी अनुकूलन क्षमता से बाहर चली जाती है। यह वह स्थिति है जिसमें मानव समुदाय अपने-आप को असहाय और असहज महसूस करने लगता है। जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाती है, मनुष्य हक्का-बक्का रह जाता है और कुछ समय के लिए किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है। परिणामस्वरूप बृहत् पैमाने पर जान-माल की क्षति होती है।

3.1.1 आपदा के प्रकार

बाढ़

जिले की मुख्य आपदा के तौर पर बाढ़ को संदर्भित किया जाता है, जिससे जिले की अधिकांश जनसंख्या प्रभावित होती है। जिला मधेपुरा कोसी के मैदान में स्थित है एवं एक लघु नदी दोआस से तीन तरफ से घिरा हुआ है। फलस्वरूप जिले का दक्षिणी

भाग प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहता है। जिले के कुल 13 अंचलों में से चौसा, आलमनगर, पुरैनी का अधिकांश भाग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। कभी-कभी सुरसर नदी में बाढ़ एवं अत्यधिक वर्षापात के कारण उसके अपवाह क्षेत्र में पड़ने वाले प्रखण्डों में बाढ़ की स्थिति बनती है। जब कोसी बेसिन के ऊपरी क्षेत्र में बांध टूटता है तभी मधेपुरा जनपद में बाढ़ की संभावना बनती है। वर्ष 2008 इसका उदाहरण है, जब नेपाल के कुसहा क्षेत्र में बांध टूटने के कारण कोसी नदी ने अपनी पुरानी धाराओं में बहते हुए जिले के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक सभी प्रखण्डों को पूर्ण या आंशिक रूप से प्रभावित किया था। 2008 में कुमारखण्ड, मुरलीगंज, ग्वालपाड़ा, उदाकिशुनगंज, आलमनगर, पुरैनी एवं चौसा बाढ़ आपदा से पूरी तरह प्रभावित हुए थे। जिले का नगरीय क्षेत्र भी 2008 की बाढ़ से अछूता नहीं रहा था और कई महीनों तक नगर के एक बड़े क्षेत्र में जल-जमाव की स्थिति बनी रही। प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले पंचायतों, गांवों एवं वार्डों से सम्बन्धित प्रतिवदेन को तालिका सं0 7 व 8 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-7 : बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के पंचायत एवं ग्रामों की संख्या से संबंधित प्रतिवदेन

क्र०	अंचल का नाम	बाढ़ प्रवण पंचायतों की संख्या	
		पूर्ण प्रवण	आंशिक प्रवण
पूर्ण प्रवण अंचल			
1	ग्वालपाड़ा	12	—
2	आलमनगर	14	—
3	शंकरपुर	09	—
4	उदाकिशुनगंज	16	—
आंशिक प्रवण अंचल			
5	सिंहेश्वर	05	01
6	कुमारखण्ड	11	10
7	मुरलीगंज	17	—
8	बिहारीगंज	03	09
9	पुरैनी	06	02
10	चौसा	08	02
11	मधेपुरा	09	06

स्रोत : जिला प्रशासन, मधेपुरा

तालिका 8: नगरीय क्षेत्र में बाढ़ प्रवण वार्डों की संख्या

क्र०	विवरण	वार्ड सं०
1	मधेपुरा शहरी क्षेत्र	4,5,6,21,24,25,26
2	मुरलीगंज शहरी क्षेत्र	1,2,3,9,13
3	पुरैनी शहरी क्षेत्र	3,6
4	चौसा शहरी क्षेत्र	3,8

स्रोत : जिला प्रशासन, मधेपुरा

आपदा संभाव्य मानचित्रण, केन्द्रित समूह चर्चा एवं द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर जिले में प्रखण्डवार बाढ़ आपदा की आवृत्ति को निम्नवत् तालिका सं० 9 तथा बाढ़ से होने वाले नुकसान को तालिका सं० 10 के माध्यम से देखा जा सकता है -

तालिका संख्या- 9 : प्रखण्डवार बाढ़ आपदा की आवृत्ति(1987-2021)

	प्रखण्ड	बाढ़ आपदा का वर्ष	आवृत्ति
1	चौसा	1987,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99,2000,01,02,03,04,06,07,08,10,14,16,17,19,20,21	27
2	आलमनगर	1987,88,90,91,93,94,95,96,97,98,99,2000,01,02,03,04,07,08,10,14,16,17,19,20,21	25
3	उदाकिशुनगंज	1987,88,89,90,93,95,98,2004,08,16,17	11
4	कुमारखण्ड	1987,88,89,90,95,98,2004,08,17	09
5	पुरैनी	1995,97,98,2002,04,07,08,16,17,20	10
6	मुरलीगंज	1987,89,90,95,98,2004,08,17	08
7	ग्वालपाड़ा	1995,97,98,99,2003,04,08,17	08
8	मधेपुरा	1987,90,95,98,2004,08,17	07
9	सिंहेश्वर	1987,90,95,98,2008,17	06
10	बिहारीगंज	1995,98,2004,08,17	05
11	शंकरपुर	1995,98,2008,17	04
12	गम्हरिया	1997	01


स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन विभाग, मधेपुरा

तालिका संख्या-10: जिला में बाढ़ से होने वाला नुकसान (1991-2021)

वर्ष	प्रभावित क्षेत्र - लाख हेक्टे0 में	प्रभावित जनसंख्या - लाख में	फसल क्षति		मकान क्षति		पशुधन क्षति - सं0 में	मानव क्षति	सार्वजनिक सम्पत्तियों की क्षति -लाख में	कुल फसलों, मकानों एवं सार्वजनिक ढांचों की क्षति- लाख रू0 में
			क्षेत्रफल- लाख हेक्टे0 में	मूल्य - लाख रू0 में	सं0	मूल्य (लाख में)				
1991	0.02	0.27	-	-	104	2.08	-	-	-	2.08
1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	0.11	0.62	0.02	42.61	27	1.00	-	3	-	43.61
1994	0.01	0.25	0.01	16.00	-	-	-	-	-	16.00
1995	0.25	3.21	0.08	255.90	2403	96.12	-	11	1.40	353.42
1996	0.27	1.13	0.1	21.00	167	4.50	-	2	-	25.50
1997	0.04	0.44	0.03	43.00	146	12.10	2	11	-	55.10
1998	0.14	2.62	0.13	911.38	-	-	-	-	-	911.38
1999	0.01	1.0	0.01	60.00	50	4.00	-	7	-	64.00
2000	0.005	0.47	0.003	0.80	-	-	-	-	-	0.80
2001	-	0.55	-	-	-	-	-	7	-	-
2002	0.250	0.79	0.60	48.00	37	7.00	2	1	59.40	114.40
2003	0.003	0.53	0.002	-	-	-	3	-	-	-
2004	1.03	5.14	0.49	4303.28	4790	-	42	18	565.75	4869.03
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	0.22	0.77	0.05	209.32	2100	86.40	-	19	10.00	305.72
2008	2.01	14.02	0.4	1660.26	129460	-	26539	272	32962.62	34622.88
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	25	-	-	5	-	-
2011	0.23	1.05	0.021	21.50	532	950.00	-	10	11.00	982.50
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	0.02	0.89	0.03	2901.38	295	10.83	-	14	-	2912.21
2017	0.99	4.08	0	0.00	217	0	0	0	0	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	0.83163	0.195968	938.667	-	-	-	-	-	-
2020	-	1.10235	0.943381	1524.827	-	-	-	-	-	-
2021	-	0.95524	0.252862	1456.407	-	-	-	-	-	-

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन विभाग, मधेपुरा

मानचित्र संख्या-7 : जिला में बाढ़ प्रवण प्रखण्ड



स्रोत : आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार के आंकड़ों पर आधारित

सुखाड़

वर्षा के अनिश्चितता के कारण सुखाड़ भी जिले को प्रभावित करती है। विगत 100 वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 1992 के बाद जिले में लगातार वर्षा की मात्रा औसत वार्षिक वर्षा से कम हो रही है, जो जिले में सूखे की स्थिति को बढ़ा रही है। भेद्यता विश्लेषण के दौरान समुदाय के लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जिले में वर्षा की मात्रा घटी है और हाल के वर्षों में वे बाढ़ की तुलना में सुखाड़ से अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

विगत 50 वर्षों में जिला 9 बार सुखाड़ से प्रभावित रहा है। इसमें वर्ष 1966, 1970, 1971, 1972, 1982, 2001, 2009, 2010 एवं 2013 प्रमुख हैं।

सुखाड़ का कुप्रभाव काफी लम्बे समय तक परिलक्षित होता है। सुखाड़ का प्रभाव आर्थिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक स्तरों पर पड़ता है। कृषि उत्पादन में कमी, मत्स्य संसाधन पर प्रतिकूल असर, रोजगार की कमी आदि आर्थिक कुप्रभाव हैं, जबकि भू-गर्भ जलस्तर में कमी, जलाशयों, नहरों आदि का सूखना, जैविक विविधताओं आदि पर पड़ने वाले प्रभाव पर्यावरणीय कुप्रभाव हैं। इन कुप्रभावों के चलते

जिले के छोटे, मझोले, सीमान्त व महिला किसानों की आय में गिरावट के फलस्वरूप बच्चों की शिक्षा, लालन-पालन, वैवाहिक कार्यक्रम आदि में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें भूमि, पशुधन आदि बेचना पड़ रहा है। इसके अलावा कुपोषण, भूखमरी तथा सामाजिक गरिमा में गिरावट व संसाधनों की कमी के कारण सामाजिक संघर्ष भी बढ़ रहा है और यही कारण है कि पलायन यहां एक मुख्य मुद्दा है।

अगलगी

अप्रैल, मई के महीनों में गर्मी के अत्यधिक बढ़ने से अगलगी की घटनाएं होने की आशंका बढ़ जाती है। विगत कुछ वर्षों में मधेपुरा जिला में आग लगने की अधिक घटनाएं सामने आने लगी हैं। वर्ष 2014 में अगलगी की घटनाओं से 108 परिवार व मकान प्रभावित हुए थे, जिसमें 2 पशु हताहत हुए थे। 2015-16 में अगलगी की 78 घटनाएं दर्ज की गयीं। वर्ष 2015-16 में जिला के अन्दर हुई अगलगी की घटनाओं को तालिका सं0 11 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 11: 2021-22 के अन्तर्गत जिला में अगलगी की घटनाएं

प्रखण्ड	घटनाओं की संख्या	गांव का नाम	प्रखण्ड	घटनाओं की संख्या	गांव का नाम		
मधेपुरा	01	भगवानपुर पूर्वी			बुधमा		
शंकरपुर	04	मौरा कबियाही	उदाकिशुनगंज	04	नेमुआ		
		जीरवा			मुरली टोला		
		बसंतपुर			शहजादपुर		
		रायभीर					
मुरलीगंज	04	धरहरा	पुरैनी	02	औराय		
		गंगापुर	चौसा	01	भटौनी		
		जीतापुर गम्हरिया			लौआलगान पूर्वी		
		न0 पंचायत, वार्ड-01			आलमनगर पूर्वी,		
रौता	कपसिया						
कुमारखण्ड	04	सिकरहटी	आलमनगर	08	बजराहा		
		बिसनपुर बाजार			खुरहान मल		
		लक्ष्मीपुर चण्डीस्थान			तुलसीयाही		
					फोरसाही		
ग्वालपाड़ा	02	टेमाभेला					फोरसाही खुरहान
		महाराजगंज					
बिहारीगंज	02	रही जगतपुर					गंगापुर
		पकिलपार					

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, मधेपुरा

समुदाय से बात-चीत एवं भेद्यता विश्लेषण के दौरान अगलगी के कारणों को जानने के क्रम में ज्ञात हुआ कि- सूखे मौसम में मनुष्यों की अपनी असावधानी के कारण बीड़ी, सिगरेट, माचिस आदि के जलते टुकड़ों से आग लग जाती है। अप्रैल-मई

में जब पछुआ हवा तेजी से चलती है, उस समय मानवीय लापरवाही या भूल के कारण एक चिंगारी से आग लग जाती है, जो फूस के मकान अधिक होने के कारण थोड़ी ही देर में एक आपदा के रूप में बदल जाती है।

आंधी-तूफान व ओलावृष्टि हाल-फिलहाल के वर्षों में अन्य आपदाओं के साथ आंधी-तूफान एवं ओलावृष्टि भी इस जिले को प्रभावित करने वाली एक बड़ी आपदा के रूप में सामने आयी है। विगत वर्ष 2015 के अप्रैल माह में

आयी आंधी-तूफान के कारण इस जिले के 13 प्रखण्डों में से 10 प्रखण्ड प्रभावित हुए थे। कुल प्रभावित 69 ग्राम पंचायतों में 15636 मकान क्षतिग्रस्त हुए। इस दौरान हुई क्षति को तालिका सं0 12 के माध्यम से इस प्रकार देखा जा सकता है -

तालिका 12 : वर्ष 2015 में जिला में आंधी-तूफान से हुई क्षति का ब्यौरा

प्रभावित प्रखण्डों की संख्या	10
प्रभावित पंचायतों की संख्या	69
पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान कच्चा	04
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान कच्चा	9086
क्षतिग्रस्त बरबाद झोपड़ियां	6546
कुल क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	15636
घर के साथ संलग्न पशुशेड	5163
जान - माल की क्षति - मनुष्य	08
जान - माल की क्षति - पशु	05
घायलों की संख्या	02
प्रभावित परिवारों की संख्या	15636
फसलों की क्षति - मक्का	2870 हेक्टेयर
गेंहू	13466 हेक्टेयर
क्षतिग्रस्त फसलों का कुल रकबा	16336 हेक्टेयर

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, मधेपुरा


भूकम्प

मधेपुरा जिला भूकम्प प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत बसा हुआ है और सिसमिक जोन मानचित्र के अनुसार जोन चार व पांच में आता है। जिले का उत्तरी हिस्सा जोन पांच और दक्षिणी हिस्सा जोन चार में आता है। अतः इन दोनों क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्माण गतिविधियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है तथा रेग्यूलेटरी तंत्र को और अधिक उन्नत बनाने की आवश्यकता है। साथ ही भूकम्प से बचाव हेतु पूर्व तैयारियों तथा भूकम्प आने की स्थिति में क्या करें, क्या न करें के ऊपर समुदाय स्तर पर व्यापक जागरूकता उत्पन्न कर नाजुक क्षेत्र में बसे समुदायों की भेद्यता को कम किया जा सकता है।

अनुलग्नक सं0 3 में जिले स्तर पर भूकम्प की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के भवनों की भेद्यता का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। श्री ए0एस0 आर्या ने 1934 में आये भूकम्प की तीव्रता से बिहार में हुए घरों के नुकसान का अध्ययन किया था। उसी अध्ययन पद्धति को आधार बनाकर जिला मधेपुरा में भूकम्प की संवेदनशीलता का विश्लेषण किया गया है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना के आधार पर प्रखण्डों में परिवारों की संख्या एवं घरों की बनावट के आंकड़ों के लेकर मानचित्र सं0 8 तैयार किया गया है। इस मानचित्र के आधार पर कहा जा सकता है कि भूकम्प की दृष्टि से कुमाखण्ड एवं मधेपुरा प्रखण्ड भूकम्प की दृष्टि से अधिक संवेदनशील हैं।

मानचित्र संख्या- 8 : जिला में भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील प्रखण्ड

MADHEPURA DISTRICT SEISMIC ZONES



स्रोत : भारतीय जनगणना, 2011 एवं श्रीए0एस0 आर्या के अध्ययन के आधार पर संकलित

मधेपुरा की जलवायु सामान्य थी, परन्तु पिछले 10-15 वर्षों में जलवायु परिवर्तन की घटनाओं एवं उनके पड़ने वाले प्रभावों के कारण इस जिले में अब गर्मियों के दिन लम्बे होने लगे हैं और भीषण गर्मी पड़ने लगी है। एक दशक पहले तक यहां के लोगों को लू का सामना नहीं करना पड़ता था, परन्तु अब लू चलना यहां के लिए सामान्य बात हो गयी है। अप्रैल से ही चलने वाली लू के कारण यहां का जन-जीवन प्रभावित होने लगा है। आम जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर परेशानियों का सामना करना

पड़ रहा है तथा खासकर स्कूली बच्चों एवं काम के लिए घर से बाहर निकलने वाले दिहाड़ी मजदूरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भीषण गर्मी एवं लू के शमन के उपायों पर भी चर्चा आवश्यक है।

पिछले पांच वर्षों में उपरोक्त विभिन्न आपदाओं के कारण हुई मानव क्षति का विवरण तालिका सं0 13 के माध्यम से निम्नवत् दिया जा रहा है -

तालिका 13 : विगत पांच वर्षों में जिला में विभिन्न आपदाओं के कारण हुई मानव क्षति का ब्यौरा							
वर्ष	बाढ़ के पानी से	सामूहिक दुर्घटना	बज्रपात	चक्रवातीय तूफान	नदी / पोखर / गढ़ा के पानी में डूबने से	अग्निकांड	विद्युत स्पर्शाघात
2013	—	—	—	01	26	02	12
2014	—	—	—	02	14	—	17
2015	08	10	02	06	14	00	06
2016	15	30	07	00	60	01	20
2017	30	17	03	00	07	02	03
2018	0	36	07	00	97	00	02
2019	0	53	04	00	108	00	04
2020	0	44	06	00	105	02	07
2021	0	59	05	00	119	01	03

स्रोत : आपदा प्रबन्धन विभाग, मधेपुरा

3.2 भेद्यता एवं जोखिम विश्लेषण

जिले के अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत हैं जहां जनसंख्या का दबाव अधिकतम होने के साथ ही संसाधनों की कमी भी है। यद्यपि बहुआपदा के प्रभाव क्षेत्र के सभी वर्गों में दिखाई देते हैं किन्तु अविकसित क्षेत्रों, जहां मकान एवं सड़क, नालियां, बांध आदि कच्चे हैं, वहां इनके परिवर्तन के प्रभाव प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेते हैं जिसके दुष्परिणाम से पूर्व में किये गये विकास कार्य भी परिलक्षित नहीं हो पाते हैं। भारी वर्षा से ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित समुदाय की बुनियादी सुविधाएं जैसे कृषि एवं आजीविका पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। निम्न तालिका सं0 14 के माध्यम से विभिन्न आपदाओं के संभावित समय, उससे प्रभावित होने वाले संसाधन, असुरक्षित सेक्टर एवं भेद्यता वाले प्रभावित प्रखण्डों को दर्शाया गया है—

तालिका संख्या-14 : बहु आपदा, भेद्यता एवं जोखिम वाले क्षेत्र

आपदाओं का प्रकार	संभावित माह	प्रभावित संसाधन	असुरक्षित सेक्टर	प्रभावित प्रखण्ड/पंचायत
बाढ़	15 जून से 15 अक्टूबर	मानव, पशु, फसल, अन्य सम्पत्ति, मकान	<ul style="list-style-type: none"> ▪ कृषि - फसल ▪ आवागमन - सड़क एवं पक्का निर्माण ▪ सम्पत्ति - कच्चा एवं पक्का मकान ▪ पेयजल - चापाकल, कुंआ, ट्यूबवेल ▪ पशुधन - भैंस, गाय, बैल, बकरी आदि ▪ सिंचाई - ट्यूबवेल, बिजली ▪ शैक्षणिक संस्थान - प्राथमिक स्कूल, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय एवं महा विद्यालय ▪ असुरक्षित आबादी - अपंग, वयोवृद्ध, गर्भवती महिला एवं बच्चे ▪ असुरक्षित सम्पत्ति - बांध, बागवानी, फलदार वृक्ष 	आलमनगर चौसा, उदाकिशुन गंज, कुमारखण्ड, मुरलीगंज, गवालपाड़ा, पुरैनी, मधेपुरा, सिंहेश्वर, बिहारीगंज शंकरपुर गम्हरिया
सूखा	15 जून से अक्टूबर	फसल, पशुधन एवं मानव की क्षति	मनुष्य, पशुधन तथा कच्चे एवं पक्के मकानों की क्षति, पुल-पुलिया, जिले में अवस्थित सभी दूरभाष केन्द्र	सम्पूर्ण जिला
भूकम्प	कोई निश्चित समय नहीं।	मकान, पशुधन, मनुष्य की क्षति	मनुष्य, पशुधन तथा कच्चे एवं पक्के मकानों की क्षति, पुल-पुलिया, जिले में अवस्थित सभी दूरभाष केन्द्र	सम्पूर्ण जिला
आगजनी	मार्च, अप्रैल, मई एवं मध्य जून	जन पशु एवं सम्पत्तियों का नुकसान	मानव सम्पत्ति (जान-माल) का नुकसान	गम्हरिया, घैलाढ़, कुमारखण्ड, गवालपाड़ा, चौसा, पुरैनी, मुरलीगंज
ओला वृष्टि	जनवरी, फरवरी, मार्च	फसल, मनुष्य, मकान एवं सम्पत्ति	फसल, जान-माल एवं फूस के मकानों की क्षति	सम्पूर्ण जिला
आंधी एवं तूफान	मार्च, अप्रैल, मई	फसल, सम्पत्ति, मनुष्य एवं पशुधन	फसल, सड़क, कच्चा एवं पक्का मकान, पशुधन, स्कूल एवं कालेज, संचार, विद्युत आपूर्ति एवं यातायात अपंग, वयोवृद्ध, बीमार, गर्भवती, महिला व बच्चे	सम्पूर्ण जिला
शीतलहर	दिसम्बर एवं जनवरी	मनुष्य, पशुधन तथा फसल की क्षति	मनुष्य, पशुधन तथा फसल की क्षति	सम्पूर्ण जिला
लू लगना	अप्रैल अन्तिम सप्ताह, पूरा मई एवं जून प्रथम सप्ताह	मानव क्षति	मानव	सम्पूर्ण जिला
शीतलहर	दिसम्बर एवं जनवरी	मनुष्य, पशुधन तथा फसल की क्षति	मनुष्य, पशुधन तथा फसल	सम्पूर्ण जिला
ठनका	अगस्त-सितम्बर मार्च-अप्रैल	मानव, पशुधन क्षति	मानव एवं पशुधन	सम्पूर्ण जिला
बिजली का करण्ट लगना	पूरे वर्ष	मानव एवं पशुधन क्षति	मानव व पशुधन	सम्पूर्ण जिला
सड़क दुर्घटना	पूरे वर्ष	मानव क्षति	मानव	सम्पूर्ण जिला
नाव दुर्घटना	जून-सितम्बर	मानव क्षति	मानव	सम्पूर्ण जिला
संकामक बीमारियां	जुलाई-नवम्बर	मानव एवं पशुधन क्षति	मानव विशेषकर छोटे बच्चे, जानवर	सम्पूर्ण जिला
डूबने की घटनाएं	पूरे वर्ष	मानव क्षति	मानव	सम्पूर्ण जिला

स्रोत : विभागीय एवं सामुदायिक बैठकें

भारत सरकार के बीएमटीपीसी संस्था द्वारा जारी भेद्यता एटलस देश के विभिन्न जिलों की भेद्यता एवं जोखिम का आकलन बाढ़, भूकम्प, आंधी-तूफान के सन्दर्भ में किया है। इसके अन्तर्गत घरों की बनावट, उसमें प्रयुक्त सामग्री एवं दीवाल, छत आदि के आधार पर उपरोक्त आपदाओं के आधार पर किया है। इसी रिपोर्ट के सन्दर्भ में 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों व घरों की विशेषताओं के आधार पर जिले में घरों की भेद्यता का विश्लेषण किया गया (अनुलग्नक 3) है।

आपदा के प्रभाव एवं समुदाय का भेद्यता विश्लेषण जिले के अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत है, जहां जनसंख्या का दबाव अधिकतम होने के साथ ही संसाधनों की कमी भी है। यद्यपि आपदा का प्रभाव क्षेत्र के सभी वर्गों में दिखाई देता है, किन्तु अविकसित क्षेत्रों, जहां मकान एवं सड़क, नालियां, बांधें आदि कच्चे हैं, वहां इनके परिवर्तन के प्रभाव प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेते हैं, जिसके दुष्परिणाम से पूर्व में किये गये विकास कार्य भी नहीं दिख पाते हैं। भारी वर्षा से ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित समुदाय की बुनियादी सुविधाएं जैसे आजीविका पूर्ण रूप से प्रभावित होती है।

कृषि इस जनपद में निवास करने वाले समुदाय की मुख्य आजीविका है, परन्तु संसाधनों की कमी के कारण यह भी पूर्णतः जलवायु पर आधारित ही है। अनिश्चित वर्षा, जलजमाव, बाढ़, सूखा और ठनका जैसी प्राकृतिक आपदाएं जहां ग्रामीण स्तर पर वंचित समुदायों की आजीविका को असुरक्षित करती हैं, वहीं राज्य स्तर पर गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समानता व न्याय व्यवस्था जैसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को भी प्रभावित करते हैं। आपदा से प्रभावित समुदायों का संकट दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है और वे वंचित से अति वंचित श्रेणी में शामिल होते जा रहे हैं।

मधेपुरा बाढ़ प्रभावित जिला की श्रेणी में शामिल है। परन्तु, यह भी उल्लेखनीय है कि बाढ़ की दृष्टि से इसकी अपनी भेद्यता न्यून है, जबकि आस-पास के जिलों –सुपौल, सहरसा तथा कोसी नदी के ऊपरी क्षेत्र अर्थात् नेपाल में नदी के ऊपर बने पूर्वी तटबन्ध के कुछ विशेष हिस्से के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में इसका जोखिम बढ़ जाने की पूरी संभावना रहती है। इस प्रकार ये परिस्थितियां इस जिले की भेद्यता का निर्धारण करती है। इसका ज्वलन्त उदाहरण 2008 की कोसी नदी में आयी बाढ़ है, जब नेपाल क्षेत्र (कुसहा) में बांध टूटने पर नदी अपने पुरानी छाड़न धाराओं को पकड़कर 110 किमी० पूर्व से प्रवाहित होने लगी, जिसके कारण मधेपुरा का कुमारखण्ड, मुरलीगंज, बिहारीगंज, उदाकिशुनगंज, पुरैनी,

आलमनगर व चौसा गंभीर रूप से बाढ़ से प्रभावित हुए और जन-धन की भारी क्षति हुई थी।

इस आपदा योजना बनाने के दौरान क्षेत्र भ्रमण एवं समुदाय चर्चा करने के बाद बाढ़ आपदा के सन्दर्भ में जिले की भेद्यता एवं नाजुक क्षेत्रों का विश्लेषण दो परिदृश्यों के आधार पर किया गया –

वर्तमान परिदृश्य में भेद्यता के क्षेत्र पूर्व में आयी बाढ़ आपदाओं के आधार पर पूरे जिले के नाजुक क्षेत्रों को निम्न तीन क्षेत्रों में बांटकर उनकी भेद्यता का आकलन कर सकते हैं –

- **कोसी नदी से सटे क्षेत्र/ग्राम पंचायत**
परम्परागत रूप से जिले के दक्षिणी प्रखण्ड—आलमनगर, चौसा, पुरैनी के लगभग 30 ग्राम पंचायत सबसे नाजुक क्षेत्र हैं। पूर्वी कोसी तटबंध का विस्तार इन क्षेत्रों में न होने के कारण प्रत्येक वर्ष जिले का यह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। यहाँ के लोग 5-6 सप्ताहों के लिए कहीं किसी अस्थायी आश्रय में या फिर सड़क व ऊचे स्थानों पर आकर शरण लेते हैं।
- **कोसी नदी की छाड़न धाराओं में पड़ने वाले क्षेत्र/ग्राम पंचायत**
वैसे सम्पूर्ण मधेपुरा कोसी की छाड़न धाराओं से आच्छादित है। इन धाराओं के समीप वाले गांव इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। इन गांवों के सामने सबसे बड़ा जोखिम यह रहता है कि अगर ऊपरी क्षेत्र (नेपाल) में बांध टूट गये तो उस स्थिति में ये गांव पूर्णतया जलमग्न हो जायेंगे। अतः ऊपरी क्षेत्र के तटबंधों के कमजोर होने या उनके खराब रख-रखाव तथा नदी का प्रवाह बढ़ने के कारण इन गाँवों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
- **जल-जमाव वाले क्षेत्र**
जिले के पश्चिमी भाग में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जो नीची भूमि पर बसे हुए हैं। इनमें घैलाढ़ प्रखण्ड के अन्तर्गत पड़ने वाले कुछ पंचायत आते हैं। इन पंचायतों या गाँवों में जल जमाव एक सामान्य स्थिति है। यहां जल जमाव महीनों तक रहता है। सड़कों में पर्याप्त कलवर्ट का अभाव या पुलों की कम चौड़ाई प्राकृतिक जल बहाव के रास्ते को बाधित करता है जिससे पानी महीनों तक ठहर जाता है।

परिदृश्य आधारित विश्लेषण (Scenario based analysis)(पूर्वी कोसी तटबंध के 10-25 किमी० की दूरी में कहीं भी टूटने की दशा में)

दस्तावेज के अन्तर्गत तालिका सं० 13 में मधेपुरा जिला के बाढ़ प्रभावित प्रखण्डों तथा वर्ष 1987 से वर्ष 2016 तक प्रखण्डवार बाढ़ आपदा की आवृत्ति के अनुसार स्पष्ट रूप से इंगित होता है कि जिला के सभी 12 प्रखण्डों में बाढ़ का प्रकोप अवश्य रहा है। इस तालिका से स्पष्ट प्रदर्शित होता है कि चौसा व आलमनगर जिले के सबसे निचले क्षेत्र में बसे होने के कारण सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित प्रखण्ड की श्रेणी में आते हैं, जहां लोगों को वर्ष 1987 से लेकर 2016 तक क्रमशः 21 व 19 बार बाढ़ आपदा का सामना करना पड़ा है। उपरोक्त तालिका के अनुसार गम्हरिया, शंकरपुर, बिहारीगंज, मधेपुरा प्रखण्ड सबसे कम प्रभावितों की श्रेणी में शामिल हैं। परन्तु, 2008 में कोसी नदी के ऊपरी क्षेत्र में कुसहा में बांध टूटने के दौरान स्थितियां ठीक इसके विपरीत पायी गयी। 2008 की बाढ़ में कोसी क्षेत्र में मधेपुरा सर्वाधिक आपदा प्रभावित जिला रहा। इस वर्ष जिले के वे प्रखण्ड ज्यादा प्रभावित हुए जो सामान्यतः अन्य वर्षों में कम प्रभावित या अप्रभावित रहते थे। अतः इन विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भी आपदा एवं उससे प्रभावित प्रखण्डों/क्षेत्रों का विश्लेषण करने की आवश्यकता महसूस की गयी।

इन सबके साथ एक बात यह भी ध्यान में रखने की है कि मधेपुरा जिला में बाढ़ से बचाव हेतु कोई तटबंध नहीं है, परन्तु निकटवर्ती जिलों – सुपौल, सहरसा में बाढ़ से सुरक्षा हेतु बनाये गये तटबंधों में अगर कहीं भी कोई टूट-फूट होती है, तो उस दशा में मधेपुरा की भेद्यता बढ़ जायेगी। भेद्यता विश्लेषण के दौरान समुदाय व सरकार के साथ की गयी चर्चा तथा सेटेलाइट इमेज के माध्यम से यह भी जानने का प्रयास किया गया कि कोसी नदी के बहाव की प्रवृत्ति क्या है? इस विश्लेषण के दौरान निकलकर आया कि 10 से 25 किमी० के अन्तर्गत कोसी नदी पूर्वी तटबंध के समीप से होकर बहती है और जैसा कि कोसी नदी की प्रवृत्ति चंचला है, उसके अनुसार कोसी नदी का मार्ग परिवर्तन तेजी से होता है। अपनी इस प्रकृति के अनुरूप यदि नदी ने कटान करना प्रारम्भ कर दिया और 10 से 25 किमी० के बीच में कहीं पर भी तटबन्ध टूटता है अथवा तटबन्ध में रिसाव होता है तो जिले के गम्हरिया, कुमारखण्ड, शंकरपुर, सिंहेश्वर व मधेपुरा प्रखण्ड एवं नगर परिषद को सर्वाधिक नुकसान पहुंचने की संभावना होगी। सेटेलाइट इमेज व माइक्रो वाटरशेड की सीमाओं को लेकर इस परिदृश्य को समझने का प्रयास किया गया, जिसे मानचित्र सं० 9 में दर्शाया गया है। साथ ही संभावित प्रभावित होने वाले प्रखण्डों एवं उससे सम्बन्धित विवरण को निम्न तालिका सं० 15 के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, जो निम्नवत् है –

तालिका सं० 15 : संभावित बाढ़ प्रवण क्षेत्रफल एवं जनसंख्या

प्रखण्ड	गांवों की सं०	क्षेत्रफल (हेक्टे में)	परिवारों की संख्या	जनसंख्या
गम्हरिया	08	6397	14029	72069
कुमारखण्ड	01	3920	7215	31628
मधेपुरा	32	10407	44427	215419
शंकरपुर	08	106196	21882	104339
सिंहेश्वर	25	8525	23247	114520
कुल योग	74	135445	110800	537975

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट इंगित होता है कि अगर तटबन्ध के उक्त कि०मी० में कहीं भी जोखिम उत्पन्न होगा तो मधेपुरा जिला की 5-6 लाख जनसंख्या प्रभावित होगी, जो जिला की कुल आबादी का 26-28 प्रतिशत होगा। विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि मधेपुरा प्रखण्ड व नगर परिषद संभावित बाढ़ आपदा की दृष्टि से अधिक नाजुक होंगे और तटबन्ध टूटने या रिसाव होने की स्थिति में 2-3 लाख जनता के प्रभावित होने की संभावना होगी। इसके साथ ही लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित होगा जिससे निश्चित तौर पर इनकी खेती एवं खेती से जुड़ी अन्य आजीविका प्रभावित होने की पूरी संभावना होगी।

स्रोत : आपदा प्रबन्धन विभाग, मधेपुरा
उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि 10 से 25 कि०मी० के बीच तटबन्ध पर खतरा होने से सर्वाधिक प्रभाव मधेपुरा शहर पर पड़ेगा और आंकड़ों के अनुसार 10-12 हजार परिवारों के लगभग 60 हजार (अनुलग्नक 4) लोग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होंगे। इसके साथ ही विभिन्न बुनियादी सुविधाओं— स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, शिक्षा आदि पर भी गम्भीर असर पड़ेगा। शहर के बाढ़ आपदा से प्रभावित होने की स्थिति में सरकारी मशीनरी पर भी व्यापक असर पड़ेगा, जिससे मधेपुरा जिला के विकास की गति भी प्रभावित होगी।

इन क्षेत्रों में बाढ़ की संवेदनशीलता मुख्य रूप से लोगों के जीवन के निम्न पहलुओं को व्यापक रूप से प्रभावित करती है –

✓ आजीविका

जिले में कृषि एवं पशुपालन आजीविका के मुख्य आधार हैं। जिले के दक्षिणी भाग में किसी भी तरह का तटबंध न होने के कारण चौसा, आलमनगर और पुरैनी प्रखण्ड प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। जिले के अन्य प्रखण्डों में बाढ़ की अनिश्चितता के चलते भी कृषि के प्रति लोगों की उदासीनता बढ़ती जा रही है। 2008 की बाढ़ के दौरान कोसी नदी द्वारा छोड़े गये सिल्ट से लोगों के खेतों में पूरा सिल्ट जमा हो गया और परम्परागत खेती प्रभावित हुई और लोग देश के दूसरे क्षेत्रों – पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मुम्बई आदि राज्यों में जाकर मजदूरी करने को बाध्य हैं।

✓ पशुपालन

पशुधन भी लोगों की आजीविका का मुख्य आधार रहा है। लेकिन, कोसी नदी के बार-बार कटाव के कारण खेती की जमीनें कम होती गयीं, जिसका सीधा असर पशुओं के चारागाह पर पड़ा और चारे की कमी होती गयी, जिसके कारण पशुपालन के प्रति लोगों की रुचि घटती जा रही है। इसके अतिरिक्त बढ़ते जल-जमाव व पशुओं में नित नयी बीमारियों आदि के कारण भी पशुपालन में काफी कमी आयी है।


✓ शिक्षा

शिक्षा के मामले में पहले से ही निर्धन यह आपदाग्रस्त क्षेत्र आपदाओं के दिनों में और भी आपदाग्रस्त हो जाता है। आजीविका के अभाव में लोग शिक्षा के प्रति उदासीन हैं। उनकी प्राथमिकता आजीविका तलाशने और पेट भरने की होती है। ऐसे में शिक्षा के लिए अपने बच्चों

को स्कूल भेजना उनके लिए बहुत मायने नहीं रखता है। इसके अतिरिक्त गांवों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति भी शिक्षा के प्रति लोगों की उदासीनता का एक प्रमुख कारण है।

✓ स्वास्थ्य

बाढ़ आपदा के दौरान एवं उसके बाद सबसे बड़ी समस्या लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी होती है। बाढ़ के दौरान पीने के लिए साफ पानी की उपलब्धता न होने की वजह से जल जनित बीमारियों से अधिक ग्रसित रहते हैं। साफ-सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण विशेषकर महिलाओं एवं किशोरियों को संक्रामक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को त्वचा सम्बन्धी व पेट से जुड़ी बीमारियां अधिक होती हैं। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो बाढ़ आपदा के दौरान यह नगण्य होती है।



आधार पर

3.3 क्षमता आकलन

विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु प्रशासन व समुदाय के पास उपलब्ध क्षमताओं का आकलन करने के उद्देश्य से मधेपुरा जिले के सभी 13 प्रखण्डों के चयनित ग्राम पंचायतों में समुदाय के साथ चर्चा की गयी। साथ ही जिले से लेकर प्रखण्ड स्तर तक के

प्रशासनिक ढांचों के साथ समय-समय पर बैठकें की गयीं। चर्चा एवं उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह विदित होता है कि मधेपुरा जिला के पास छोटे स्तर की आपदाओं से निपटने हेतु मानव एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं। बाढ़ व अगलगी यहां की एक

प्रमुख समस्या है और इन आपदाओं से निपटने हेतु जिला प्रशासन के पास उपलब्ध सामग्रियों/भौतिक एवं मानव संसाधनों की संख्या निम्नवत् तालिका सं0 16 में दी गयी है-

तालिका संख्या-16 : आपदाओं से निपटने हेतु जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधन*

क्रमांक	विवरण / सामग्री	संख्या
1	वर्षामापी यंत्र	13
2	सरकारी नाव	30
3	निजी नाव	108
4	एफ0आर0पी0 बोट	02
5	लाइफ जैकेट	199
6	पालीथीन शीट्स	5000
7	जी0पी0एस0 सेट	19
8	टेण्ट	1200
9	महाजाल	02
10	इनफ्लेटेबुल मोटरबोट	18
11	इनफ्लेटेबुल लाइट	01
12	होमगार्ड्स (तैराकों की सूची) *	08
13	प्रशिक्षित मोटरबोट चालक*	10
14	प्रशिक्षित गोताखोर(समुदाय) *	17
15	नाव, नाव मालिकों एवं नाविकों की सूची*	138
16	प्रशिक्षित नाव चालकों की सूची*	10
17	खोज एवं बचाव दल की सूची*	22
18	नेहरू युवा केन्द्र से सम्बद्ध स्वयंसेवकों की सूची*	19
19	प्रशिक्षित क्विक मेडिकल रिस्पान्स टीम की सूची*	05
14	भारी कुल्हाड़ी	02
15	रबर के दस्ताने (25000 वोल्ट तक के लिए परीक्षित)	01
16	क्रो बार	02
17	हेलमेट	03
18	पिक कुल्हाड़ी	01
19	कुल्हाड़ी	01
20	डोर ब्रेकर	01
21	सीलिंग हुक	01
22	हैण्ड टूल सेट	03
23	बी0ए0 सेट	02
24	रस्सी	04(50 व 20 मी0 के दो-दो टुकड़े)
25	होज / होज फिटिंग	26
26	एक्सटेंशन सीढ़ी	02
27	रस्सी की सीढ़ी	01
28	एबीसी टाइप	04
29	फायर टेण्डर	02
30	टर्न टेबल सीढ़ी	01
31	वाटर फिल्टर	01

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, मधेपुरा

* विस्तृत सूची अनुलग्नक-5 में उपलब्ध है।

बाढ़ आपदा से निपटने हेतु त्वरित रिस्पान्स के लिए जिले स्तर पर पर्याप्त संख्या में मानव शरणस्थली उपलब्ध हैं। जिले में विभिन्न क्षमताओं वाले कुल 91

मानव शरणस्थली हैं। अंचलवार विभिन्न क्षमताओं वाली मानव शरणस्थली की उपलब्धता को विवरण तालिका सं0 17 के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-17 : अंचलवार मानव शरणस्थली हेतु उंचे स्थल*

क्रमांक	अंचल	शरणस्थली की संख्या
1	उदाकिशुनगंज	38
2	चौसा	18
3	ग्वालपाड़ा	12
4	बिहारीगंज	08
5	पुरैनी	08
6	आलमनगर	17
7	मधेपुरा	17
8	घैलाढ़	02
9	सिंहेश्वर	07
10	गम्हरिया	02
11	शंकरपुर	09
12	कुमारखण्ड	11
13	मुरलीगंज	09
कुल		158

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, मधेपुरा

* विस्तृत सूची अनुलग्नक-6 में उपलब्ध है।

इसी प्रकार सुखाड़ आपदा से निपटने हेतु जिले के अंचलों में पशु शरणस्थलियों को चिन्हित किया गया है। जिले में कुल 39 पशु

शरणस्थली हैं, जिन्हें अंचलवार तालिका सं0 18 के माध्यम से दर्शाया गया है -

तालिका संख्या-18 : अंचलवार पशु शरणस्थली हेतु उंचे स्थल*

क्रमांक	प्रखण्ड	शरणस्थली की संख्या
1	मधेपुरा	04
2	सिंहेश्वर	04
3	गम्हरिया	03
4	घैलाढ़	03
5	शंकरपुर	04
6	मुरलीगंज	07
7	कुमारखण्ड	04
8	ग्वालपाड़ा	06
9	उदाकिशुनगंज	03
10	पुरैनी	03
11	आलमनगर	03
12	बिहारीगंज	03
13	चौसा	03
कुल		50

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, मधेपुरा

* विस्तृत सूची अनुलग्नक-6 में उपलब्ध है।

बाढ़, भूकम्प, अगलगी एवं अन्य आपदाओं के दौरान व बाद में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं विशेष रूप से उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं से निपटने हेतु जिले

में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का विवरण निम्नवत् तालिका सं0 19 में दिया गया है-

तालिका संख्या- 19 : मधेपुरा जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य केन्द्र

क्रमांक	स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण	संख्या
1	उप स्वास्थ्य केन्द्र	273
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	36
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	0
4	उप जिला अस्पताल	0
5	जिला अस्पताल	03
कुल योग		312

स्रोत : स्वास्थ्य विभाग, मधेपुरा

*विस्तृत विवरण अनुलग्नक- 7 में दिया गया है।

जिले में पशु चिकित्सा के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् तालिका सं0 20 में दिया गया है-

तालिका संख्या- 20 : पशु चिकित्सा से सम्बन्धित विवरण

क्रमांक	स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण	संख्या
1	प्रखण्ड स्तर पर उपलब्ध पशु चिकित्सा केन्द्र*	13

स्रोत : पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, मधेपुरा

*विस्तृत विवरण अनुलग्नक- 8 में दिया गया है।

मधेपुरा में अगलगी आपदा से बचाव हेतु भी पर्याप्त संसाधन दिये गये हैं। जिले के अन्दर अग्निशमन विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों का विवरण अनुलग्नक 9 में दिया गया है।

बनाये रखने, आपदा के दौरान सामाजिक सुरक्षा को यथावत् बनाने तथा सुरक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यों को सम्पादित किया जाता है। पुलिस थानों से सम्बन्धित विवरण निम्न तालिका सं0 21 के माध्यम से प्रदर्शित है-

जिले में कुल 16 पुलिस थानों के माध्यम से आपदा के पूर्व, दौरान एवं बाद में जिले में कानून व्यवस्था

तालिका संख्या- 21 : जिला में पुलिस थाना

पुलिस थाना	संख्या
मधेपुरा, सिंहेश्वर, गम्हरिया, घैलाढ, शंकरपुर, मुरलीगंज, कुमारखण्ड, श्रीनगर, महिला थाना, उदाकिशुनगंज, चौसा, आलमनगर, बिहारीगंज, पुरैनी, ग्वालपाड़ा, एससी/एसटी थाना	16

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, मधेपुरा

अध्याय : 4

संस्थागत व्यवस्था

(Institutional Arrangement)

राष्ट्रीय, राज्य एवं जनपद स्तर पर प्रभावी आपदा प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत संस्थागत व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर आपदाओं के प्रबन्धन हेतु भी कुछ संस्थाएं क्रियाशील हैं। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 बनने के साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) का गठन हुआ। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का दृष्टिकोण सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी आधारित और टिकाऊ रणनीति से "सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत" का निर्माण करना तथा रोक-थाम, तैयारी और न्यूनीकरण की संस्कृति को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में आपदा प्रबन्धन के महत्व को मान्यता देने हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा अगस्त 1999 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया और गुजरात में आये भूकम्प के बाद राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य आपदा योजनाओं तथा आपदा को कम करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करने की सिफारिश करना था।

आपदा रिस्पान्स, राहत, शमन एवं पुनर्प्राप्ति के लिए जिले में सुस्थापित संस्थागत एवं नीति निर्माण तंत्र कार्यरत है। ये तंत्र अभी तक इन कामों में मजबूत एवं प्रभावी साबित हुए हैं। जिले में आपदा प्रबन्धन हेतु प्रमुख हितधारक— जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जिला इमरजेंसी आपरेशन सेण्टर, लाइन डिपार्टमेंट्स, स्थानीय प्रशासन, स्वैच्छिक एवं सामुदायिक संगठन, अन्य विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत निजी संगठन एवं समुदाय इत्यादि हैं।

4.1 जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार द्वारा जिले में "जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण" का गठन किया गया है, जिसके निम्न सदस्य हैं

- (i) जिला पदाधिकारी/जिला समाहर्ता—पदेन अध्यक्ष
- (ii) अध्यक्ष जिला परिषद—सह—अध्यक्ष
- (iii) पुलिस अधीक्षक—पदेन सदस्य
- (iv) मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी— पदेन सदस्य

(v) उप विकास आयुक्त—पदेन सदस्य

(vi) अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य) —पदेन सदस्य

(vii) जिला के वरीयतम अभियंता—पदेन सदस्य

अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य) जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं। अधिनियम की धारा 27 के अनुसार जिला प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर होती है। योजना में आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्यो का उल्लेख (अनुलग्नक 10) में किया गया है।

4.2 पंचायती राज संस्थाएं

जिले में जिला परिषद एक स्थानीय सरकारी निकाय है, जो जिले के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन से सम्बन्धित मामले देखता है और इसका मुख्यालय जिला में है।

पंचायती राज संस्था के जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र के विकास की योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराते हैं। बिहार डी0आर0आर0 रोडमैप में "सुरक्षित गांव" के घटक के अन्तर्गत पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबन्धन योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपदा की स्थानीय प्रकृति एवं उसके अनुरूप राहत एवं बचाव कार्यो में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने हेतु इन पंचायत प्रतिनिधियों विशेषकर मुखिया/सरपंच की क्षमता वर्धन होना आवश्यक है। इस दिशा में पहल करते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में मुखिया/सरपंचों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन के ऊपर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण दिया गया। इसी क्रम में मधेपुरा जिला में कुल 25 मुखिया एवं सरपंचों (अनुलग्नक11) को उपरोक्त विषय पर मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित किया गया। उल्लेखनीय होगा कि पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय समुदाय द्वारा ही निर्वाचित होते हैं और उनका स्थानीय समुदाय पर विशिष्ट प्रभाव भी होता है। पंचायत प्रतिनिधियों को आपदा प्रबन्धन के विषयों पर जागरूक एवं क्षमतावान बनाने से स्थानीय समुदाय पर इसका

प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा और आपदा प्रबन्धन की दिशा में प्रभावी कार्य किये जा सकेंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि आपदा से प्रभावित होने वाले समुदाय की भेद्यता को समझने तथा उसके अनुरूप प्रभावी प्रबन्धन करने की दिशा में ग्राम सभा एवं पंचायत प्रतिनिधियों का जागरूक होना आवश्यक है।

जिले में ग्राम स्तर पर पंचायती राज संगठन के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित निम्न समितियाँ/दल हो सकते हैं –

- ग्राम पंचायत आपदा प्रबन्धन समिति
- ग्राम पंचायत शिक्षा समिति
- ग्राम पंचायत स्वास्थ्य समिति
- ग्राम पंचायत पशुधन प्रबन्धन समिति
- ग्राम पंचायत शरणस्थल समिति
- ग्राम पंचायत खोज एवं बचाव समिति
- ग्राम पंचायत खाद्य एवं पोषाहार समिति
- ग्राम पंचायत सामाजिक संरक्षण समिति

पंचायतीराज संगठन द्वारा रोक-थाम, शमन, पूर्व तैयारी, रिस्पान्स एवं पुनर्प्राप्ति हेतु किये जाने वाले कार्य –

- आपदा प्रबन्धन समिति का गठन करना।
- आपदा एवं उससे बचाव के उपायों पर समुदाय में जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
- स्थानीय स्तर पर आपदाओं की पहचान करना एवं उसके अनुरूप ग्राम आपदा प्रबन्धन कार्य योजना बनाना।
- आपदा दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करना।
- आपदा प्रभावित क्षेत्रों से समुदाय को बाहर निकालने में सहयोग करना।
- आपदा के बाद विस्थापित परिवारों को पुनर्स्थापित करने में सहयोग करना।
- ग्राम्य स्तर पर विकास कार्यों में आपदा प्रबन्धन के तत्वों को शामिल करना।

4.3 सामुदायिक संगठन

समुदाय आधारित संगठन/स्वैच्छिक आपदा प्रबन्धन की दिशा में सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोक-थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी के उपायों के सफल क्रियान्वयन में सेतु का काम करते हैं। साथ ही रिस्पान्स के दौरान वास्तविक प्रभावितों तक सरकार

की पहुंच बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वैच्छिक संगठनों का समुदाय के साथ सीधा संवाद होता है। अतः आपदा प्रबन्धन के उपायों को जनता तक पहुंचाने एवं उन्हें जागरूक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आपदा पूर्व रोक-थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी के चरण के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से समुदाय का क्षमतावर्धन कार्य ये समुदाय आधारित संगठन/स्वैच्छिक संगठन बखूबी करते हैं और कर सकते हैं। आपदा के दौरान के चरणों में सरकार द्वारा चलाये जा रहे राहत कार्यों/सामग्रियों को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। आपदा के प्रभावों को कम करने की दिशा में सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव सुनिश्चित कर सकते हैं।

स्वैच्छिक संगठनों के अन्य कार्यों में अस्पताल में सेवाएं देना, ब्लड बैंक संचालित करना, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, मातृत्व, बाल एवं परिवार कल्याण, नर्सिंग, छुआछूत एवं संक्रामक बीमारियों से बचाव व रोक-थाम के उपाय, अगलगी, बाढ़ आदि से बचाव के उपायों पर जागरूकता प्रसारित करना शामिल है।

जिले में आपदा प्रबन्धन की दिशा जमीनी स्तर पर समुदाय के साथ जुड़कर काम करने वाली कुछ स्वैच्छिक संगठनों की सूची (अनुलग्नक 12) में दी गयी है।

4.4 जिला इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर

समाहरणालय में इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर स्थापित है। इसके प्रभारी अपर समाहर्ता आपदा हैं। यह केन्द्र 24X7, तीन पालियों में प्रातः 06:00 से दोपहर 02:00 तक, दोपहर 02:00 बजे रात्रि 10:00 बजे तक एवं रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक काम करता है। प्रत्येक पाली में एक प्रशासनिक पदाधिकारी प्रभार में रहते हैं, जिनके अधीनस्थ आई0टी0 ब्याय, डेटा इण्ट्री ऑपरैटर एवं प्रोग्रामर रहते हैं, जो राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, आई0एम0डी0, केन्द्रीय जल आयोग, इसरो, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आदि संस्थाओं से जानकारीयां प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही करते हैं।

इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सुविधायें

इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर के कार्यालय में निर्वाध विद्युत आपूर्ति, वायरलेस सेट, टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीविजन, कम्प्यूटर, अधिकारियों/कर्मचारियों के बैठने एवं कार्य संपादन हेतु आवश्यक सामग्री, शौचालय, पेयजल, पर्याप्त स्टेशनरी, डिस्प्ले बोर्ड, टेलीफोन डाइरेक्ट्री इत्यादि सुविधायें अनिवार्य रूप

से उपलब्ध होनी चाहिए। इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर को सुचारु रूप से चलाने के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के

अनुसार निम्न सामग्रियों/उपस्करों की न्यूनतम आवश्यकता होनी आवश्यक है (तालिका सं० 22)–

तालिका संख्या- 22 : इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर हेतु आवश्यक संसाधन

क्रमांक	सामग्री का नाम	संख्या
1	डेस्कटाप कम्प्यूटर	03
2	मेज	04
3	रिवाल्विंग कुर्सी	04
4	कार्यालय के लिए अतिरिक्त कुर्सी	04
5	ई0ओ0सी0 ईचार्ज के लिए मेज	01
6	ई0ओ0सी0 ईचार्ज के लिए रिवाल्विंग कुर्सी	01
7	आगन्तुकों के लिए कुर्सी	04
8	12 लोगों के लिए बैठक करने हेतु मेज	01
9	बैठक मेज हेतु 12 रिवाल्विंग कुर्सी	12
10	बैठक हाल के लिए अतिरिक्त कुर्सी	10
11	लेजरजेट प्रिण्टर	02
12	बैठक हाल के लिए प्रोजेक्टर	01
13	32 इंची एल0ई0डी0 टी0वी	01
14	फोटोस्टेट मशीन	01
15	अलग टेलीफोन नं० सहित फैक्स मशीन	01
16	इण्टरनेट कनेक्शन के साथ लैण्डलाइन टेलीफोन	01
17	सभी 38 जिला इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टरों में मल्टीपार्टी आडियो व वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली	01
18	टेलीफोन सेट	02
19	टीवी के लिए केबल कनेक्शन	01
20	आलमारी	02
21	यू0पी0एस0	01
22	ए0सी0(1.5 टन का)	03
23	स्टेशनरी (आवश्यकतानुसार)	
24	स्कैनर	01
25	पंखा	07
26	ट्यूबलाइट	06
27	एल0ई0डी0 बल्ब	10

स्रोत : अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश पत्रांक सं० 1982 दिनांक 10.7.2017

आपदा के विभिन्न चरणों में इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर की भूमिका

इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर द्वारा किये जाने वाले कार्यों को दो भागों में बांटकर देख सकते हैं–

सामान्य समय में –

- समस्त सहयोगी विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुये आपदा न्यूनीकरण हेतु आवश्यक आंकड़ों का नियमित रूप से एकत्रीकरण करना, डिजिटाइजेशन करना।
- आंकड़ों को आई0डी0आर0एन0/एस0डी0आर0एन0 वेबसाइट पर अद्यतन कराने में एन0आई0सी0 को सहयोग करना।
- समस्त हितभागियों (विभागों, स्वैच्छिक संगठनों, निजी एजेन्सियों) के साथ समन्वय स्थापित कर

समय-समय पर बैठकें आयोजित करना ताकि उनकी भूमिका एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

- जिला पदाधिकारी/आपदा प्रभारी के निर्देशन में प्रोग्राम प्रोफेशनल द्वारा आपदा न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी के उपायों को सुनिश्चित करना।
- जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना।
- सुनिश्चित करना कि आपदा के दौरान प्रयोग में आने वाले सभी आवश्यक यंत्र/ उपकरण चालू अवस्था में हों।
- जिला आपदा प्रबंधन योजना का उचित क्रियान्वयन।

आपातकालीन समय में

इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी निम्न कार्यों को करेंगे –

- आपदा के दौरान सातों दिन, 24 घण्टे क्रियाशील रहना।
- आपदा के दौरान रिस्पान्स के सभी पहलुओं को क्रियान्वित करना। प्रत्येक दो घण्टे पर स्थितियों की जानकारी हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/ नोडल से सूचना प्राप्त कर सूचना रजिस्टर में दर्ज करना।

अ) बाढ़/अतिवृष्टि— आपदाकाल के दौरान निम्न सूचनायें, प्रत्येक दिवस प्रातः 08:00 बजे एवं सायंकाल 04:00 बजे दर्ज करेंगे तथा प्रभारी इओसी से सत्यापित करायेंगे—

- केन्द्रीय जल आयोग से नदियों के जल स्तर (बढ़ाव/घटाव/स्थिर) की अद्यतन जानकारी।
- प्रत्येक अंचल से तथा मौसम विभाग द्वारा वर्षा से सम्बन्धित अद्यतन जानकारी
- प्रत्येक अंचल से बाढ़ के कारण हुये क्षति (मानव/पशु/भौतिक) का विवरण।
- प्रत्येक अंचल में वितरित की गयी राहत धनराशि का पूर्ण विवरण।
- प्रत्येक दिवस सायंकाल 04:00 बजे जिला जनसंपर्क अधिकारी एवं अपर समाहर्ता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित बाढ़ बुलेटिन जारी किया जाना।
- संचालित कराये जा रहे राहत केन्द्रों का विवरण।
- त्वरित रिस्पान्स करने हेतु विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- राज्य इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर, आई0एम0डी0, केन्द्रीय जल आयोग आदि पूर्व चेतावनी जारी करने वाली संस्थाओं के सहयोग से सही समय पर चेतावनी जारी करना। चेतावनी निम्नलिखित संस्थाओं/ अधिकारियों को त्वरित संचार तकनीकों के माध्यम जारी की जायेगी –
 - आवश्यक सहायता कार्य (जिले में गठित सभी कोषांगों के नोडल एवं सहयोगी विभागों को)।
 - जिला आपदा प्रबंधन समिति।
 - जिला पदाधिकारी कार्यालय।
 - पड़ोसी जिलों के इओसी को।
 - जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को।
 - स्वैच्छिक संगठनों को
 - समुदाय को

ब) अगलगी— आपदा की सूचना मिलते ही इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर सक्रिय हो जायेगा और इस दौरान प्रभारी ई0ओ0सी0 सम्बन्धित अंचल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आदि से निम्नलिखित सूचनाएँ प्राप्त करेगा

- प्रभावित क्षेत्र की सम्पूर्ण जानकारी(ग्राम, ग्राम पंचायत, अंचल एवं अनुमंडल तथा प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)।
- अग्निशमन विभाग एवं ग्रामीणों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य संबंधी किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण।
- प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को उपलब्ध कराये गये राहत धनराशि एवं सामग्रियों का विवरण।
- संचालित कराये जा रहे राहत केन्द्रों का विवरण।

स) भूकम्प— आपदा के दौरान इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर द्वारा निम्न कार्य किये जायेंगे –

- भूकम्प एवं अन्य स्थानीय आपदाकाल के दौरान प्रशासन द्वारा किये जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों से संबंधित समस्त विवरण दर्ज करना।
- विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रभावित समुदाय को प्रदान की जा रही राहत सामग्री से संबंधित सूचना प्राप्त करना।
- मृतकों/ घायलों/ लापता व्यक्तियों से संबंधित सूचना प्राप्त करना।
- विभिन्न स्थलों पर संचालित राहत केन्द्रों से संबंधित सूचना प्राप्त करना।
- प्राप्त सूचनाओं को अंकित करते हुये जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी ई0ओ0सी0 एवं अपर समाहर्ता द्वारा सत्यापित बुलेटिन जारी किया जाना।

4.5 विभिन्न विभाग/ एजेन्सी

आपदा प्रबन्धन के तीनों चरणों— आपदा पूर्व, आपदा दौरान एवं आपदा बाद, जिला आपदा प्रबन्धन योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभाग एक महत्वपूर्ण हितधारक हैं। जिनके द्वारा निम्न कार्य सामान्य तौर पर किये जाते हैं –

- नोडल नामित करना।

- विभाग के विकासीय कार्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के घटकों को शामिल करना।
- विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षमतावर्धन की आवश्यकता आकलन कर उनकी दक्षता विकास करना।
- आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आयोजित पूर्वाभ्यासों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।
- विभाग की आपदा प्रबन्धन योजना बनाना।

4.6 जिला टास्क फोर्स

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा के दौरान विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर राहत कार्य सम्पादित करता है। इस कार्य को और अधिक सशक्त करने एवं त्वरित रिस्पान्स हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा के सन्दर्भ में मुख्य विभागों—स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, एस0डी0आर0एफ0, पी0एच0ई0डी0, जल संसाधन विभाग के साथ एक टास्क फोर्स का गठन कर सकता है, जो आपदा के दौरान अन्य विभागों के साथ समन्वयन स्थापित करते हुए राहत एवं बचाव कार्य को कुशलतापूर्वक सम्पादित कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जिला पदाधिकारी (जो टास्क फोर्स का पदाधिकारी होगा)एन0डी0आर0एफ0, सेना, गैर सरकारी संगठनों, प्राइवेट सेक्टरों/व्यक्तियों से निम्नलिखित रूप में समन्वय स्थापित कर सकता है –

- मधेपुरा जिला में एस0डी0आर0एफ0 एवं इसके पड़ोसी जिले सुपौल में एन0डी0आर0एफ0 की बटालियन प्रतिनियुक्त है। जिले में आपदा आने की स्थिति में पड़ोसी जिले में प्रतिनियुक्त

एस0डी0आर0एफ0/ एन0डी0आर0एफ0 की मदद लेने हेतु जिला पदाधिकारी राज्य से अनुरोध कर सकता है।

- नोडल पदाधिकारी से आपदा के सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद यूनिट कमाण्डर एस0डी0आर0एफ0 मुख्यालय के साथ आपदा के स्वरूप पर चर्चा करेगा एवं यह तय करेगा कि सम्बन्धित आपदा के लिए कितनी टीमें गठित की जायेंगी।
- किसी भी आपदा के दौरान एक निश्चित क्रम में गतिविधियां सम्पादित की जाती है जिसके अन्तर्गत सूचना सम्प्रेषण से लेकर क्रियान्वयन तक का कार्य सम्बन्धित विभिन्न विभागों द्वारा सम्पादित किया जाता है (अनुलग्नक- 13)।
- यदि कोई व्यक्ति/संस्था/सेक्टर बाढ़ के दौरान सहायता एवं राहत राशि देना चाहते हैं तो जिला में रेडक्रास सोसायटी के अन्तर्गत गठित जिला पदाधिकारी के बाढ़ राहत सहायता केन्द्र तथा कोषांग में दे सकते हैं। प्राप्त राहत सामग्री जिला रेडक्रास सोसायटी के माध्यम से बाढ़ प्रभावित लोगों में वितरित की जा सकती है।
- नगद राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जा सकती है।
- सीधे जिला स्तर पर प्राप्त होने वाली सामग्रियों की प्राप्ति एवं वितरण हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा नोडल पदाधिकारी नामित किये जा सकते हैं।
- उपरोक्तानुसार प्राप्त सामग्रियों का वितरण पंचायत/वार्डस्तरीय राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति की देख-रेख में यथासंभव सम्बन्धित एजेन्सी के माध्यम से कराया जा सकता है। यदि एजेन्सी के प्रतिनिधि उपलब्ध न हों तो वितरण जिला प्रशासन के माध्यम से हो सकता है।


अध्याय : 5

रोक-थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी हेतु उपाय (Measures for Prevention, Mitigation and Preparedness)

आपदा के बदलते स्वरूप में उसका प्रबन्धन न केवल वैश्विक स्तर पर वरन् स्थानीय स्तर पर भी अब एक अनिवार्य गतिविधि हो गयी है। वर्ष 2005 के पहले तक आपदा प्रबन्धन के लिए कोई विशेष नियोजन नहीं किया जाता रहा लेकिन 2005 के बाद भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम पारित किये जाने तथा आपदाओं की बढ़ती तीव्रता व बदलते स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में यह अनिवार्य हो गया कि आपदा प्रबन्धन केवल राहत पहुंचाने तक ही सीमित न रहे, वरन् रोक-थाम (Prevention), शमन (Mitigation) व पूर्व तैयारी (Preparedness) के उपायों पर भी विशेष ध्यान दिया जाये।

बिहार राज्य एक बहु आपदा प्रभावी क्षेत्र है और राज्य का 76 प्रतिशत भू-भाग विभिन्न आपदाओं से ग्रसित होता रहता है। विगत एक दशक में राज्य सरकार आपदाओं के प्रति संवेदनशील हुई है और रोक-थाम, शमन व पूर्व तैयारी हेतु राज्यस्तर से कई नीति-निर्देश जारी हुए हैं। 2015 में बिहार सरकार के आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा तैयार किये गये दस्तावेज बिहार डी0आर0आर0 रोडमैप में उपरोक्त तीनों उपायों पर विशेष बल दिया गया है। इस दस्तावेज में पांच मुख्य घटकों- सुरक्षित ग्राम, सुरक्षित आजीविका, सुरक्षित आधारभूत ढांचा, सुरक्षित मूलभूत सेवाएं तथा सुरक्षित शहर पर रोक-थाम, शमन, पूर्व तैयारी व पुनर्निर्माण के उपायों पर विभागवार राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक विशिष्ट कार्य योजना तैयार की गयी है।

यद्यपि जिले में विभिन्न स्तरों पर सभी विभागों एवं एजेन्सियों द्वारा विकासीय योजनाएं तैयार की जाती हैं, परन्तु ये योजनाएं बहु आपदाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनायी जातीं। आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 40 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले के प्रत्येक विभाग की अपनी विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना होनी आवश्यक है, जिसके अन्तर्गत विभाग अपनी विकासीय योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश करते हुए रोक-थाम, शमन व पूर्व तैयारी के उपायों को शामिल करेंगे।



5.1 विभागों/संस्थाओं के मुख्य कार्य

आपदा प्रबन्धन किसी एक व्यक्ति, विभाग, संस्था अथवा एजेन्सी का कार्य नहीं है। यह सभी विभागों एवं प्रशासन के समन्वयन से होता है। जिले के अन्दर आपदा प्रबन्धन हेतु मुख्य तौर पर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, विभिन्न सरकारी विभाग एवं एजेन्सियां, पंचायत राज संगठन, सामुदायिक संगठन एवं जिले स्तर पर काम करने वाले अन्य निजी संगठन उत्तरदायी होते हैं, जिनका विस्तृत वर्णन अध्याय 4 में किया गया है।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अध्याय 4 की धारा 25 (1) के अन्तर्गत गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करता है। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण रिस्पान्स, रोक-थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी हेतु मुख्य नोडल विभाग है और इसके कार्यों में मुख्य रूप से –

- जिले की आपदा रिस्पान्स योजना सहित आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना व उनका पुनर्विलोकन करना।
- जिले में आपदाओं की रोक-थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी के उपायों के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना तथा जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और अनुश्रवण करना
- यह सुनिश्चित करना कि जिले में आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली गयी है और आपदाओं के निवारण तथा उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर

सरकार के विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किये गये हैं।

- आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुगम बनाना।
- जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए सूचना तंत्र की स्थापना करना, उसका अनुरक्षण करना तथा पुनर्विलोकन और उन्नयन करना।

जिले स्तर पर सभी सम्बन्धित विभाग अपने-अपने विभागीय कार्यों एवं जिम्मेदारियों के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से मुख्य रूप से –

- आपदा के सभी चरणों में आपदा प्रबन्धन हेतु जिला प्रशासन से समन्वय बनाते हुए विभागीय स्तर पर नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करेंगे।
- विभाग की विभागीय विकासीय योजना तैयार करते समय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन के तत्वों का समावेश करते हुए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करेंगे।

आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन में पंचायत प्रतिनिधियों, सामुदायिक संगठनों तथा अन्य निजी संगठनों की प्रमुख भूमिका होती है। समुदाय को पूर्व तैयारी, शमन एवं रोक-थाम के उपायों के ऊपर जागरूक करना, शमन के उपायों को अपनाने हेतु समुदाय को उत्प्रेरित करना तथा समुदाय स्तर पर ग्राम्य आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना इनका प्रमुख कार्य होता है।

5.2 सभी विभागों/ एजेन्सियों के लिए मुख्य कार्य (समान रूप से)

जैसा कि ऊपर विभागों के मुख्य कार्यों को बताया गया है, सभी विभाग आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से आपदा के प्रत्येक चरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और अलग-अलग गतिविधियां सम्पादित करते हैं। फिर भी आपदा प्रबन्धन को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जो सभी विभागों को समान रूप से सम्पादित करना चाहिए। सेण्डर्ड फ्रेमवर्क की चार प्राथमिकताओं को आधार बनाकर इस योजना के अन्तर्गत सभी विभागों द्वारा समान रूप से किये जाने वाले कार्यों को चार प्रमुख बिन्दुओं के तहत विभक्त किया जा सकता है –

1. आपदा जोखिम पर समझ विकसित करना

- आपदा प्रबन्धन से जुड़े सभी विभागों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आपदा की दृष्टि

से खतरों, संवेदनशील क्षेत्रों, घटकों, समुदायों, वर्गों, संसाधनों की पहचान करना। ताकि आपदा की रोक-थाम, शमन, पूर्व तैयारी व रिस्पान्स हेतु उपाय किये जा सकें।

2. जोखिम संवेदी प्रशासन प्रणाली को विकसित/सशक्त करना

- विभाग के अन्दर आपदा प्रबन्धन समिति का गठन करना।
- आपदा से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु नोडल नामित करना जो आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन, अन्य विभागों व हितधारकों से समन्वय स्थापित कर आपदा के प्रभावों को कम करने की दिशा में कार्य करेगा।
- विभाग की विकासीय योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश करते हुए विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना।

3. आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों में निवेश करना

- नये बनने वाले विभागीय भवनों, ढांचों को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाना।
- पूर्व निर्मित भवनों, ढांचों की आपदा के सन्दर्भ में देख-रेख व मरम्मत करना।
- सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाना।
- आपदा प्रबन्धन हेतु विभाग स्तर पर कोष गठित करना।
- विभागीय वित्तीय योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के ऊपर कुल बजट का कम से कम 10 प्रतिशत खर्च का प्रावधान करना।

4. प्रभावी रिस्पान्स हेतु पूर्व तैयारी के उपायों को सशक्त करना

- आपदा जोखिम से उत्पन्न खतरों एवं नुकसानों को कम करने हेतु रोक-थाम, शमन, पूर्व तैयारी, रिस्पान्स एवं पुनर्निर्माण के लिए किये जाने वाले उपायों की पहचान एवं उनका क्रियान्वयन करने हेतु रणनीति निर्धारण एवं एक्शन प्लान बनाना।
- पूर्व तैयारी के कार्यों की पहचान करना।
- कर्मचारियों की आपदा जोखिम से निपटने की क्षमता का आकलन कर उसके अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

- आपदा एवं उससे निपटने के उपायों पर जागरूकता व मॉकड्रिल करना।
- आपदा के दौरान किये जाने वाले कार्यों से प्राप्त अनुभवों व सीखों को दस्तावेजित

करना ताकि आगामी योजना को और बेहतर बनाया जा सके।

5.3 आपदावार विभागों/ एजेन्सियों के कार्य जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सभी आपदाएं (बाढ़, सुखाड़, आगलगी, आँधी-तूफान, ठनका, भगदड़, भूकम्प, नाव दुर्घटना)	जिले में पूर्व घटित सभी प्रकारों की आपदाओं के बारे में विस्तृत जानकारी तथा प्राप्त सीखों को एकत्रित व दस्तावेजित करना।	जिले की आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना।	जिला प्रशासन के सहयोग से जिला रिस्पान्स टीम का गठन करना।
	जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारों द्वारा आपदा निवारण प्रबन्धन योजनाओं के लिए दिशा निर्देश देना।	जिले स्तर के सरकारी विभागों की विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।	जिले के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने हेतु भेद्यता मानचित्र (Vulnerability Map) तथा जोखिम मानचित्र (Hazard Map) बनाना।
	पंचायतस्तरीय टास्क फोर्स समितियों, समुदाय के उत्साही नवयुवक/नवयुवतियों, सरपंच/मुखिया, नाव चालकों आदि को आपदा प्रबन्धन के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षित करना।	जिला स्तर के पदाधिकारियों एवं स्थानीय प्राधिकारों को आपदाओं के निवारण एवं शमन हेतु आवश्यक उपायों को करने हेतु निर्देशित करना।	जिले के सभी लाइन विभागों के साथ बैठक कर आपदाओं से होने वाली संभावित क्षति, प्रभाव तथा किये जाने वाले उपायों पर चर्चा और उसके बचाव हेतु उपलब्ध संसाधन, सामग्री, उपकरण, बजट आदि से सम्बन्धित जानकारी एकत्र करना।
	छठ पर्व के अन्तर्गत नहाय-खाय से लेकर सुबह अर्घ्य देने तक निजी नावों के चलाने पर रोक लगाना।	सभी विभागों के विभागीय कार्ययोजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों को समाहित करना।	जिले स्तर के सरकारी विभागों की विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।
	छठ पर्व के दौरान नदी घाटों पर लाइफ जैकेट, देशी नाव, इन्फ्लैटेबल बोट आदि सहित प्रशिक्षित गोताखोरों एवं चालकों की प्रतिनियुक्ति करना।	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण व राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से आवश्यक अनुवर्ती सहायता का अनुरोध तथा उसे प्राप्त करना।	पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स समितियों जैसे सामुदायिक आपदा रिस्पान्स टीम (सी0डी0आर0टी0) का गठन करना।
	छठ पर्व के समय सभी नदी घाटों पर आवश्यक मानव एवं भौतिक संसाधनों व महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बरों से सुसज्जित आन साइट कण्ट्रोल रूम की स्थापना किया जाना।	जिला स्तर के सभी सरकारी विभागों द्वारा शमन हेतु किये जाने वाले उपायों की निगरानी करना।	सुरक्षित स्थलों एवं शरणगाह/आश्रय स्थलों की सूची बनाना।
आपदा से बचाव, रोकथाम एवं शमन के उपायों पर समुदाय के बीच जागरूकता अभियान चलाने हेतु संदर्भ सामग्री तैयार करना (अनुलग्नक 14)।	राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करना।	सार्वजनिक छठ पर्व एवं इसकी महत्ता को देखते हुए संवेदनशील घाटों को चिन्हित करना।	
आपदाओं के सन्दर्भ में सबसे नाजुक समुदाय –दिव्यांगों, वृद्ध आश्रम, अन्ध विद्यालय, मानसिक रोगियों के ऊपर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना।	जिला ई0ओ0सी0 का गठन एवं अतिरिक्त संसाधन से उसकी क्षमता वर्धन हेतु समन्वयन करना।	ई0ओ0सी0 के सुचारु संचालन हेतु सड़क, वाहन, नाव, अन्य बुनियादी सुविधाओं सहित, संचार माध्यमों, सभी विभागों के नोडल अधिकारियों की मोबाईल नं0 के साथ सूची प्राप्त करना	
एस0डी0एम0ए0/एन0डी0एम0ए0/एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0	आपदा प्रबन्धन योजना की प्रत्येक वर्ष समीक्षा तथा विद्यमान	परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर मोटर वाहन की	

	एफ0 एवं डी0डी0एम0ए0 के आपसी सामंजस्य एवं सहयोग के साथ पूर्वाभ्यास करना।	योजना में आवश्यकतानुसार संशोधन व लाइन विभाग द्वारा व्यापक विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना को अद्यतन करना।	उपलब्धता सुनिश्चित करना।
	कम्बाईन हार्वेस्टर से कटाई के उपरान्त डण्डल आदि के जलाने पर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना।		स्थानीय नाव, नाविक, मोटर बोट, गोताखोर की सूची तैयार करना व नाव, टेंट, बचाव के यंत्र, लाइफ सेविंग जैकेट आदि का प्रबन्ध करना।।

जल संसाधन विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़ व सुखाड़	तटबन्धों, नहरों, नालियों की सुरक्षा हेतु स्थानीय लोगों के साथ रणनीति बनाना।	आपात के समय तटबन्धों, नहरों, पुलों, नियंत्रण कक्षों, बाढ़ चौकियों आदि की सुरक्षा करना	मानसून मौसम के पूर्व बांधों की मरम्मत, रेगुलेटरों, जल निकास नालियों, नहरों, पुलों, कल्वर्टों की साफ-सफाई, रख-रखाव आदि सुनिश्चित करना।
	नहर के पास निर्मित होने वाली किसी भी संरचना पर सूचना पट्ट लगवा कर उसपर नहर को आपरेट करने वाले कर्मों का नाम व मोबाइल नं० अवश्य दर्ज हो ताकि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में स्थानीय स्तर पर सम्पर्क स्थापित कर आपदा कम करने का प्रयास किया जा सके।	बाढ़ चौकियों पर खाली बोरे, मिट्टी, बालू, बोल्टर तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों का पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित करना।	नदी के बहाव की फोटोग्राफी नियमित रूप से ज़ोन से लेना ताकि नदी के बहाव की जानकारी मिलती रहे और उसी के अनुरूप बचाव एवं तैयारी कार्य किया जा सके।
	तटबन्धों के खतरे वाले स्थानों का पता लगाकर मरम्मत तथा निगरानी करना	आपदा के दौरान प्राप्त सीखों को आपदा प्रबन्धन योजना/ विभागीय योजना में समाहित कर कार्यबिन्दु तैयार करना।	मौसम के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर उससे सम्बन्धित बुलेटिन प्रसारित करना या दूसरे विभागों विशेषकर डी0डी0एम0ए0 को देना।
	जिले में जल संचय स्रोत, तालाब, पोखरा आदि की साफ-सफाई एवं जल भराव हेतु जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करना। (सरकारी आदेश संख्या 01/प्रा0आ0-27/2013/4156/आ0प्र0 पटना-15 दिनांक 18/9/13)	सुखाग्रस्त स्थिति में नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की स्थिति को सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1प्रा0 आ0-27/2013/4472 दिनांक 1/10/13)	जिले में बाढ़ पूर्व तैयारी के सन्दर्भ में विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों से डी0डी0एम0ए0 को अवगत कराना एवं विभाग के अन्दर कर्मचारियों का दायित्व निर्धारण करना।
	क्षमता वर्धन हेतु विभिन्न एजेन्सियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्षम विभागीय कर्मचारियों को नामित करना तथा समन्वय स्थापित करना	मानसून मौसम के पूर्व ट्यूबवेल की मरम्मत, रेगुलेटरों, नहरों की साफ-सफाई, रखरखाव आदि सुनिश्चित करना। विभिन्न स्तरीय सिंचाई योजनाओं की योजना बनाना, क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, रख-रखाव तथा नियंत्रण रखना।	जिले के अन्तर्गत विभागीय आधारभूत ढांचों के मरम्मत व रख-रखाव कार्य हेतु ठेकेदारों को सूचीबद्ध करना।

स्वास्थ्य विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	टीकाकरण अभियान निरन्तर चलाना।	विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना को तैयार कर उसमें स्पष्ट रूप से सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका व कर्तव्य का उल्लेख करना।	बाढ़ आपदा से निपटने हेतु विभाग में आपदा समिति एवं आपदा कोष का निर्माण करना ताकि आपदा की स्थिति में तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
	आपदा संभाव्य स्थितियों में सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों में निकास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।	आपदाग्रस्त जनता में रोगों/बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता को धीरे-धीरे कम करने हेतु दीर्घकालीन योजनाएं बनाना।	विभाग के पास प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर मौजूद संसाधनों को सूचीबद्ध कर जिला प्रशासन के माध्यम से एस0डी0आर0एन0 वेबसाइट पर अपडेट करना।
	अस्पताल सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश तैयार कर उसका क्रियान्वयन करना। (अनुलग्नक-15)	आपदा के दौरान प्राप्त सीखों को विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना में समाहित कर कार्य बिन्दु तैयार करना।	बाढ़ संभावित क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु रूटमैप के साथ कार्य योजना तैयार करना।
	आपदा क्षेत्र में उपलब्ध समस्त पेयजल स्रोतों के गुणवत्ता की जांच करना एवं उसे प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।	व्यापक स्वास्थ्य देख-भाल कार्यक्रम के साथ Minimum Initial Service package (एम0आई0एस0पी0) गतिविधियों का एकीकरण सुनिश्चित करना।	आपदा संभावित सभी क्षेत्रों में स्थित पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 पर आपदा स्थिति के दौरान डाक्टर, नर्स एवं अन्य स्टाफ की 24 घण्टे अनिवार्य उपस्थिति हेतु निर्देश जारी करना।
	जिले एवं प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को आपदा जोखिम विश्लेषण एवं संवेदी स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन के ऊपर प्रशिक्षण देना।	बिल-मिरिण्डा गेट्स फाउण्डेशन के तहत आशा कर्मियों के लिए विकसित मोबाइल कुंजी में आपदा सम्बन्धी विकल्पों/ माडलों को शामिल करना।	आपदा पूर्व तैयारी के अन्तर्गत चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती योजना तैयार करना।
	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थित आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, ए0एन0एम0, ममता, परम्परागत दाइयों, अपंजीकृत चिकित्सक आदि फ्रण्टलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स को बीमारियों के नवीनतम रूपों से परिचित कराने हेतु सूचनाओं/ जानकारियों /तकनीकों से अपडेट करने हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण करना तथा काण्टैक्ट नं0 की सूची बना कर रखना।	ग्रामीण स्तर पर आशा, ए0एन0एम0 आदि के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, वृद्धों, बच्चों व किशोरियों की पहचान कर उनके लिए विशेष स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधा सुनिश्चित करना।	विगत आपदाओं को ध्यान में रखते हुए जल एवं विषाणु जनित बीमारियों तथा त्वचा सम्बन्धी रोगों जैसे फोड़ा-फुन्सी, खाज-खुजली व सर्पदंश से बचाव आदि के लिए उपयोगी दवाओं को पर्याप्त मात्रा में स्टॉक कर सुरक्षित स्थान पर भण्डारण करना।
	पूर्ण व आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारु रूप से संचालन हेतु सुरक्षित वैकल्पिक स्थानों का चयन करना।	आशा कर्मियों के लिए आपदा पूर्व तैयारी पर पाकेट हैण्डबुक तैयार करना।	बाढ़ आपदा पूर्व आपदाग्रस्त क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, किशोरियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना।
	आपदा संभावित क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से जल एवं विषाणु जनित तथा अन्य बीमारियों के ऊपर व्यापक जागरूकता एवं प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण अभियान चलाना।		स्थानीय स्तर पर फैलने वाले विशेष रोगों की क्षेत्र एवं परिस्थिति के अनुसार पहचान करना एवं उसके बारे में वहां पर स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों से नियमित जानकारी लेना।
	आपदा ग्रस्त क्षेत्र में निरन्तर रूप में जन जागरूकता अभियान चला कर लोगों को स्वास्थ्य की देखभाल एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देना		सभी मुख्य अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में जेनरेटर/ इमरजेन्सी लाइट की सुविधा सुनिश्चित करना।
	आपात स्थितियों एवं आपदाओं के दौरान विशेषकर छोटी बच्चियों, किशोरियों एवं महिलाओं के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहारों की		बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिरे गांवों (मैरुण्ड) के लिए चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने हेतु चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाएं, एम्बुलेन्स

	<p>रोक-थाम के लिए कारगर उपाय सुनिश्चित करना।</p> <p>बच्चों, गर्भवती तथा धातू महिलाओं को कुपोषण से बचाने हेतु पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना। साथ ही प्रत्येक केन्द्र पर उपलब्ध मेडिकल किट में ओ0आर0एस0 एवं पैरासीटामोल दवा शामिल करना। (शासनादेश संख्या 01/प्रा0आ0-27/2013 4156/आ0प्र0 पटना-15 दिनांक 18/9/13)</p>		<p>एवं नाव तैयार रखना।</p> <p>आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने हेतु मोबाइल यूनिट का गठन करना।</p> <p>क्षेत्र में मौजूद सभी निजी चिकित्सकों एवं अस्पतालों की सूची बनाकर आपदा की स्थिति में बेहतर व प्रभावी काम करने हेतु समन्वयन स्थापित करना।</p> <p>सम्भावित आपदा क्षेत्रों में सुरक्षित भवनों व स्थलों को चिन्हित करना ताकि आपदा के समय वहां पर शिविर लगाया जा सके।</p> <p>आपदा के समय घायलों/बीमार व्यक्तियों को स्थानान्तरित करने हेतु विभागीय वाहनों की सूची बनाकर रखना एवं यह भी सुनिश्चित करना कि सभी वाहन/तेल/ड्राईवर अच्छी स्थिति में हों।</p> <p>यह सुनिश्चित करना कि दूर संचार के समस्त माध्यम सुचारु ढंग से काम कर रहे हैं और आगे भी कार्य करने की स्थिति में है।</p> <p>अन्य विभागों विशेषकर जिला नोडल अधिकारी एवं कार्यालय से समन्वय बनाते हुए निरन्तर संवाद बनाये रखना।</p> <p>आपदा परिस्थितियों के लिए रूरल हेल्थ किट/स्वास्थ्य किट तैयार करना।</p>
भूकम्प	स्वास्थ्य विभाग हेतु नये बनने वाले भवनों को भूकम्परोधी बनाना सुनिश्चित करना।	सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों में आग से बचाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।	विकासखण्ड मुख्यालयों व प्रमुख स्थलों पर ऐसे सुरक्षित भवनों को चिन्हित करना, जहां आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें।
अगलगी	आग लगने पर बचाव एवं प्राथमिक उपचार के बारे में पोस्टरों एवं पम्पलेटों के माध्यम से समुदाय के बीच जागरूकता प्रसार करना।	आग से घायल हुए व्यक्तियों के लिए पर्याप्त मात्रा में बर्न आइनमेण्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	
भगदड़			<p>छठपर्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण, संवेदनशील व अधिक भीड़ जमा होने वाले घाटों को चिन्हित करना।</p> <p>किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु घाटों पर आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना।</p> <p>प्रत्येक चिकित्सा केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ एवं आवश्यक जांच उपकरण व दवाएं होना सुनिश्चित करना।</p> <p>आपदा प्रबन्धन विभाग से समन्वय स्थापित कर घाटों पर एल0एस0 एम्बुलेंस की उपलब्धता पूर्व में ही सुनिश्चित करना।</p>
भीषण			सभी प्राथमिक स्वास्थ्य

गर्मी			केन्द्रों/रेफरल अस्पतालों/सदर अस्पतालों/ अनुमण्डलीय अस्पतालों/ मेडिकल कालेजों/अस्पतालों आदि में लू से प्रभावितों के इलाज हेतु विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करना।
			सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर ओ0आर0एस0 पैकेटों, आई0 वी0 फ्लूड एवं जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करना।
			लू से पीड़ित बच्चों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं तथा गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों हेतु विशेष चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना।
			मोबाइल चिकित्सा दल की व्यवस्था करना ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित जगहों पर दल को भेजा जा सके।

कृषि विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	आपदा स्थितियों से निपटने हेतु विभाग के पास स्वयं का आपदा प्रबन्धन समिति तथा आपदा कोष होना सुनिश्चित करना।	वैकल्पिक खेती की विभिन्न विधाओं जैसे समय एवं स्थान प्रबन्धन, मिश्रित खेती, बहुस्तरीय खेती, अन्तरखेती, कम्पोस्टिंग, गृहवाटिका आदि तकनीक को बढ़ावा देना।	विभाग में अनुमण्डल-प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर नोडल नामित करना।
	बाढ़ एवं जल-जमाव क्षेत्रों में अनुकूलित कृषि को बढ़ावा देते हुए कृषि संस्थानों (आत्मा, औद्योगिक मिशन, के0वी0के0) आदि को सुदृढ़ करना।	फसल उत्पादकता को बनाये रखने हेतु के0वी0के0/ विश्वविद्यालय/ कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना।	विभाग द्वारा जिला से लेकर अनुमण्डल, प्रखण्ड एवं पंचायत गांव स्तर पर विकसित किये गये भवन (बीज गोदाम, कृषि रक्षा केन्द्र) के साथ-साथ अन्य संसाधनों की स्थिति का आकलन कराना।
	आपदा के प्रभावों को कम करने हेतु समुदाय के नाजुक वर्गों का जुड़ाव खाद्य सुरक्षा योजना से सुनिश्चित करना।	जल-जमाव क्षेत्र में लतावर्गीय सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने हेतु जूट बैग के साथ मद्यान खेती तकनीक को बढ़ाना।	संसाधनों को ठीक कराने के सन्दर्भ में सम्बन्धित विभाग/अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर उन्हें बाढ़ की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से ठीक कराना।
	मौसम के पूर्वानुमान की सूचना किसानों को दिये जाने का प्रावधान विभाग द्वारा किया जाना, ताकि किसानों का जोखिम कम हो सके।	जल-जमाव वाले क्षेत्रों में जलरसनेही फसलों जैसे - सिंघाड़ा, तालमखाना, तिन्नी, करमुआ आदि की खेती को बढ़ावा देना।	मौसम के पूर्वानुमान की जिला, अनुमण्डल-प्रखण्ड, पंचायत एवं गांव स्तर के विभिन्न हितभागियों, पदाधिकारी व समुदाय तक सूचना उपलब्ध कराना।
		क्षेत्र की प्रमुख फसल मक्का व मूंग के उत्पाद के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।	जल निकासी व्यवस्था की स्थिति के आकलन व मरम्मत हेतु सम्बन्धित विभाग से समन्वय करना।
	विशेषकर बंटाईदार किसानों का जुड़ाव "बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना 2015" से सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 01/गै0प्रा0आ0-01/2015/1946/आ0प्रा0 पटना-15 दिनांक 22/5/15)	आवश्यकता आंकलन में सूचनाओं, आंकड़ों के अनुसार (बीज, प्रजाति, खाद, रसायन आदि) संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	
	भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उच्च	खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु	

		<p>मूल्यप्रदायी व रोगरोधी फसलों को बढ़ावा देना।</p> <p>मौसम सम्बन्धी यंत्र की स्थापना ग्राम पंचायत स्तर पर होना सुनिश्चित करना।</p> <p>सामुदायिक/पंचायत स्तर पर कृषि सलाहकार/कृषि विशेषज्ञ की पहचान कर उन्हें किसान समूह से जोड़ना।</p> <p>बाढ़ व जल-जमाव क्षेत्रों में जल सहनशील पौधों/वृक्षों/ बागवानी/प्रजातियों जैसे - जामुन, अमरुद, अर्जुन, भगनहां, बांस रोपण से सम्बन्धित योजनाओं को क्रियान्वित करना।</p> <p>जल निकासी की व्यवस्था शुरू कराने हेतु मनरेगा एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के साथ समन्वय एवं जुड़ाव का कार्य सुनिश्चित करना।</p> <p>बाढ़ आपदा को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक मिशन के कार्यक्रम का नियोजन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।</p> <p>बाढ़ व जल-जमाव प्रभावित क्षेत्र में आगामी फसल बुवाई हेतु प्रखण्ड स्तर पर बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराना।</p> <p>बाढ़ के बाद खेतों में गाद/बालू वाले क्षेत्रों जैसे - बसन्तपुर प्रखण्ड में सुखा सहनशील फसलों/प्रजातियों व तकनीकों का प्रसार करना और उपयुक्त बीजों/प्रजातियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।</p> <p>बाढ़ से प्रभावित किसानों को खाद, बीज, अनाज आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कर बिहार राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम "शाताब्दी अन्न कलश" योजना से जुड़ाव करना।</p>	<p>आत्मा योजना के साथ लघु, सीमान्त विशेषकर महिला किसानों का जुड़ाव सुनिश्चित करना।</p>
सुखाड़	सिंचाई कार्य हेतु सौर ऊर्जा चलित सिंचाई पम्प को बढ़ावा देना।	नहर, नलकूपों में शीर्ष से लेकर अन्त तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	जिले में आपदा प्रबन्धन कार्य से जुड़े नोडल विभाग पदाधिकारी, कर्मचारी, हितभागियों एवं समुदाय प्रतिनिधियों का व्हाट्स-ग्रुप बनाकर त्वरित संदेश संचार व्यवस्था सुदृढ़ करना।
	सूखा सहनशील सब्जी, फल व फसलों की प्रजातियों की उपलब्धता समय से सुनिश्चित कराना एवं बढ़ावा देना।	बीज और खाद, कीटनाशक आदि का जिले स्तर की आवश्यकता आंकलन से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराना	अनाज बैंक, बीज बैंक आदि का पुनः सुदृढ़ीकरण हेतु पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारी हितभागी, पदाधिकारी व समितियों को प्रेरित करना।
		प्रभावित परिवार को खाद्य, बीज, दवा आदि की सब्सिडी सुनिश्चित कराना।	अनाज बैंक, बीज बैंक आदि का पुनः सुदृढ़ीकरण हेतु पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारी हितभागी, पदाधिकारी व समितियों को प्रेरित करना
		के0वी0के0/कृषि विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक शोध केन्द्रों के समन्वय से कम सिंचाई एवं पानी की आवश्यकता वाली फसलों को बढ़ावा देना।	

		मनरेगा के माध्यम से जल प्रबन्धन तकनीकों जैसे – टपक सिंचाई, बौछारी सिंचाई, मेड़बन्दी आदि का विकास एवं प्रसार करना। कृषि रोडमैप के अनुसार कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देना।	
अगलगी	सिंचाई विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर गांव के आस-पास जल संचय स्रोतों, कुंओं, तालाबों आदि में सूखा मौसम से पूर्व जल भराव सुनिश्चित करना।		आगजनी से निपटने हेतु सामुदायिक स्तर पर राहत व बचाव दल गठित करने में समन्वय स्थापित करना।
	गांव स्तर पर पानी के स्रोतों को चिन्हित करके रखना।		
	नोडल पदाधिकारी द्वारा अनुमण्डल, प्रखण्ड स्तर व पंचायत स्तर तक फसल अपशिष्ट को न जलाने हेतु आदेश जारी करना।		
	खेत-खलिहान के आस-पास आग न जलाने, बीड़ी-सिगरेट, गांजा आदि न पीने के सन्दर्भ में जागरूकता अभियान चलाना।		
	तेज हवा की स्थिति में घास-फूस के मकानों में खाना न पकाने, बच्चों को आग से दूर रखने के सन्दर्भ में प्रखण्ड व पंचायत स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम चलाना।		
आंधी-तूफान/ओलावृष्टि	आंधी-तूफान की पूर्व सूचना पर सिंचाई न करने, फसल मड़ाई-कटाई, तोड़ाई, विपणन आदि के न करने एवं भण्डारण व सुरक्षित रख-रखाव सम्बन्धित जागरूकता करना।	आंधी-तूफान/ओलावृष्टि के सन्दर्भ में विगत वर्षों में प्राप्त सीखों को विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना में समाहित करते हुए कार्य बिन्दु तय करना।	
	क्लैमिटी रिलीफ फण्ड के बारे में विभागों, हितभागियों व जन समुदाय के बीच जागरूकता फैलाना।	सरकार की अन्न कलश योजना एवं अन्य योजनाओं, पी0डी0एस0, फसल बीमा योजना, क्लैमिटी रिलीफ फण्ड आदि से जुड़ाव कराना।	
	ओलावृष्टि/आंधी – तूफान आदि में लोगों को पेड़ों के नीचे न रहने के विषय में जागरूकता फैलाना।	फसल उत्पादकता को बनाये रखने हेतु के0वी0के0/ विश्वविद्यालय के साथ समन्वय स्थापित करना।	
शीतलहर व पाला		नर्सरी/पौध तैयार करते समय शीतलहरी या पाला से बचाव हेतु रात के समय खेत में धुंआ करना।	
		फूल-फल बनने की अवस्था में खेतों में	

	हल्की सिंचाई करना सुनिश्चित करना। इससे पाला से बचाव होता है और फूल झड़ने नहीं पाते हैं।
	फूल-फल बनने की अवस्था में भी शीतलहरी/पाला से बचाव हेतु रात के समय खेत में धुआं करना सुनिश्चित करना।
	पौधों के ऊपर पर्णाय छिड़काव सुनिश्चित करना।
	यदि फसल कटाई की अवस्था में हो और शीतलहरी या पाला आपदा की आशंका हो तो कटाई या फल की तुड़ाई सुनिश्चित करना।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन एवं गव्य निदेशालय

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़ सुखाड़	मानसून पूर्व पशुओं का टीकाकरण करवाना।	स्थानीय संसाधन/जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति के अनुसार पशु नस्ल को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को योजनाओं में सम्मिलित कराना।	विभागीय इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टरों की स्थापना करना तथा विभागीय फोन नं० व हेल्प लाइन नं० का प्रचार-प्रसार करना
	पशुओं को कीड़े की दवा देना तथा पोषण प्रबन्धन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हुए उसे अपनाने पर जोर देना।	ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक आजीविका को प्रोत्साहित करने हेतु मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि को बढ़ावा देना।	विभाग में आपदा काल में जिला, अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तर पर कार्यवाही/जवाबदेही हेतु नोडल पदाधिकारी का चयनकरना।
	जलस्रोत/ तालाब/ पोखरों का क्लोरीनीकरण/ ट्रीटमेण्ट कर रोगमुक्त बनाना।	छोटे एवं मझोले किसानों के लिए मूल्यवर्धित चारा गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।	प्रखण्ड स्तरीय पशु चिकित्सालयों पर आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्र में पहुंच बनाने के लिए चारपहिया वाहन की व्यवस्था पूर्व में सुनिश्चित कराना।
	पशुओं/डेयरी में टीकाकरण व रोग नियन्त्रण हेतु एन्टीसेप्टिक औषधि, ब्लीचिंग आदि का छिड़काव करवाना।	सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में आपदा दृष्टिगत संशोधन करने हेतु सम्बन्धित पदाधिकारी/विभाग को प्रेषित करना।	पशु चिकित्सालयों को आपदा के दौरान नियमित रूप से सेवा सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से प्रकाश की व्यवस्था के लिए जनरेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
	रोगग्रस्त/संक्रामक रोगी पशुओं की चिकित्सा एवं मृत पशुओं का निस्तारण सुनिश्चित करना।	पशुबाड़ा, घर, डेयरी आदि के आस-पास हुए जल-जमाव एवं गदंगी को दूर करना।	उच्चकृत स्थान का चयन एवं पूर्व में तैयार बाढ़-आपदा शरणालय की साफ-सफाई एवं मरम्मत सुनिश्चित करना।
	संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु प्राथमिक उपचार के बारे में पशुपालकों को जागरूक करना।	विभाग का अपना स्वयं का आपदा प्लान एवं बजट होना सुनिश्चित करना।	पशुचारा/ भूसा, दवा आदि आपूर्ति करने वाले स्थानीय थोक विक्रेताओं की पहचान कर उनके साथ रेट कान्ट्रैक्ट करना ताकि आपदा के समय उचित दर पर सामग्री उपलब्ध हो।
		पशु चिकित्सा कैम्प का आयोजन करना एवं विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	पशु चारा/ भूसा, दवा आदि की आवश्यकता व आकलन कर स्थानीय हितभागियों की सलाह/साझा प्रयास द्वारा सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित करना। शासनादेश संख्या 01/प्रा0आ0-27/2013/4156/आ0प्र0

			पटना-15 दिनांक 18/9/13)
		मोबाइल पशु चिकित्सा दल की व्यवस्था सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1प्रा0आ0-27/2013/4472 दिनांक 1/10/13)	पशुधन, डेयरी, मुर्गी पालन एवं पशुओं हेतु समुचित, दवा, टीका, चारा भण्डारण तथा कुशल कर्मियों की नियुक्ति करना।
		पेयजल की कमी से जूझ रहे पशुओं के लिए जल स्रोतों सहित शिविर स्थलों का चयन करना। (शासनादेश संख्या 01/प्रा0आ0-27/2013/4156/आ0प्र0 पटना-15 दिनांक 18/9/13)	सुखाड़ आपदा की आशंका की स्थिति में पशुओं के पेयजल हेतु जल संचय स्रोतों को जल से भरना।
			ग्राम पंचायत स्तर पर पशुओं से सम्बन्धित डेटाबेस तैयार करना तथा नियमित रूप से अद्यतन करना।

मत्स्य निदेशालय

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	जलस्रोत/ तालाब/ पोखरों का क्लोरीनीकरण/ट्रीटमेंट कर रोगमुक्त बनाना।	ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक आजीविका के रूप में मछली पालन को बढ़ावा देना।	इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टरों की स्थापना करना व आपदा की स्थिति में सहयोग हेतु विभागीय फोन नं0 व हेल्प लाइन नं0 का प्रचार-प्रसार करना।
	नदियों/तालाबों/पोखरों/अन्य जल स्रोतों में कल-कारखानों से निकले प्रदूषित जल तथा शवदाह व घरेलू व नगरीय उपभोग वाले प्रदूषित जल निस्तारण पर रोक लगाना।	मत्स्य पालकों के विकास हेतु मत्स्यपालक विकास संघ की स्थापना करना।	विभाग में आपदा काल में कार्यवाही/जवाबदेही हेतु पदाधिकारी का चयन, जिला अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तर तक नामित करना।
		मछली तालाबों व पोखरों का गहरीकरण व तटबन्ध सुदृढ़ करना एवं मनरेगा योजना से जुड़ाव करना।	मछली पालन हेतु समुचित, दवा, चारा तथा कुशल कर्मियों की नियुक्ति करना। विभाग का अपना स्वयं का आपदा प्लान एवं बजट होना सुनिश्चित करना।
सुखाड़	विभाग के नोडल पदाधिकारी, राजस्व व मनरेगा के आपसी समन्वय से तालाब, पोखरों आदि जल संचय स्रोतों का गहरीकरण करना।	मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर तालाब, पोखरों आदि जल संचय स्रोतों में जलभराव की व्यवस्था सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 01/प्रा0आ0-27/2013/4156/आ0प्र0 पटना-15 दिनांक 18/9/13)	

लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार द्वारा परिचालित 7 निश्चय के अन्तर्गत हर घर में पेयजल पाइप लाइन एवं सभी घरों में निर्मित शौचालय विकलांग, वरिष्ठ नागरिक के अनुकूल हों।	सुरक्षित स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	विभाग में आपदा प्रबन्धन हेतु एक प्रकोष्ठ बनाना, आपदा से निपटने हेतु विभागीय कोष का निर्माण करना तथा आपदा प्रबन्धन पी0एच0ई0डी0 के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना।
	नलकूपों/अन्य पेयजल स्रोत की देखभाल व मरम्मत हेतु प्रखण्डवार एक टीम का गठन करना जो आपात	गांव में उच्चकृत शौचालयों का निर्माण करना तथा हैण्डपम्पों के प्लेटफार्म को ऊंचा करना।	आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां की जनसंख्या, बसाहट, उपलब्ध पेयजल स्रोतों का विवरण, नलकूपों की

	स्थितियों में तुरन्त कार्यवाही करे।		स्थिति इत्यादि से सम्बन्धित समस्त जानकारी एकत्र करना।
	सुरक्षित पेयजल तथा साफ-सफाई के ऊपर शहरी विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग का उन्मुखीकरण करना ताकि वे अपनी योजनाओं में इसे शामिल कर सकें।	आपदा सम्भाव्य क्षेत्रों में उपलब्ध नलकूपों की मरम्मत व नियमित देखभाल करना एवं सम्बन्धित कल-पुर्जों का उचित भण्डारण सुनिश्चित करना।	बिहार डी0आर0आर0 रोडमैप में दिये गये रिजीलियन्स सूचकांकों के आधार पर जिले में दी गयी वॉश सुविधाओं का आकलन करना।
	समय-समय पर पीने के पानी की जांच करना ताकि आपदा की स्थिति में भी पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।	स्थायी समिति, ग्राम स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता समिति तथा नगर समाज संगठनों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत स्तर पर वॉश एवं कचरा प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यों को ग्राम आपदा योजना में शामिल कराना।	बाढ़ आपदा की स्थिति में नलकूपों के सफल संचालन हेतु मोबाइल जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करना। आवश्यकता आंकलन कर उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी के टैंकर की व्यवस्था रखना। बाढ़ पूर्व एवं दौरान राहत शिविरों में पानी जांच व शुद्धिकरण की व्यवस्था करना। प्रत्येक तिमाही में ब्लीचिंग पाउडर की उपलब्धता की समीक्षा कर उसका पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित करना। आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के माध्यम से आपदा पूर्व समुदाय में क्लोरीन की गोलियों एवं ब्लीचिंग पाउडर का वितरण सुनिश्चित कराना। आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा स्वैच्छिक संगठनों के साथ मिलकर नियमित रूप से सामुदायिक स्तर पर तथा आपदा के दौरान राहत शिविरों में स्वच्छता संवर्धन गतिविधियों को आयोजित व प्रोत्साहित करना। जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान लोगों के लिए मोबाइल शौचालय की पूर्व व्यवस्था करना।
सुखाड़	सुखाड़ की आशंका में खराब चापाकलों की मरम्मत युद्ध स्तर पर सुनिश्चित करना।	विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना में सुखाड़ से निपटने के उपायों को शामिल करना। सुखाड़ की आशंका में पेयजल की आवश्यकता आंकलन कर उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी के टैंकर की व्यवस्था रखना।	
भूकम्प	भवन/वाटर टावर की डिजाइन भूकम्परोधी होना सुनिश्चित करना।	भूकम्प आपदा की स्थितियों के विभागीय अनुभवों को दस्तावेजित कर विभागीय योजना के अन्तर्गत कार्य बिन्दु तैयार करना।	किसी भी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक सामग्रियों का भण्डारण सुनिश्चित करना।
अगलगी		आग बुझाने हेतु अग्निशमन दल से समन्वय स्थापित करना तथा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	

पुलिस विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सभी आपदाएं	आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में उनकी क्षमता को विकसित एवं समृद्ध करना।	बाढ़ के दौरान त्वरित रिस्पान्स एवं बचाव कार्यों की रणनीति तैयार करना।	विभाग में आपदा चेतावनी प्रकोष्ठ बनाना तथा आपदा प्रबन्धन पुलिस के लिए नोडल अधिकारी नियत करना।
	बाढ़ आपदा से निपटने के लिए नियमित माकड्रिल आयोजित करने के साथ ही जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखण्ड एवं जिला स्तर के बाढ़ पर आयोजित माकड्रिल में अपनी सहभागिता निभाना।		बाढ़ आपदा के समय काम आने वाले संसाधनों की नियमित जांच एवं रख-रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए आवश्यक न्यूनतम नये संसाधनों की व्यवस्था करना।
	पुलिस बल को चौकस बनाने के लिए उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य, देखभाल एवं निकास, खोज व बचाव का नियमित प्रशिक्षण देना।		विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों को एस0डी0आर0एन0 वेबसाईट पर अपडेट करना। बाढ़ आपदा की स्थिति में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बलों की पहचान कर उनकी अग्रिम व्यवस्था करना। बाढ़ आपदा से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रसार के लिए वायरलेस प्रणाली को तत्पर करना।
भूकम्प	राहत सामग्रियों को राहत स्थल तक सुरक्षित पहुंचाना एवं भण्डारण स्थल की सुरक्षा की व्यवस्था करना।		भूकम्प आपदा से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रसार के लिए वायरलेस प्रणाली को तत्पर करना।
अगलगी			आगजनी की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों की पहचान करना और आपात खोज एवं बचाव अभियान के लिए पुलिस बल तैयार करना।
भगदड़	भगदड़ के दौरान प्रभावी प्रबन्धन एवं नियंत्रण हेतु चिन्हित पुलिसकर्मियों को भगदड़ प्रबन्धन पर प्रशिक्षित करना।	पूर्व अनुभवों के आधार पर पर्व या त्यौहार में शामिल होने वाले लोगों का अनुमान कर तदनुसार भीड़ को नियन्त्रित करने की कार्ययोजना तैयार करना।	भगदड़ आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य सरलता से संचालित करने हेतु विभिन्न सरल रास्तों की पहचान कर विभाग के जिम्मेदार पद के पास मानचित्र तैयार रखना।
			भगदड़ आपदा की स्थिति में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आपदा अनुसार पर्याप्त सुरक्षा बलों की पहचान कर उनकी अग्रिम व्यवस्था करना।
			संभावित भगदड़ आपदा ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान कर उनसे निपटने हेतु स्थानीय स्तर पर कुशल व्यक्तियों को चिन्हित करना।

ऊर्जा एवं शक्ति संसाधन विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सभी आपदाएं (बाढ़, सुखाड़, अगलगी,	जल-भराव क्षेत्र से दूर तथा सुरक्षित स्थान पर विद्युत उत्पादन यूनिट की स्थापना सुनिश्चित करना।	डी0डी0एम0ए0, ई0ओ0सी0, कोषांग नोडल एवं सपोर्ट एजेन्सियों के साथ चर्चा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक योजना का निर्माण करना।	सभी महत्वपूर्ण पर्व, त्यौहारों एवं विशेष अवसरों पर सुरक्षा के मद्देनजर विद्युत संरचना को दुरुस्त करते हुए जिला एवं स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर निर्बाध

<p>आंधी -तूफान, ठनका, भगदड़, भूकम्प, नाव दुर्घटना)</p>	<p>आवासीय क्षेत्रों से गुजरे हाईटेंशन तारों पर गार्डवायर लगाने का प्रावधान सुनिश्चित करना।</p>	<p>आपदा के दौरान किये गये कार्यों की समीक्षा, सीखों व कमियों का दस्तावेजीकरण एवं प्राप्त सीखों को भावी कार्य योजना में सम्मिलित करना।</p>	<p>विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। सम्पूर्ण क्षेत्र तथा सभी सरकारी भवनों में विद्युतापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभागीय बैठक में समीक्षा करना।</p>
	<p>ग्रामीण क्षेत्रों में लूज/जर्जर तार को बदलना सुनिश्चित करना।</p>	<p>आपदा के अनुभवों के आधार पर वांछित मानक के अनुसार संसाधनों की सूची निर्माण करना तथा प्राप्त करने की योजना बनाना।</p>	<p>आपदा प्रबन्धन विभाग से सामंजस्य हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना।</p>
	<p>सुखाड़ आपदा की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में जले एवं खराब ट्रांसफार्मरों को प्राथमिकता के आधार पर बदलना। (शासनादेश संख्या 1प्रा0आ0-27/2013/4472 दिनांक 1/10/13)</p>	<p>ऊर्जा के अन्य स्रोतों का प्रचार-प्रसार तथा उसकी स्थापना करना।</p>	<p>बाढ़ तथा अन्य आपदाओं में सूचना केन्द्र के साथ समन्वयन करना।</p>
	<p>कर्मचारियों के क्षमता विकास हेतु कार्यशाला का आयोजन तथा आपदा के दौरान किये गये कार्यों की समीक्षा प्रस्तुत करना।</p>	<p>बिजली निर्माण, ट्रांसमिशन एवं विद्युत वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के लिए पुरानी इकाइयों की मरम्मत एवं आवश्यकतानुसार नये की स्थापना करना।</p>	<p>सुखाड़ आपदा को ध्यान में रखते हुए विभाग में 24 घण्टे कार्यरत रहने वाले विशेष नियंत्रण कक्ष की स्थापना सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1प्रा0आ0-27/2013/4472 दिनांक 1/10/13)</p>
	<p>आंधी-तूफान, वर्षा, बाढ़ एवं सामान्य दिनों में भी विद्युत प्रवाहित तारों व पोलों से स्वयं को अपने पालतू जानवरों को दूर रखना सुनिश्चित करें।</p>	<p>विशेषकर सुखाड़ क्षेत्रों में कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम निर्धारित 8 घण्टों तक निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं इसका प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से करना। (शासनादेश संख्या 01/प्रा0आ0 -27/2013/4156/आ0प्र0 पटना-15 दिनांक 18/9/13)</p>	<p>सामान्य उपकरणों, सामग्रियों, मोबाईल ट्रांसफार्मर, तार, इन्सुलेटर आदि की सूची का निर्माण तथा उनको सतत् तैयार रखना।</p>
	<p>ग्रामीण क्षेत्र में समुदाय को बिजली से बचाव के सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जागरूक करने हेतु पोस्टर, पम्पलेट, फ्लैक्स का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करना।</p>		<p>सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थानों पर विद्युत जेनरेटर लगाने हेतु जेनरेटर को तैयार रखना इसके लिए जेनरेटरों का सर्वेक्षण तथा सूची तैयार करना।</p>
	<p>ग्रामीण समुदाय के इस आशय की जागरूकता प्रसारित करना कि वे हाईटेंशन तारों के नीचे भवन निर्माण न कराये। उससे अलग हटकर निर्माण कराये।</p>		<p>बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीएससी पोल को कंक्रीट के माध्यम से खड़ा करना तथा अधिक से अधिक स्टेवायर का प्रयोग सुनिश्चित करना।</p>
<p>समुदाय के बीच में जागरूकता फैलाना कि वे अपने भवन के अन्दरूनी वायरिंग हेतु BIS/ISIMार्का स्विचों एवं तारों का उपयोग करना सुनिश्चित करें ताकि शार्ट-सर्किट के माध्यम से आग लगने की संभावना न रहे।</p>		<p>विभाग में अपने विभागीय उपयोग के लिए आपदा चेतावनी तंत्र विकसित करना।</p>	
<p>हाईटेंशन तार के नीचे खड़ा न रहें। पोल अथवा स्टेवायर से जानवर न बांधें।</p>			
<p>सेफ्टी गाइडलाइन्स का समुचित पालन सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय स्तर पर सभी कर्मचारियों (सरकारी एवं संविदा वाले) को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करना।</p>			

पंचायती राज विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सभी आपदाओं में (बाढ़, सुखाड, आंधी-तूफान, ठनका, भारी वर्षा, भूकम्प, अगलगी, जंगली जानवरों का आतंक, शीत लहर)	संभावित आपदाओं के सन्दर्भ में क्षेत्र में समुदाय के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करना।	जोखिम कम करने के लिए आपदा से बचाव एवं न्यूनीकरण हेतु ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना।	प्रत्येक स्तर पर विभाग के अन्दर आपदा प्रकोष्ठ का गठन तथा आपदा प्रबन्धन के लिए अलग से कोष का आवंटन, ताकि आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही हो सके।
	विभिन्न आपदाओं एवं उससे निपटने के उपायों पर चुने गये पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण आयोजित करवाना।	खराब हैण्डपम्पों को चिन्हित करके मरम्मत कराना सुनिश्चित करना।	आपदा प्रबन्धन विभाग के साथ समन्वय बनाने हेतु सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना।
	बहु आपदाओं के ऊपर विभिन्न माध्यमों जैसे -पलैक्स, बैनर, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, पपेट शो आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना।	बाढ़ आपदा के दौरान समुदाय को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डूबे क्षेत्र में पड़ने वाले हैण्डपम्पों को चिन्हित कर सम्बन्धित विभाग के सहयोग से हैण्डपम्पों का उच्चीकरण करवाना।	आपदाओं के न्यूनीकरण हेतु ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का गठन सुनिश्चित करना।
	आपदा सम्भाव्य सभी क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यक्रमों में आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन को शामिल करना।	गांव का उच्चीकरण करवाना।	बाढ़ आपदा के दौरान शरण लेने हेतु सुरक्षित शरणस्थली की पहचान करना तथा पूर्व में बने शरणस्थलों की मरम्मत सुनिश्चित करना।
	पंचायत स्तर पर जागरूकता प्रसारित करना कि आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, ठनका आदि की आशंका होने पर लोग पेड़ों के नीचे तथा कमजोर मकानों या अन्य ढांचों के नीचे शरण न लें।	आपदा के दौरान उपयोग करने हेतु महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	पंचायत स्तर पर उपलब्ध नाव एवं नाविकों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करना।
	समुदाय के अन्दर नियम के अनुसार सुरक्षित घर बनाने हेतु जागरूकता अभियान चलाना।	ग्रामीण संरचनाओं की देख-रेख हेतु ग्राम स्तरीय कमेटी का निर्माण करना तथा उनसे निरन्तर संवाद स्थापित करना।	बाढ़ आपदा के दौरान शरण लेने हेतु सुरक्षित शरणस्थली की पहचान करना तथा पूर्व में बने शरणस्थलों की मरम्मत सुनिश्चित करना।
ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने हेतु पंचायत प्रतिनिधियों एवं समुदाय के उत्साही लोगों को प्रशिक्षित करना।		बाढ़ के दौरान सम्पर्क मार्गों एवं संवाद व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाये रखने हेतु पूर्व तैयारी सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा से निपटने के लिए तकनीकों, संवाद, भण्डारण एवं बचाव उपकरणों को सुदृढ़ करना।	

सड़क निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़ एवं सड़क दुर्घटना	ग्रामीण क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराना सुनिश्चित करना।	आपदा प्रभावित/अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर रिस्पान्स किये जाने हेतु जोन/सेक्टर में बांटे कार्य योजना का निर्माण करना व संभावित आपदाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों तक जाने वाले मुख्य मार्गों/सम्पर्क मार्गों की पहचान करना।	विभाग में आपदा चेतावनी प्रकोष्ठ बनाना तथा आपदा प्रबन्धन के लिए नोडल अधिकारी नियत करना।
	जल संचयन हेतु तालाब, पोखरा की गहराई बढ़ाने में मनरेगा से जुड़ाव सुनिश्चित करना।	यह सुनिश्चित करना कि सभी मुख्य व सम्पर्क मार्ग बाढ़ आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बने हों तथा समय-समय पर उनकी सेफ्टी आडिट कराना।	एस0डी0आर0एन0 वेबसाइट के अनुसार विभाग में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा एस0डी0आर0एन0 वेबसाइट को

			अपडेट किया जाना।
	ग्राम पंचायत के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मानव रहित रेलवे फाटकों पर उचित चिन्हों एवं दिशा-निर्देशों को अंकित करना तथा उचित प्रकाश की व्यवस्था करना।	आपदा के दौरान किये गये कार्यों से हुए अनुभवों को दस्तावेजित करना आगामी आपदा प्रबन्धन योजना में समाहित करना।	आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य सरलता से संचालित करने हेतु विभिन्न रास्तों तथा राहत सामग्रियों के भण्डारण हेतु आपदा से सुरक्षित स्थलों की पहचान करना तथा विभाग के जिम्मेदार पद के पास मानचित्र तैयार रखना।
	विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने हेतु विभागीय स्तर पर आपदा समिति का गठन एवं क्षमता वर्धन करना ताकि किसी भी आपदा के समय तत्काल क्रियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।	आवागमन एवं सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य आपदासूची मानकों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित हो।।	निजी व्यक्तियों/वेण्डरों के साथ समन्वयन बैठक कर उनके पास उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का मानचित्रण करना
	सुरक्षित वाहन चालन हेतु सड़क के किनारों पर उचित मानक संकेतों व दिशा-निर्देशों को अंकित करना।	जिले में स्थित सभी पुल-पुलिया को भूकम्परोधी बनाना सुनिश्चित करना और समय-समय पर उनकी सुरक्षा आडिट कराना।	
		सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु मुख्य मार्गों के अन्तर्गत पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए लेन बनाना।	

अग्निशमन/ दमकल विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सभी आपदाएं (बाढ़, आंधी-तूफान, ठनका, भारी वर्षा, भूकम्प, अगलगी)	विशेषकर बाढ़ आपदा के दौरान खोज एवं बचाव कार्यों में सहयोग करने हेतु कर्मियों का क्षमतावर्धन करना।	विगत पांच वर्षों के दौरान जिले में हुई अगलगी की घटनाओं के आधार पर पंचायत स्तर पर भेद्यता आकलन करना।	समस्त दमकलों एवं उसके यंत्रों तथा अन्य उपकरणों की सतत जांच परख करना तथा खराब पड़े यंत्रों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करना।
	अग्नि सुरक्षा उपकरणों एवं बचाव कार्यों में सहयोगी उपकरणों के संचालन पर कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना।	विभाग का विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना सुनिश्चित करना।	डी0डी0एम0ए0, ई0ओ0सी0 एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु विभाग स्तर पर नोडल का चयन एवं नामित करना।
	अग्नि शमन विभाग के टोल फ्री नं0 101 का प्रचार-प्रसार करना।	लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण विभाग से समन्वय स्थापित कर सर्वाधिक नाजुक प्रखण्डों में संकुल बनाकर (प्रत्येक दो-दो किमी0 पर) फायर हाइड्रेंट की स्थापना करना।	सभी सरकारी एवं निजी भवनों में अग्नि कांड से बचाव हेतु आवश्यक सामग्री जैसे बालू, केमिकल, जल आपूर्ति आदि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।
	आपदा के संभावित जोखिमों तथा उसे कम करने के उपायों के सम्बन्ध में विभिन्न हितभागियों के बीच जागरूकता पैदा करना।	मानव संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।	प्रति वर्ष अग्नि आपदा से बचाव हेतु पूर्वाभ्यास आयोजित करना व वर्ष में दो बार अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाना।
	विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों, कार्यालयों एवं संस्थानों की विद्युत सुरक्षा आडिट करना।	सुरक्षा आडिट के संस्तुत मानकों के उपायों के क्रियान्वयन का फालोअप करना।	
	फायरमैन का समय-समय पर प्रशिक्षण।	थाने स्तर पर अग्नि सुरक्षा उपकरणों, दमकलों की तैनाती सुनिश्चित करना।	
	अग्नि के कारणों, बचाव आदि के बारे में स्कूलों आदि के माध्यम से जन सामान्य में जागरूकता		

	उत्पन्न करना।		
--	---------------	--	--

खाद्य आपूर्ति विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	जन वितरण प्रणाली सशक्त बनाते हुए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना।	आपदा के बाद समुदाय की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जन वितरण प्रणाली की दुकानों को समय से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।	बाढ़ आपदा से निपटने हेतु विभाग में आपदा समिति एवं आपदा कोष का निर्माण करना ताकि आपदा की स्थिति में तत्काल क्रियान्वयन किया जा सके।
	जिले के अन्दर स्थापित सभी पेट्रोल, डीजल, किरासन, एलपीजी वितरण केंद्रों को बाढ़ आपदा से बचाव हेतु "क्या करें" व "क्या न करें" के उपायों पर जानकारी देना।	बाढ़ आपदा के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को संशोधित दर से अनुदान देना सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या1/प्रा0आ0-36/2002/4154/आ0प्र0 दिनांक 18/9/13 व 1/प्रा0आ0-36/2002/4155/आ0प्र0 दिनांक 18/9/13)	सभी गोदामों, कार्यालयों, राशन की दुकानों आदि तक पूर्व चेतावनी/सूचना पहुंचाने की व्यवस्था करना।
		बिहार सरकार द्वारा संचालित संशोधित "शताब्दी अन्न कलश योजना" से जुड़ाव स्थापित कर प्रभावितों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1/आ0प्र0यो0-13/2010/2588/ आ0प्र0 दिनांक 24/7/14)	बाढ़ आपदा की दृष्टि से विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का आकलन कर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार आवश्यक मात्रा में अनाज खरीद सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1/प्रा0अ0-16/2012/4095/आ0प्र0 दिनांक 14/11/14)
		सभी पंचायतों में शताब्दी अन्न कलश योजना के अन्तर्गत एक-एक कुन्तल खाद्यान्न रिवाल्विंग स्टॉक के रूप में चिह्नित जन वितरण प्रणाली दुकानों पर जमा रखना ताकि भूख से प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध कराया जा सके। (शासनादेश संख्या01/प्रा0आ0 -27/2013/4156/आ0प्र0 पटना-15 दिनांक 18/9/13 व पत्रांक 2489/आ0प्र0 दिनांक 17/7/14)	समुदाय के नाजुक संवर्ग जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समूह, गर्भवती महिलाओं, बच्चों, वृद्धों की पहचान जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से करना (जिन्हें अतिरिक्त आहार एवं पोषाहार की आवश्यकता पड़ती है)।
		बाढ़ आपदा के दौरान किये गये कार्यों के अनुभवों को दस्तावेजित करना ताकि आगामी रणनीति को और बेहतर बनाया जा सके।	सूखा भोजन जैसे चूड़ा, लाई, भूजा आदि का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण सुनिश्चित करना।
		बाढ़ आपदा के सन्दर्भ में विभाग की क्षमता का आकलन करना एवं तदनुसार जोखिम कम करने की रणनीति तैयार करना।	आपदा के समय वस्तुओं की उचित मूल्य पर उपलब्धता हेतु थोक व्यापारियों से रेट कान्ट्रैक्ट कर लेना।
		यह सुनिश्चित करना कि सभी गोदाम, कार्यालय बाढ़ आपदा से बचाव हेतु ऊंचे स्थानों पर स्थित हों एवं नदीन गोदामों, भवनों आदि को ऊंचे स्थल पर बनाना सुनिश्चित करना।	
		बाढ़ आपदा संभावित क्षेत्रों में सुरक्षित	

		स्थानों पर स्थित जन वितरण प्रणाली की दुकानों को चिन्हित करना।	
सुखाड़	आपदा के बाद समुदाय की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जन वितरण प्रणाली की दुकानों को समय से सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।		जिले में सुखाड़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभाग में 24 घण्टे कार्यरत रहने वाले विशेष नियंत्रण कक्ष की स्थापना सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1/प्रा0आ0-27/2013/4472 दिनांक 1/10/13)
भूकम्प	नये बनने वाले गोदामों, भवनों, कार्यालयों को भूकम्परोधी बनाना।	भूकम्प आपदा के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को संशोधित दर से अनुदान देना सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1/प्रा0आ0-36/2002/4155/ आ0प्र0 दिनांक 18/9/13)	
		भूकम्प आपदा में क्षतिग्रस्त हुए भवनों, कार्यालयों आदि का भूकम्परोधी मानकों के अनुसार जल्द से जल्द मरम्मत सुनिश्चित कराना।	
अगलगी		गोदामों में अगलगी की घटना न हो, इसके लिए उपाय सुनिश्चित करना। अग्नि आपदा के सन्दर्भ में विभाग की क्षमता का आकलन कर तदनुसार जोखिम कम करने की रणनीति तैयार करना। पूर्व अनुभवों के आधार पर यह सुनिश्चित करना कि अग्नि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थित जनवितरण प्रणाली की दुकानें अग्नि आपदा से सुरक्षित स्थानों पर हों।	

भवन निर्माण विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सभी आपदाएं (बाढ़, भूकम्प, आंधी-तूफान, ठनका, अगलगी)	सम्बन्धित सभी विभाग भवन निर्माण करते हुए विभागीय भवन निमाण सहिता का पालन करे।	यह सुनिश्चित करना कि नये बनने वाले भवन भूकम्प एवं बाढ़ की दृष्टि से सुरक्षित हों।	विभाग के अन्दर आपदा प्रकोष्ठ का गठन कर अलग से कोष की स्थापना एवं उसमें धन का प्रावधान हो ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके।
	सार्वजनिक संरचनाओं की देखभाल व समयानुसार मरम्मत कार्य सुनिश्चित करना।	विभाग के अन्दर मुख्यालय स्तर पर गठित निरूपण सेल द्वारा नये बनने वाले भवनों वाले स्थलों की मिट्टी जांच करना ताकि जांच के आधार पर संस्तुत तकनीक के अनुसार आंधी तूफान से बचाने वाले भूकम्परोधी भवनों का निर्माण हो।	जनपद में उपलब्ध भारी निर्माण उपकरणों की सूची तैयार करना तथा पर्याप्त निर्माण सामग्रियों का भण्डारण सुनिश्चित करना।
		आंधी-तूफान आने से पहले भवनों के आस-पास स्थित पेड़ों की बड़ी डालियां या कमजोर पेड़ों को काटना सुनिश्चित करना। जिससे आंधी आने की स्थिति में नुकसान कम से कम हो।	संरचनात्मक बचाव उपायों पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सलाह देते रहना।
	कमजोर संरचना तथा बिना भूकम्परोधी तकनीक वाले महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को चिन्हित कर रेट्रोफिटिंग की	नये विकास कार्यक्रमों को डी0आर0आर से जोड़ना ताकि भविष्य में जोखिम को कम किया जा सके।	विभाग में उपलब्ध वाहनों की सूची तैयार रखना व यह सुनिश्चित करना कि वे क्रियाशील रहें।

	कार्यवाही सुनिश्चित करना। सभी विभागीय कर्मचारियों को भवन सुरक्षा विषयक प्रशिक्षण दिलवाना सुनिश्चित करना।	आपदा घटित होने की दशा में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके सम्बन्ध में संबद्ध कार्यालयों व लोगों को सूचना देना।	विभाग के समस्त संसाधनों (मानवीय, वित्त, सामग्री) का रोस्टर रखना जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।
	भवन निर्माण कार्य में लगे राजमिस्त्री एवं मजदूरों को भूकम्परोधी भवन के निर्माण हेतु सतत प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करना।	मकानों, झोपड़ियों को अधिक से अधिक आंधी/तूफान/ ओलावृष्टि रोधी बनाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करना।	जीर्ण- शीर्ण सरकारी भवनों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, गोदामों आदि को चिन्हित कर उसे परित्यक्त (Abandon) घोषित करना। विभाग द्वारा अपने सभी संचार यन्त्रों को चालू हालत में रखना। पंचायत व प्रखण्ड स्तर पर सरकारी भवनों को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए मरम्मत व निर्माण सुनिश्चित करना।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग सहित सूचना तकनीक एवं बी0एस0एन0एल0 बिहार

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में टावर व खम्भे की डिजाइन बाढ़ को ध्यान में रखकर तैयार करना।	आपदा के दौरान प्राप्त होने वाले अनुभवों/सीखों को दस्तावेजित कर आगामी कार्य योजना में समाहित करना।	आपदा से निपटने हेतु विभाग में आपदा समिति एवं आपदा प्रबन्धन कोष का निर्माण करना ताकि आपदा की स्थिति में तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
	आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आयोजित माकड्रिलों में सहभाग करना।	आपदा से निपटने हेतु विभाग में पावर बैकअप के लिए उर्जा के वैकल्पिक स्रोत को तैयार रखना।	दूसरे प्रासंगिक विभागों, नोडल व सपोर्ट एजेंसियों, जिला आपदा प्रबन्ध अभिकरण के साथ मिलकर बाढ़ की पूर्व चेतावनी देने हेतु तंत्र विकसित करने के लिए सम्पर्क स्थापित कर समन्वय बनाना।
		आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए हैम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।	यह सुनिश्चित करना कि टेलीफोन, वायरलेस आदि चालू हालत में हैं और बाढ़ के समय भी चालू हालत में रहें।
		बाढ़ आपदा से निपटने हेतु जिले स्तर पर इण्टरनेट की व्यवस्था को चाक-चौबन्द करना ताकि सूचनाओं का प्रसारण आसानी से एवं तत्काल सुनिश्चित हो सके।	बाढ़ आपदा से सम्बन्धित पूर्व सूचनाएं समुदाय/मोबाइल उपभोक्ता तक देने हेतु प्रसारण कैप्शन के उपयोग करने का तंत्र विकसित करना।
		आपदा के दौरान व बाद में राहत कार्यों को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से सम्पादित करने हेतु एक टोल फ्री नं० तैयार कर प्रसारित करना।	
भूकम्प	भूकम्प आपदा के लिए विभागीय स्तर पर बनाये नवीन तकनीकी व्यवस्था के ऊपर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। यह भी सुनिश्चित करना कि विभाग के सभी भवन भूकम्परोधी हों एवं बीएसएनएल टावर या सेटअप स्थापित करने में भूकम्परोधी तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो।	भूकम्प आपदा के दौरान संचार व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के लिए नये तकनीकों को अपनाना।	
अगलगी	विभाग के सभी कार्यालयों/ भवनों/ गोदामों में अग्निरोधी संयंत्र लगाना सुनिश्चित करना।		अग्नि आपदा से सम्बन्धित सूचनाएं मैसेज अलर्ट के माध्यम से समुदाय स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने हेतु

			विभाग के स्तर पर चेतावनी तंत्र विकसित करना।
--	--	--	---

शिक्षा विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक अध्यापक एवं 10-12 बच्चों को चिन्हित कर आपदा टीम के रूप में गठित कर उन्हें विभिन्न आपदाओं के ऊपर प्रशिक्षित करना, जो प्रत्येक आपदा में ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने के लिए जिम्मेदार हों। साथ ही वह टीम प्रत्येक स्कूल में बच्चों को आपदा के ऊपर प्रशिक्षित करने का कार्य भी करे।	सभी विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना बनाना। (आपदा प्रबन्धन योजना बनाते समय लड़कों एवं लड़कियों के लिए स्वास्थ्य, भौतिक एवं मानसिक सुरक्षा, नियमित उपस्थिति आदि के बिन्दुओं को अलग-अलग कर देखना।)	विभाग में आपदा प्रबन्धन हेतु एक प्रकोष्ठ बनाना तथा आपदा प्रबन्धन शिक्षा विभाग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना।
	बाढ़ आपदा की दृष्टि से नये बनने वाले भवनों की नींव को बाढ़ की अधिकतम ऊंचाई से अधिक ऊंचा तथा सुरक्षित ऊँचे स्थलों पर बनाना।	आपदा के दौरान मिड-डे-मील योजना सुचारु रूप से संचालित करवाना।	जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के असुरक्षित विद्यालयों की सूची तैयार करना तथा मानचित्र पर उनकी अवस्थिति दर्शाना।
	प्रशासन के सहयोग से कुछ छात्रों/शिक्षकों को प्रशिक्षित कर स्वयं सेवक के रूप में आपदा के समय काम करने वाली टीम के रूप में गठन करना।	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यालयों में स्थित जलस्रोतों (टैप या हैण्डपम्पों) का A िचीकरण करना।	स्कूल आपदा प्रबन्धन कमेटी का गठन अनिवार्य रूप से करना।
	गांव स्तर पर उपस्थित रहने वाली आंगनबाड़ी, आशा, ममता आदि को आपदा सम्बन्धी रिफ्रेशर कोर्स कराना सुनिश्चित करना।	मनरेगा योजना से जुड़ाव कर बाढ़ आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहले से बने विद्यालयों को ऊंचा करना।	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यालयों में लाइफसेविंग जैकेट तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्रियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
	छोटे बच्चों को चित्रों के माध्यम से आपदा की स्थितियों के बारे में जागरूक करना।	मनरेगा योजना से जुड़ाव स्थापित कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यालय तक जाने वाले पहुंच मार्गों को ऊंचा व पक्का करना। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ के कारण बच्चों/शिक्षकों के ऊपर पड़ने वाले मानसिक प्रभावों को कम करने हेतु उपयुक्त मनोवैज्ञानिक मदद सुनिश्चित कराना। आपदा के दौरान मिली सीख को भविष्य की स्कूल आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण में समाहित करना।	आपदा सम्भाव्य क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों, विद्यालय के संसाधनों, वहां के स्टाफ व उनके सम्पर्क नं० की सूची को पहले से ही तैयार करना ताकि आपदा के समय उनसे सम्पर्क करने में परेशानी न हो।
अगलगी	स्कूल भवनों में अग्निशामक यन्त्र अनिवार्य रूप से लगवाया जाना सुनिश्चित करना।	अगलगी आपदा के दौरान विद्यालय से बाहर जाने वाले रास्तों का स्पष्ट चिन्ह उल्लेखित किया जाना सुनिश्चित करना।	स्कूल भवनों में निश्चित स्थान पर बालू भरी बाल्टियां रखना सुनिश्चित करना।
	यदि स्कूल भवन बहुत बड़ा हो तो पानी लेने का पाइप वाल्व लगाया जाना सुनिश्चित करना।	स्कूल स्टाफ एवं बच्चों को फायर ब्रिगेड के टेलीफोन नं० व टोल फ्री नं० उपलब्ध कराना।	
	आग लगने की स्थिति में बचाव हेतु अपनाये जाने वाले उपायों पर बच्चों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाना व समय-समय पर (विशेषकर गर्मियों से पहले) पोस्टर प्रदर्शनी, पेंटिंग		

	प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना।		
	अगलगी आपदा से बचाव हेतु स्कूलों में माकड्रिल करवाना।		
भूकम्प	नये बनने वाले विद्यालय भवनों को भूकम्परोधी व भवन निर्माण मानकों के अनुरूप बनाना।	भूकम्प आपदा के दौरान "क्या करें" व "क्या न करें" के उपायों का विद्यालय की दीवारों पर चित्रात्मक वर्णन करना सुनिश्चित करना।	सभी स्कूलों द्वारा अपने पाठ्यक्रमों में भूकम्प आपदा एवं उससे बचाव सम्बन्धी जानकारियां शामिल करना व स्कूल सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश तैयार करना। (अनुलग्नक16)
	भूकम्प आपदा के ऊपर बच्चों के बीच जागरूकता प्रसार हेतु कार्य योजना बनाना व स्कूलों/कालेजों में समय-समय पर पोस्टर प्रदर्शनी, पेंटिंग प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना।	अगलगी आपदा के दौरान विद्यालय से बाहर जाने वाले रास्तों का स्पष्ट चिन्ह उल्लेखित किया जाना सुनिश्चित करना।	
	शिक्षकों व छात्रों के लिए समय-समय पर भूकम्प आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण आयोजित करना व स्कूलों में माकड्रिल करवाना।		
भीषण गर्मी		भीषण गर्मियों की स्थिति में विद्यालयों का संचलन सुबह की पाली में सुनिश्चित करना।	
		यह प्रावधान सुनिश्चित करना कि यदि अधिक गर्मी पड़ रही तो प्रधानाचार्य गर्मियों की छुट्टी से पहले छुट्टी कर दें।	
		सभी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित करना।	

परिवहन विभाग

आपदा	रोक-थाम/ शमन		पूर्व तैयारी
बाढ़, सड़क दुर्घटना	वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों का आकलन करना एवं उन जोखिमों को कम करने के उपाय सुनिश्चित करना।	जिले में सड़क दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील मार्गों/स्थलों की पहचान करना।	बाढ़ आपदा से निपटने हेतु विभाग में आपदा समिति एवं आपदा कोष का निर्माण करना ताकि आपदा की स्थिति में तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।
	विभिन्न आपदाओं की स्थितियों से निपटने हेतु विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य हितभागियों का समय-समय पर माकड्रिल आयोजित करना।	विभाग से सम्बन्धित सूचनाएं समय-समय पर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराकर आई0डी0आर0एन0 वेबसाइट को अपडेट कराने में मदद करना।	सड़क यातायात सुरक्षा से सम्बन्धित दिशा निर्देश जारी करना। (अनुलग्नक 17)
	वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों तथा जिले के अन्य मुख्य मार्गों पर आबादी वाले क्षेत्रों में वाहन की गति सीमा निर्धारित करना।	बाढ़ आपदा के दौरान प्राप्त सीखों एवं अनुभवों को दस्तावेजित करते हुए आगामी विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना में समाहित करना।	बाढ़ आपदा के समय कार्य करने वाले सभी महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बरों, परिवहन के साधनों, ड्राइवरों, कंडक्टरों, नाव, मोटरबोट चालकों आदि की पहचान कर सूची तैयार करते हुए आपदा के समय उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।
	सड़क दुर्घटना को रोकने हेतु दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना।	वाहन, वाहन चालक एवं यात्री तीनों स्तरों पर दुर्घटना बीमा को अनिवार्य करना ताकि सड़क दुर्घटना की स्थिति में जोखिम के प्रभावों को कम करने में सहायता मिले।	मानसून से पूर्व सभी सरकारी व व्यक्तिगत नावों का पंजीकरण करना।

चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य कर सुड़क दुर्घटना को कम करने में सहयोग करना।	मुख्य मार्गों, सम्पर्क मार्गों, चौराहों व दुर्घटना बाहुल्य स्थानों पर यातायात नियमों एवं सुरक्षित चलने से सम्बन्धित होर्डिंग्स लगाया जाना सुनिश्चित करना।	यह सुनिश्चित करना कि विभाग के पास उपलब्ध सभी वाहन मानकों को पूर्ण करते हों।
सड़क मानकों का अनुपालन करने के क्रम में राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गों पर स्वास्थ्य विभाग के समन्वयन से ट्रामा सेण्टर, स्वास्थ्य केन्द्र आदि की स्थापना करना।	विद्यालयों से जुड़े सम्पर्क मार्गों पर सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु महत्वपूर्ण निर्देशों को लिखवाना सुनिश्चित करना।	राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से सम्पादित करने हेतु सामानों की दुलाई के लिए सुरक्षित रस्ते की पहचान करना।
अति व्यस्त सड़कों/ राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपरिगामी सेतु का निर्माण सुनिश्चित करना।	स्कूली वाहनों के ऊपर वाहन चालन से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों को अंकित करवाना सुनिश्चित करना।	बाढ़ आपदा के दौरान प्रशासन द्वारा मांग किये जाने पर वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा इस हेतु ईंधन के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग से समन्वय स्थापित करना। (शासनादेश संख्या 1प्रा0आ0-16/2015/521/आ0प्र0 दिनांक 27/4/15)
		आपदा आने की स्थिति में वाहनों की उपलब्धता हेतु पहले से ही विभिन्न वाहन स्वामियों/संगठनों के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करना।
		यातायात एवं सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन त्रैमासिक आधार पर किया जाना सुनिश्चित करना

शहरी विकास विभाग/नगर परिषद/नगर पंचायत

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सामान्य कार्य		शहरी क्षेत्र में विभिन्न आपदाओं से होने वाले जोखिमों की पहचान तथा उनका विश्लेषण कर शहर आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना। विभाग की विकासीय योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों को समाहित करना।	
शहरी बाढ़	बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए मल एवं जल की निकास प्रणाली का निर्माण कराना नगरीय स्तर पर कूड़ा प्रबन्धन करने हेतु विकेन्द्रित व्यवस्था अपनाना। इस हेतु वार्ड स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली को समुदाय के सहयोग से संचालित करना।	शहरी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित एवं जल-जमाव वाले क्षेत्रों की पहचान करना। बाढ़ एवं जल-जमाव ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़रोधी मकान बनाने हेतु प्रोत्साहित करना।	जल-जमाव वाले क्षेत्रों से जमा पानी निकासी के लिए पम्पसेटों का रख-रखाव ठीक रखना।
	पुराने जर्जर भवनों एवं विद्युत पोलों, टावरों को नष्ट करने हेतु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्थान एवं विभागों को नोटिस देना।	लाइफ लाइन भवनों एवं सड़क पुल, जलापूर्ति व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण संरचनाओं को बाढ़ सुरक्षित करना तथा उन्हें आपदारोधी बनाना।	
	डी0आर0आर0 रोडमैप के अनुसार रिजिलियेन्स सिटी विषय के अन्तर्गत सुझाये गये कार्यों एवं मानकों के अनुसार विकास को बढ़ावा देना।	जल-जमाव अथवा बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाले वार्डों में स्थित पेयजल स्रोतों का उच्चिकरण।	
भूकम्प	भूकम्प से बचाव के लिए		भूकम्प के बाद आवश्यक सेवाओं और

	<p>भूकम्परोधी भवन निर्माण कानून को कठोरता से लागू किया जाना</p> <p>पुराने जर्जर भवनों को ढहाकर उसे नया रूप देने जैसे डी0आर0आर0 उपायों को शहरी योजना में शामिल किया जाना ।</p>		<p>सुविधाओं की बहाली के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की पूर्व तैयारी होना सुनिश्चित करना ।</p>
शीतलहर			<p>रिक्शाचालकों, दैनिक मजदूरों व अति गरीब व्यक्तियों के लिए रैनबसेरों/अस्थाई शरणस्थलों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0-36/2011/4289/आ0प्र0 दिनांक 3/12/13 शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0-36/2011/5396/आ0प्र0 दिनांक 16/12/13)</p> <p>फुटपाथ पर निवास करने वाले गरीब, रिक्शाचालकों, दैनिक मजदूरों, निःसहाय व्यक्तियों के बीच पर्याप्त मात्रा में कम्बल का वितरण सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0-36 /2011/4289/आ0प्र0 दिनांक 3/12/13 शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0-36/2011/ 5396/ आ0प्र0 दिनांक 16/12/13)</p> <p>जिला से लेकर प्रखण्ड स्तर तक सभी शहरी व अर्ध शहरी क्षेत्रों में अलाव जलाने हेतु पर्याप्त मात्रा में लकड़ियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0-36/2011 / 4289/आ0प्र0 दिनांक 3/12/13 शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0-36/2011/5396/ आ0प्र0 दिनांक 16/12/13)</p>
भीषण गर्मी		<p>सार्वजनिक स्थानों पर गर्म हवाओं व लू से बचाव से सम्बन्धित जानकारियां एवं सूचनाएं प्रसारित करना सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0-20/ 20151/आ0प्र0 दिनांक)</p>	<p>सार्वजनिक स्थानों पर स्थानीय निकायों द्वारा प्याउ की व्यवस्था सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0-20/2015/ /आ0प्र0 दिनांक)</p>

ग्रामीण विकास विभाग (जीविका सहित)

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़, अग्नि, भूकम्प, आंधी-तूफान, ठनका, सुखाड़	<p>बिहार कोसी फ्लड रिकवरी परियोजना के तहत गृह निर्माण हेतु दिये गये निर्देशों के मुताबिक सरकारी आवास योजना जैसे इन्दिरा आवास योजना का लाभ लेने वाले लोगों को जोखिम प्रतिरोधी घर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।</p> <p>जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना।</p>	<p>आपदा प्रभावित लोगों को शरणालयों से वापस गांव में लौटने पर उनके लिए आजीविका सुनिश्चित करने हेतु मनरेगा या इसी प्रकार की अन्य योजनाओं/ कार्यक्रमों से जुड़ाव सुनिश्चित करना</p> <p>मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृषिगत भूमि से गाद या बालू हटाकर उसे पुनः</p>	

		खेती योग्य बनाना तथा भूमि के अनुरूप फसलों/ प्रजातियों को बढ़ावा देना।	
	आपदा जोखिमों को समझने, आजीविका पर उसके पड़ने वाले प्रभावों, जोखिमों को मापने, आपदा से हुई क्षति का मुआवजा आदि पर समझ बनाने हेतु प्रखण्ड स्तर पर स्थानीय निकायों को प्रशिक्षित करने के लिए जीविका को एक "सुरक्षित आजीविका सन्दर्भ केन्द्र" के तौर पर विकसित करना।	जीविका के माध्यम से समूह से जुड़ी महिलाओं को फल एवं सब्जिया उगाने हेतु प्रशिक्षित करना तथा बेहतर कृषिगत तकनीकों को अपनाने हेतु समूह तैयार करना।	
	जीविका के अन्तर्गत तैयार समूहों की महिला सदस्यों को आजीविका के विभिन्न विकल्पों के ऊपर प्रशिक्षित करना।	समूह में कुछ प्रशिक्षित महिलाओं को फल एवं सब्जी प्रसंस्करण एवं इससे जुड़े व्यवसायों के लिए तैयार करना। समूहों के लिए बाजार का नेटवर्क तैयार करना।	

अध्याय : 6

क्षमता वर्धन एवं प्रशिक्षण (Capacity Building and Training)

आपदा प्रबन्धन में क्षमता निर्माण एक प्रमुख घटक है, जो जिला आपदा प्रबन्धन योजना के सफल क्रियान्वयन तथा स्थाई विकास के लिए आवश्यक है। क्षमता निर्माण का मुख्य उद्देश्य जिले के सभी हितधारकों का आपदा एवं उससे उत्पन्न जोखिमों के प्रति जानकारी बढ़ाना है ताकि जोखिम को कम करते हुए समुदाय को सुरक्षित बनाया जा सके। इससे लोगों में आपदा से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है और आपदा के प्रति अनुकूलन की क्षमता का विकास होता है। जिला स्तर पर प्रभावी क्षमता निर्माण के लिए आपदा से जुड़े सभी हितभागियों की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि जागरूकता कार्यक्रमों, शिक्षा, शोध एवं विकास व्यवस्थित प्रशिक्षण को शामिल करते हुए मधेपुरा जिला के लिए एक अप-टू-डेट जिला आपदा प्रबन्धन रिसोर्स इन्वेण्टरी बनायी जाये। बिहार राज्य

डी0आर0आर0 रोडमैप एवं राज्य आपदा प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जिला पदाधिकारी पूरे जिले में प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों, लाइन डिपार्टमेण्ट्स, समुदाय, पंचायती राज संगठन, सामुदायिक संगठन, कम्प्यूटर इंजीनियर्स, राजमिस्त्री, नर्स, डाक्टरों, आशा, ममता, आंगनबाड़ी एवं अन्य विभिन्न हितभागियों के क्षमता निर्माण हेतु राज्य सरकार एवं बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित कर क्षमता विकास गतिविधियां संचालित करना सुनिश्चित करेगा। इस दिशा में बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण राज्य के सभी जिलों के आपदा से जुड़े विभिन्न हितभागियों को आपदा के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है।

आपदा के दौरान प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से सम्पादित करने हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़े आला अधिकारियों का समय-समय पर क्षमतावर्धन कार्य किया जाना एक आवश्यक गतिविधि है। इसके अन्तर्गत जिले से कुल 10 प्रशासनिक अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न घटकों- रोक-थाम, शमन, पूर्व तैयारी, रिस्पान्स एवं पुनर्निर्माण के ऊपर बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, फुलवारी शरीफ, पटना में प्रशिक्षित किया गया। (अनुलग्नक18)

इसके साथ ही वर्ष 2017-2018 के अन्तर्गत बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदा रोक-थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी के सन्दर्भ में निम्न विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे समुदाय, पंचायत प्रतिनिधि एवं अन्य हितभागी लाभान्वित हो रहे हैं -

- नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- नौकाओं के सर्वेक्षण/निबंधन हेतु सर्वेक्षकों एवं निबंधकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों के लिए भूकम्परोधी निर्माण एवं रेडोफिटिंग तकनीक से सम्बन्धित प्रशिक्षण
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन पर मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- आपदा में पशुओं का प्रबन्धन पर पशु चिकित्सा पदाधिकारियों का चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिलों में प्रत्येक स्कूल में फोकल शिक्षक एवं बाल प्रेरकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.1 संस्थागत क्षमता वर्धन

आपदा प्रबन्धन की अवधारणा में आमूल-चूल परिवर्तन होने के फलस्वरूप आपदा प्रबन्धन में केवल राहत एवं बचाव ही नहीं अपितु रोक-थाम, शमन, पूर्व तैयारियां, न्यूनीकरण, रिस्पान्स एवं पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण की गतिविधियां शामिल हो गयी हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राज्य,

जिला एवं अनुमंडल स्तर पर नीतियों के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः आवश्यक हो जाता है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को आपदा प्रबन्धन अधिनियम, नीति, राज्य योजना, जिला योजना एवं बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप आदि के विषय में व्यापक जानकारी दी जाये। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उनको आपदा रिस्पान्स के दौरान निर्धारित

प्रशासनिक संरचनाओं तथा आपदा से निपटने हेतु विशेषज्ञ बलों (NDRF/SDRF)के कार्यों की भी जानकारी हो।

विभागीय चर्चा एवं बैठकों के दौरान आपदाओं के नये-नये स्वरूपों को जानने-समझने तथा उनसे निपटने के उपायों पर जिलास्तरीय पदाधिकारियों/

कर्मचारियों एवं फ्रण्टलाइन सेवाप्रदाताओं का क्षमतावर्धन करने के विषय पर वार्ता की गयी। चर्चा के बाद विभिन्न विभागों/ हितधारकों के द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण बिन्दुओं एवं संभावित लाभार्थियों की आवश्यकता उभर कर सामने आयी, जिसे तालिका संख्या 23 के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका 23 :विभागवार अपेक्षित प्रशिक्षण विषय एवं लाभार्थियों की सूची

विभाग	विभाग द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण के विषय	लाभार्थी		
		संस्थान	सामुदायिक संगठन	प्रोफेशनल्स
आपदा प्रबन्धन विभाग	जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण समन्वय <ul style="list-style-type: none"> पूर्व चेतावनी एवं सूचना तकनीक की भूमिका खतरा, जोखिम, भेद्यता एवं क्षमता आकलन विकासीय योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश 	विभागीय पदाधिकारी	स्वैच्छिक संगठन	इन्जीनियर वास्तुविद डाक्टर
	समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन	<ul style="list-style-type: none"> अंचल पदाधिकारी प्रखण्ड पदाधिकारी पशु चिकित्सा पदाधिकारी होमगार्ड्स 	<ul style="list-style-type: none"> स्वैच्छिक संगठन आपदा प्रबन्धन समिति के सदस्य नेहरू युवा केन्द्र रेडक्रास सोसायटी त्वरित रिस्पान्स टीम के सदस्य ग्राम स्तर पर गठित स्वास्थ्य समिति के सदस्य 	मुखिया, सरपंच, पंचायत प्रतिनिधि, समुदाय, रिटायर्ड सैनिक, शिक्षक एवं स्वास्थ्य कर्मी
कृषि विभाग	वैकल्पिक खेती तकनीक <ul style="list-style-type: none"> मिश्रित खेती गृहवाटिका सूखा, बाढ़, कीट/व्याधि रोधी प्रजातियां पादप रोग एवं उसका प्रबन्धन सुरक्षित खेती अभ्यास एकीकृत खेती 	<ul style="list-style-type: none"> पंचायत कृषि सलाहकार प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एस.डी.ओ. कृषि (अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी) प्रखण्ड स्तर पर पादप सुरक्षा पदाधिकारी 	<ul style="list-style-type: none"> किसान क्लब के सदस्य स्वयं सहायता समूह 	कृषि सलाहकार, प्रगतिशील किसान, के0वी0के0 वैज्ञानिक
	पशुचारा प्रबन्धन <ul style="list-style-type: none"> साइलेज, हे बनाने व भण्डारण की विधि पशुचारे की अन्तर्फलसली 	<ul style="list-style-type: none"> पशुपालन पदाधिकारी पंचायत कृषि सलाहकार, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी 	<ul style="list-style-type: none"> पशु प्रसार अधिकारी किसान क्लब स्वयं सहायता समूह 	किसान, पशुपालक

	<p>(Intercropping)</p> <ul style="list-style-type: none"> स्थान का चयन एवं पशुचारा भण्डारण 	<ul style="list-style-type: none"> एस.डी.ओ. कृषि (अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी) पंचायत सेवक राजस्व कर्मचारी 		
	<p>खाद्यान्न उपलब्धता</p> <ul style="list-style-type: none"> सामुदायिक अनाज व चारा बैंक की स्थापना अनाज बैंक संचालन समिति का प्रशिक्षण 	<ul style="list-style-type: none"> पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी एस.डी.ओ. कृषि 	<ul style="list-style-type: none"> स्वयं सहायता समूह व्यापारीगण पंचायत समितियां 	किसान, मुखिया, सरपंच
	<p>कम लागत तकनीक खेती</p> <ul style="list-style-type: none"> जैविक खेती को बढ़ावा कम्पोस्टिंग टपक (Dripp) एवं बोछारी (Sprincular) सिंचाई स्थानीय बीज उत्पादन 	<ul style="list-style-type: none"> पंचायत कृषि सलाहकार प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एस.डी.ओ. कृषि (अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी) प्रखण्ड स्तर पर पादप सुरक्षा पदाधिकारी लघु सिंचाई कर्मचारी 	<ul style="list-style-type: none"> किसान क्लब के सदस्य स्वयं सहायता समूह 	कृषि सलाहकार, प्रगतिशील किसान
	<p>खाद्य प्रसंस्करण</p> <ul style="list-style-type: none"> फल सब्जी प्रसंस्करण मूल्यवर्धन एवं विपणन 	<ul style="list-style-type: none"> जिला उद्यान पदाधिकारी बागवानी पदाधिकारी 	<ul style="list-style-type: none"> स्वयं सहायता समूह किसान क्लब के सदस्य 	प्रगतिशील किसान
	<p>आपदा क्षति आकलन</p> <ul style="list-style-type: none"> खण्ड पंचायत स्तर पर आपदा आकलन करने हेतु प्रशिक्षण 	<ul style="list-style-type: none"> राजस्व कर्मचारी कृषि पदाधिकारी 		प्रधान
पशुपालन विभाग	<p>आपदा पूर्व टीकाकरण एवं पशु रोगों से बचाव व निदान</p>	<ul style="list-style-type: none"> जिला पशुपालन पदाधिकारी पशुधन प्रसार अधिकारी 		पशुपालक, मुखिया, सरपंच
	<p>पशुपालक, डेयरी व मछली पालन से जुड़े विभागों का रख-रखाव व बेहतर गुणवत्तापूर्ण प्रबन्धन</p>	<ul style="list-style-type: none"> पशुपालन पदाधिकारी मत्स्य पदाधिकारी ड्रेसर पशुधन सहायक कम्पाउण्डर 	स्वयं सहायता समूह के सदस्य	पशुपालक, मत्स्यपालक
भवन निर्माण विभाग	<p>रैपिड विजुअल सर्वे, भूकम्प/बाढ़रोधी सुरक्षित भवन निर्माण प्रक्रिया एवं रेट्रोफिटिंग तकनीक</p>	<ul style="list-style-type: none"> कार्यपालक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता 		स्थानीय राजमिस्त्री, वास्तुविद, मास्टर ट्रेनर/संवेदक
शिक्षा विभाग	<p>स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम</p> <ul style="list-style-type: none"> स्कूल आपदा प्रबन्धन योजना नुकसान एवं 	<ul style="list-style-type: none"> जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना) जिला परियोजना 	<ul style="list-style-type: none"> स्कूल शिक्षक संघ के सदस्य शिक्षा समिति के सदस्य 	प्रधानाचार्य, अध्यापक, चयनित फोकल

	<p>आवश्यकता आकलन</p> <ul style="list-style-type: none"> मॉकड्रिल 	<p>पदाधिकारी (स्थापना)</p> <ul style="list-style-type: none"> जिला परियोजना पदाधिकारी (मध्याह्न) डायट के सदस्य 		अध्यापक, छात्र/छात्राएं
अग्निशामन	अगलगी से बचाव के अभिनव तकनीकों तथा भवनों की सुरक्षा आडिट	<ul style="list-style-type: none"> अग्नि सम्पदा अधिकारी फायरमैन जिला आपदा प्रबन्धन पदाधिकारी एन0एस0एस0 व एन0सी0सी0 	<ul style="list-style-type: none"> दुकानदार/व्यवसायिक संगठन हाउसिंग सोसायटी स्थानीय स्वैच्छिक संगठन 	वार्ड सदस्य, पेट्रोल पम्प मालिक व कार्यकर्ता
परिवहन विभाग	आपदा में जीवन सुरक्षा तकनीकों एवं मानकों का पालन एवं उपयोग	<ul style="list-style-type: none"> सरकारी वाहन चालक परिचालक 		वाहन/नाव स्वामी व चालक, मास्टर ट्रेनर
स्वास्थ्य विभाग	<p>अस्पताल सुरक्षा</p> <ul style="list-style-type: none"> अस्पताल आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण विभाग के अन्दर नुकसान एवं आवश्यकता आकलन 	<ul style="list-style-type: none"> जिला असेनिक एवं शल्य चिकित्सा पदाधिकारी पैथोलॉजिस्ट/टेक्नीशियन जिला अस्पताल सुपरिटेण्डेण्ट एम0ओ0आई0सी0 	जिले में स्थित इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन के सदस्य	डाक्टर, आशा, ड्राइवर
	त्वरित मेडिकल रिस्पान्स	<ul style="list-style-type: none"> त्वरित मेडिकल रिस्पान्स टीम के सदस्य पैरा मेडिकल स्टाफ मोबाइल मेडिकल टीम के सदस्य मनोवैज्ञानिक फर्स्ट एड टीम के सदस्य कम्पाउण्डर 	<ul style="list-style-type: none"> रेडक्रास सोसायटी के कार्यकर्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकर्ता 	आशा, एएनएम, ग्राम स्तरीय मोबिलाइजर
पंचायती राज विभाग	राहत वितरण, आवास एवं कैम्प प्रबन्धन	<ul style="list-style-type: none"> रोजगार सेवक पंचायत सेवक आंगनबाड़ी सेविका पी0एच0ई0डी0 विभाग के क्षेत्र कर्मचारी 	<ul style="list-style-type: none"> पंचायत प्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता आपदा प्रबन्धन समिति सदस्य 	आशा, चौकीदार, मुखिया, सरपंच, सेवानिवृत्त डाक्टर, सेवानिवृत्त सैनिक
	ग्रामस्तरीय स्वास्थ्य एवं साफ सफाई	<ul style="list-style-type: none"> पंचायत सेवक राजस्व कर्मचारी आंगनबाड़ी सेविका ग्राम स्वास्थ्य, साफ-सफाई एवं पोषण समिति के सदस्य 	<ul style="list-style-type: none"> पंचायत प्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता 	आशा, चौकीदार, सरपंच, स्थानीय नलकूप मिस्त्री

		<ul style="list-style-type: none"> पी0एच0ई0डी0 विभाग के क्षेत्र कर्मचारी 		
--	--	---	--	--

स्रोत : विभागीय चर्चा

6.2 जागरूकता

आपदा प्रबन्धन के प्रति लोगों की जागरूकता भी आपदाओं के शमन, रोक-थाम एवं पूर्व तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सन्दर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग एवं बिहार आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के सन्दर्भ में निम्न सुरक्षा सप्ताह एवं जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं—

- भूकम्प सुरक्षा सप्ताह
- बाढ़ सुरक्षा सप्ताह
- सड़क सुरक्षा सप्ताह
- अग्नि सुरक्षा सप्ताह

इसके अतिरिक्त बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आपदाओं के सन्दर्भ में “क्या करें” और “क्या न करें” के उपाय भी सुझाये गये हैं।

इन उपरोक्त सुरक्षा सप्ताहों एवं आपदाओं से बचने के उपायों को समुदाय के बीच प्रसारित करने हेतु निम्न गतिविधियां अपनायी जा सकती हैं –

- स्कूलों, बाजारों, सिनेमाघरों, मॉलों आदि में अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित पूर्वाभ्यास के माध्यम से।
- स्कूलों में भूकम्प से बचाव हेतु पूर्वाभ्यासों के आयोजन के माध्यम से।
- आपदाओं के सन्दर्भ में वाद-विवाद, चित्रकला व पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से।
- स्थानीय हाट-बाजारों व चौराहों पर नुक्कड़ नाटक, लोक संगीत आदि के माध्यम से।

अध्याय : 7


रिस्पान्स योजना (Responce Plan)

वर्तमान में आपदाओं के बदलते प्रभावों और समाज पर पड़ने वाले उनके प्रभावी असर को देखते हुए किसी एक विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से आपदाओं का सामना करना संभव नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि आपदाओं से उत्पन्न स्थितियों का सामना सभी विभाग/एजेन्सियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा मिल-जुल कर किया जाय। इसके लिए एक सुदृढ़

एवं व्यवहार्य आपदा रिस्पान्स योजना बनाने की आवश्यकता होगी। आपदा के दौरान जिला पदाधिकारी इन्सीडेण्ट कमाण्डर के तौर पर काम करेंगे और विभिन्न विभागों एवं उनमें नामित नोडल पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। इसे निम्न प्लो चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं –

बाढ़ आपदा के तीनों चरणों में समन्वय तंत्र

जिला पदाधिकारी
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/टास्क फोर्स/प्रशासन
रिस्पांस



15 जून


15 अक्टूबर

सड़क दुर्घटना के संदर्भ में समन्वय तंत्र

जिला पदाधिकारी

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/टास्क फोर्स/प्रशासन

रिस्पांस



उपरोक्त प्लो चार्ट को ध्यान में रखते हुए मधेपुरा जिले में आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने हेतु जिले में निम्नांकित कोषांगों का गठन किया गया है। जिले में आपदा घोषित होने के तुरन्त बाद ये कोषांग सक्रिय हो जाते हैं और राहत, बचाव एवं अन्य कार्यों हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जिला प्रशासन के निर्देशन में कार्य करते हैं –

- मुख्य कोषांग सह नियंत्रण कक्ष
- कृषि कोषांग
- विधि व्यवस्था कोषांग
- लोक स्वास्थ्य कार्य कोषांग
- स्वास्थ्य कोषांग
- पशु/दवा/चारा एवं मत्स्य कोषांग

- ग्रामीण सड़क एवं पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क कोषांग
- खाद्य सामग्री की आपूर्ति एवं पैकेटिंग कोषांग
- सूचना प्रतिवेदन एवं मीडिया प्रबन्धन कोषांग
- गुणवत्ता जांच कोषांग
- शिविर संचालन कोषांग
- नाव परिचालन एवं वाहन कोषांग
- संचार एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था कोषांग
- सैन्य बल समन्वय कोषांग
- शिक्षा एवं आंगनबाड़ी कोषांग
- नाव घाट संचालन कोषांग
- एन0जी0ओ0 कोषांग
- खोज एवं बचाव कोषांग
- जन सहयोग कोषांग
- खाद्य सामग्री गोदाम कोषांग

कोषांग 1 : मुख्य कोषांग-सह-नियंत्रण कक्ष

जोखिम	नोडल विभाग/वरीय पदाधिकारी	सहयोगी विभाग
सभी आपदाएं	जिला प्रशासन	<ul style="list-style-type: none"> ■ आपदा प्रबन्धन ■ स्वास्थ्य विभाग ■ आई0सी0डी0एस0 ■ पी0एच0ई0डी0 ■ जिला प्रशासन
विभाग	कार्य	जिम्मेदार व्यक्ति
जिला प्रशासन	सभी कोषांगों में समन्वय स्थापित करना जिला पदाधिकारी के सम्पर्क में रहना सभी कोषांगों का निरीक्षण करना सरकार से आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन प्राप्त करना बाहर से आने वाले संसाधनों पर नियन्त्रण रखना। प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करना।	उप विकास आयुक्त

कोषांग 2 : कृषि

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़, सूखा, अग्नि, ओलावृष्टि, अत्यधिक तापमान, भारी बारिश, आंधी तूफान	कृषि विभाग	<ul style="list-style-type: none"> ■ आत्मा ■ जिला प्रशासन
विभाग	कार्य	जिम्मेदार व्यक्ति
कृषि विभाग	फसल क्षति का आकलन करना फसल क्षति का वितरण करना आकस्मिक फसल योजना तैयार करना क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजा हेतु राशि का आकलन कर अधियाचना पत्र भेजने हेतु संचिका उपस्थापित करना आपदा के दौरान प्रभावित हुए विभागीय यन्त्र, बीज, खाद, कीटनाशक आदि की सूचना प्राप्त करना एवं जिला आपदा नोडल अधिकारी को प्रेषित करना। विभाग के पास उपलब्ध बीज, खाद, अनाज को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने हेतु राजस्व व परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना। किसानों की समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक मन्तव्य देना कृषि से सम्बन्धित अन्य सभी मामलों के निदान हेतु कार्यवाही करना दैनिक/साप्ताहिक प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराना	जिला कृषि पदाधिकारी
जिला प्रशासन	जोखिमों की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए क्षति एवं आवश्यकता आकलन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को फील्ड में भेजना।	प्रभारी पदाधिकारी

कोषांग 3 : विधि व्यवस्था

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग	
सभी जोखिमों के लिए	गोपनीय प्रशाखा	<ul style="list-style-type: none"> पुलिस प्रखण्ड कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी कृषि 	
विभाग	कार्य	जिम्मेदार व्यक्ति	
जिला प्रशासन	विधि व्यवस्था सम्बन्धी आदेश निर्गत करना बाहर के जिले से विधि व्यवस्था हेतु अधियाचना	प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा / अनुमण्डल पदाधिकारी	
पुलिस	प्रभावित क्षेत्रों की प्रारम्भिक स्थिति का आकलन करना	पुलिस अधीक्षक	
	विधि व्यवस्था से सम्बन्धित अधिकारिक बयान जारी करना		
	स्टाफ एवं सुविधाओं की स्थिति का निर्धारण करना तथा यदि आवश्यक हो तो नियुक्ति नियोजन के अनुसार अतिरिक्त स्टाफ एवं संसाधनों की नियुक्ति करना		
	जोखिमों एवं असुरक्षित स्थितियों की पहचान करना तथा समुदाय की सुरक्षा के लिए उपाय सुझाना		
	प्रभावित क्षेत्रों की घेराबन्दी करना		एसएचओ
	प्रभावित क्षेत्रों, निष्कासित क्षेत्रों, ध्वस्त क्षेत्रों, शरणालयों, कैम्पों, मेडिकल पोस्टों, वितरण केन्द्रों, गोदामों / वेयरहाउस आदि को सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करना		पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)
	राहत सामग्रियों की लूट एवं कालाबाजारी को रोकना		एसएचओ
	निष्कासित एवं ध्वस्त हुए क्षेत्रों से बचाकर लाये गये लोगों को सुरक्षा प्रदान करना		एसएचओ
	जब आवश्यक हो तो बचाव उपायों को अपनाना		
	मानव व्यापार से महिलाओं को बचाना		
	आपदा के दौरान या बाद में चोरी-चकारी को रोकना		
	फर्जी दावे से बचने के लिए मृत शरीरों की सुरक्षा करना		
प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले महत्वपूर्ण एवं अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना	पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)		
क्षतिग्रस्त या जोखिम भरे रास्तों पर लोगों को जाने से रोकना	पुलिस उपाधीक्षक (यातायात)		
जन सम्पर्क अधिकारी के समन्वयन से अफवाहों को रोकना	पुलिस अधीक्षक		
गृह रक्षा वाहिनी	कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने में पुलिस विभाग की मदद करना	जिला कमाण्डेंट	
प्रखण्ड कार्यालय	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गश्ती करना	अनुमण्डल पदाधिकारी	

कोषांग 4 : लोक स्वास्थ्य कार्य

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़, भूकम्प,	पी0एच0ई0डी0	<ul style="list-style-type: none"> जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पी0एच0ई0डी0
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
जिला प्रशासन	प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित नुकसान आकलन के लिए सामुदायिक ढांचों के नुकसान का स्तर तय करना	उप विकास आयुक्त
	मलबों की सफाई सुनिश्चित करना	जेई (मैकेनिकल विंग)
	अपने क्षेत्र में पड़ने वाले क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करना	जेई (सिविल एवं मैकेनिकल विंग)
लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण विभाग	खराब पेयजलों की मरम्मत।	सहायक अभियंता
	यदि आवश्यक हो तो पानी की आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल लगवाना	कार्यपालक अभियंता
	शिविरों में पेयजल / शौचालयों की व्यवस्था	सहायक अभियन्ता
	पशु शिविर में पेयजल	कार्यपालक अभियन्ता
बाढ़ग्रस्त इलाकों में ऊंचे प्लेटफार्म पर हैण्डपम्प एवं शौचालयों की व्यवस्था		

कोषांग 5 : स्वास्थ्य

जोखिम	नोडल विभाग/वरीय पदाधिकारी	सहयोगी विभाग
सभी जोखिमों के लिए	स्वास्थ्य विभाग	<ul style="list-style-type: none"> जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्वास्थ्य समिति
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
स्वास्थ्य	देखभाल करना और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत रूप से सेवाएं उपलब्ध कराना यदि आवश्यक हो तो मरीज को प्रभावित क्षेत्र से अलग रखना प्रभावित क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन करना आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को देखने की क्षमता एवं सर्जिकल क्षमता को बढ़ाना दवाओं, खून, टीका, रेडिएशन इमिटिंग एवं स्क्रीनिंग उपकरणों एवं अन्य मेडिकल उत्पादों को समुचित मात्रा में भण्डारित करना ब्लड बैंक पदाधिकारी के माध्यम से ब्लड एवं ब्लड सम्बन्धी अन्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रभावित क्षेत्रों के लिए समुचित मात्रा में एम्बुलेन्स का सहयोग करना मेडिकल अपशिष्टों का उचित निस्तारण सुनिश्चित करना जन सूचना बूथों की स्थापना करना शरणालयों एवं कैम्पों में मेडिकल केन्द्रों की स्थापना करना आपदा के बाद की स्वास्थ्य सम्बन्धित स्थितियों पर अधिकारिक बयान जारी करना महामारी की रोकथाम हेतु आवश्यक व्यवस्था दैनिक प्रतिवेदन भेजना	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
जिला स्वास्थ्य समिति	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में साफ- सफाई गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सुविधा हेलेोजन/ब्लीचिंग पाउडर/ जीवन रक्षक दवाई/सर्पदंश/ हैजा-कालरा संबंधी दवाई की व्यवस्था प्रसव हेतु समुचित व्यवस्था	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक

कोषांग 6 : पशु दवा/चारा एवं मत्स्य

जोखिम	नोडल विभाग/वरीय पदाधिकारी	सहयोगी विभाग
सभी जोखिमों के लिए	पशु एवं मत्स्यपालन विभाग	<ul style="list-style-type: none"> कृषि
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन	पशुओं को शिविर में रखवाना पशु स्वास्थ्य मुद्दों को समझना और घायल एवं मृत पशुओं को चिकित्सकीय देख-भाल प्रदान करना बीमार एवं स्वस्थ पशुओं को अलग-अलग रखना आकस्मिक चिकित्सकीय सुविधा एवं अस्थाई शरणालय प्रदान करना सभी शरणस्थलों पर आवश्यक दवाई / पशुचारा/ पशु चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति जानवरों एवं मुर्गियों के लिए चारा, दाना एवं पानी उपलब्ध कराना स्वस्थ पशुओं में बीमारियों का प्रसार होने से रोकने के लिए बीमार पशुओं के रख-रखाव, चारा, दाना आदि की अलग व्यवस्था करना आवश्यकता आकलन के आधार पर जानवरों के लिए चारागाहों उपलब्ध कराना मौसम खराब होने की स्थिति में शरणालय बनाने के लिए झालरों, टाट बोरो तथा तिरपालों की व्यवस्था करना अधिक गर्मी होने की स्थिति में स्प्रेकलर एवं पंखों आदि की व्यवस्था करना पशुओं में समय से टीकाकरण सुनिश्चित करना पशु स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली एजेन्सियों, संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों आदि से समन्वयन स्थापित करना	जिला पशुपालन पदाधिकारी

पशुओं में फैलने वाली बीमारियों की निगरानी करना	
जानवरों के बचाव एवं दुलाई के लिए परिवहन की व्यवस्था करना	
बीमार एवं मृत जानवरों की दुलाई के लिए अलग वाहनों की व्यवस्था करना	
बीमार एवं मृत जानवरों की दुलाई में लगे वाहनों, लोगों एवं स्थानों को नियमित रूप से संक्रमणरहित करना	
जानवरों शवों का समुचित निस्तारण सुनिश्चित करना	
जानवरों के मल-मूत्रों का निस्तारण करने हेतु पर्याप्त आदमियों को लगाना	
बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए फागिंग करना	

कोषांग 7 : ग्रामीण सड़क एवं पीओडब्ल्यूडीओ सड़क

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
भूकम्प, बाढ़, अग्नि	जिला प्रशासन	<ul style="list-style-type: none"> योजना विभाग ग्रामीण कार्य विभाग पथ प्रमण्डल
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
ग्रामीण कार्य विभाग	क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वेक्षण मलबों की सफाई सुनिश्चित करना क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत निष्कासन, खोज एवं बचाव कार्य को सरल बनाने के लिए क्षतिग्रस्त निजी व सार्वजनिक ढांचों को ध्वस्त या स्थिर करना आवश्यकता पड़ने पर अस्थाई शरणालय, शौचालय, मेडिकल पोस्ट, हेलीपैड एवं अन्य बुनियादी ढांचों तथा अस्थाई सड़कों का निर्माण करना असुरक्षित ढांचों को ध्वस्त करना दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुचारु यातायात व्यवस्था हेतु प्रबन्धन	कार्यपालक अभियन्ता

कोषांग 8 : खाद्य सामग्री की आपूर्ति एवं पैकेटिंग

जोखिम	नोडल विभाग / वरीय पदाधिकारी	सहयोगी विभाग
सभी जोखिमों के लिए	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	<ul style="list-style-type: none"> लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण नजारत प्रखण्ड कार्यालय रेडक्रास सोसायटी
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
खाद्य एवं आपूर्ति	आपूर्तिकर्त्ताओं को पूर्व से चिन्हित करना आवश्यकता आकलन पर आधारित एवं स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर, विशेषकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, वृद्ध व्यक्तियों आदि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक खाद्य वस्तुओं का खाना सुरक्षित करना प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खाद्य भण्डारण की व्यवस्था करना। गोदामों/भण्डारगृहों में रखे गये अनाजों की बाढ़, जल-जमाव, आग, कीट एवं अन्य संभावित जोखिमों से सुरक्षा सुनिश्चित करना। सामुदायिक रसोई गृहों को तैयार करने के लिए समुचित व्यवस्था करना और इसका प्रबन्धन सुनिश्चित करना आवश्यकता आकलन के आधार पर खाने के पैकेट/किट्स आदि तैयार करना विभागों, दुकानों, स्वैच्छिक संगठनों एवं एजेन्सियों की सहायता से खाद्य सामग्रियों की व्यवस्था करना। प्रभावित परिवारों को बर्तन, खाद्यतेल, स्टोव, ईंधन, माचिस/लाइटर, मसाला आदि उपलब्ध कराना	जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी

	प्रभावित क्षेत्रों को मिलने वाले खाद्य सामग्रियों की निगरानी एवं समन्वयन करना	
	पुलिस के सहयोग से राहत सामग्रियों की काला बाजारी एवं लूट को रोकना	
	खाद्य सामग्री/पैकेटों का वितरण एवं अनुश्रवण	अंचल पदाधिकारी
	खाद्य सामग्रियों की अतिरिक्त अधियाचना	जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी
	यदि आवश्यक हो तो निजी क्षेत्रों की मदद से खाद्य की व्यवस्था कर उपलब्ध कराना	
	पेट्रोल पम्प के कार्यशील न होने की स्थिति में पेट्रोल/डीजल/सीएनजी भरने वाले केन्द्र उपलब्ध कराना	एएफएसओ
रेड क्रॉस सोसायटी	प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री के पैकेटों की उपलब्धता सुनिश्चित करना	सचिव रेडक्रॉस सोसायटी
	खाद्य पैकेट/किट तैयार करने तथा भारी मात्रा में खाद्य सामग्री वितरण करने में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की मदद करना	

कोषांग 9 : सूचना प्रतिवेदन एवं मीडिया प्रबन्धन

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
सभी जोखिमों के लिए	आपदा प्रबन्धन	<ul style="list-style-type: none"> सांख्यिकी सूचना जन सम्पर्क आई0टी विभाग
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
सांख्यिकी विभाग	क्षति सम्बन्धी एवं सहाय सम्बन्धी सभी तरह के प्रतिवेदन भेजने हेतु ससमय उपस्थापित करना	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
जन सम्पर्क विभाग	प्रेस-कान्फ्रेंस आयोजित करना	जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी
	समाचार संक्षेपण तैयार करना एवं प्रकाशित करना	
	आवश्यक होने पर जिला पदाधिकारी / अतिरिक्त जिला पदाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट के बयानों को मीडिया के साथ साझा करना	
	समाचारों की निगरानी करना तथा मीडिया की बातों का जबाब देना	
	पूर्व चेतावनी के लिए आपदा सम्बन्धी संचार को तैयार कर प्रसारित करना	
	आपदाओं से सम्बन्धित क्या करें और क्या न करें (अनुलग्नक 1), कैम्पों का पता एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों के साथ साझा करना	
	आपदा पूर्व तैयारी तथा रिस्पान्स से सम्बन्धित आईईसी सामग्री प्रसारित करना	
राहत शिविर/खाद्य सामग्री वितरण के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराना		
आई0टी0 विभाग	शरण स्थल एवं सभी दूरभाष नम्बर अपलोड/ उपलब्ध कराना	आई0टी0 मैनेजर
जिला प्रशासन	सभी कोषांगों से प्रतिवेदन प्राप्त करना	अपर समाहर्ता
	सरकार को दैनिक प्रतिवेदन भेजना	
	हैलीपैड/वर्षापात/अन्य जानकारियां भेजना	

कोषांग 10 : गुणवत्ता जांच

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
सभी जोखिमों के लिए	आपदा प्रबन्धन	<ul style="list-style-type: none"> नजारत खाद्य एवं आपूर्ति स्वास्थ्य विभाग पी0एच0ई0डी0
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
आपदा प्रबन्धन	शिविर की सभी व्यवस्थाओं जैसे खाद्य, पेयजल, दवाइयां इत्यादि की गुणवत्ता की जांच	अपर समाहर्ता
खाद्य एवं आपूर्ति	गुणवत्तापूर्ण राहत सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना	जिला आपूर्ति पदाधिकारी
लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण	राहत के न्यूनतम मानकों के अनुसार सुरक्षित जल की पहुंच सुनिश्चित कराना	अवर अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण
	जल गुणवत्ता का मूल्यांकन	
	प्रभावित क्षेत्रों में पाइप लाइन के जल को क्लोरीनेशन करना व प्रदूषण मुक्त करना	

कोषांग 11 : शिविर संचालन

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
सभी जोखिमों के लिए	आपदा प्रबन्धन	<ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग पी0एच0ई0डी0 भवन निर्माण
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
आपदा प्रबन्धन	राहत के न्यूनतम मानकों को ध्यान में रखते हुए राहत कैम्पों एवं अस्थाई शरणालयों की स्थापना	प्रभावित क्षेत्र के सर्किल पदाधिकारी
	शिविरों का सफलतापूर्वक संचालन कराना।	अपर समाहर्ता
	सभी शिविरों में आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना	प्रभारी पदाधिकारी
	दैनिक/साप्ताहिक प्रतिवेदन भेजना	

दks"kkax 12 % uko ifjpkyy ,oa okgu

जोखिम	नोडल विभाग/वरीय पदाधिकारी	सहयोगी विभाग
बाढ़ एवं अन्य सभी आपदा	परिवहन विभाग	<ul style="list-style-type: none"> जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आपूर्ति विभाग
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
आपदा प्रबन्धन	प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नावों की उपलब्धता	अपर समाहर्ता
	अन्य जिलों से नावों की अधिप्राप्ति एवं ससमय वापस करना	
	माल ढोने हेतु/पीड़ितों हेतु/ पदाधिकारियों/मंत्रियों हेतु नावों की व्यवस्था करना	
	नाव मालिकों/नाविकों का पारिश्रमिक भुगतान करना	
खाद्य आपूर्ति	वाहनों में ईंधन आपूर्ति/अग्रिम मुआवजा धनराशि	जिला खाद्य पदाधिकारी
	मोटरबोट का परिचालन	मोटरयान निरीक्षक
	ट्यूब की व्यवस्था	
परिवहन विभाग	सभी प्रकार के परिवहन के लिए सरकारी के साथ-साथ निजी एजेन्सियों से वाहन लेना और उपलब्ध कराना	जिला परिवहन पदाधिकारी
	आकस्मिक सेवाओं में लगे वाहनों को खोजना	जी एम
	कार्य मैनेजर्स के समन्वयन में बसों एवं अन्य भारी वाहनों एवं उपकरणों की समुचित देख-भाल सुनिश्चित करना	
जिला प्रशासन	समूह इन्चार्ज के समन्वयन में हवाई परिवहन के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना	अपर समाहर्ता
	समूह इन्चार्ज के समन्वयन में हवाई सहयोग एवं हेलीपैड तैयार करने के लिए सुरक्षित स्थलों की पहचान करना	

कोषांग 13 : संचार एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
सभी जोखिम	जिला प्रशासन	<ul style="list-style-type: none"> विकास शाखा विद्युत प्रमण्डल दूर संचार निगम लिमिटेड
विभाग	गतिविधि	जिम्मेदारी
जिला प्रशासन	जिला नियंत्रण कक्ष को सक्रिय करना	उप विकास आयुक्त
	स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लगातार संवाद बनाये रखना	
दूरसंचार/टेलीकाम कम्पनियां	जब और जैसी जरूरत हो, संचार सुविधा उपलब्ध कराना	जनरल मैनेजर
	जितना शीघ्र संभव हो, प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा बहाल करना	
विद्युत	आवश्यकता पड़ने पर विद्युत आपूर्ति काटना एवं बहाल करना	एस0डी0ओ0

	आपदा के समय विद्युत व्यवस्था बनाये रखते हुए खोज एवं बचाव कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करना	
	सैन्य बलों के ठहराव/राहत शिविरों में विद्युत आपूर्ति	
	ट्रांसफार्मर/विद्युत पोल/तार का भण्डारण	
	यदि आवश्यकता हो तो लोगों को अपने परिवार/दोस्तों से संवाद बनाने के लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप एवं अन्य विद्युत उपकरणों को चार्ज करने हेतु गतिशील बैटरी चार्जिंग केन्द्र उपलब्ध कराना	

कोषांग 14 : सैन्य बल समन्वय

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़, भूकम्प	आपदा प्रबन्धन	<ul style="list-style-type: none"> गोपनीय शाखा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पुलिस नजारत शिक्षा
विभाग	गतिविधि	जिम्मेदारी
आपदा प्रबन्धन	सैन्य तथा अन्य बलों की प्राप्ति	अपर समाहर्ता
	सैन्य बलों व अन्य बलों को विभिन्न शिविरों में भेजना व सूचनाओं का पंजी में प्रविष्टि	जिला नजारत उप समाहर्ता
	प्राप्त बलों के ठहराव व आवासन की व्यवस्था	

कोषांग 15 : शिक्षा एवं आंगनबाड़ी केन्द्र

जोखिम	नोडल विभाग/वरीय पदाधिकारी	सहयोगी विभाग
सभी प्रकार के जोखिम	शिक्षा विभाग	<ul style="list-style-type: none"> जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आईसीडीएस
विभाग	गतिविधि	जिम्मेदारी
शिक्षा विभाग	पठन-पाठन की व्यवस्था करना	जिला शिक्षा पदाधिकारी
आईसीडीएस	गर्भवती/धातु माताओं की देख-भाल विशेषकर महिलाओं व किशोरियों के लिए मोबाइल क्लिनिक एवं मेडिकल पोस्टों को तैयार करना तथा समय से मेडिकल कैंप कराना	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी

कोषांग 16 : नाव घाट संचालन

जोखिम	नोडल विभाग/वरीय पदाधिकारी	सहयोगी विभाग
बाढ़	परिवहन	<ul style="list-style-type: none"> जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आपदा प्रबन्धन
विभाग	कार्य	जिम्मेदार व्यक्ति
आपदा प्रबन्धन	नाव पर क्षमता से अधिक लदान नहीं होने देना	वरीय उप समाहर्ता
	सरकारी नाव पर "निःशुल्क" लाल अक्षरों में अंकित कराना	
	नाविकों की लाग बुक की जांच/पंजीकरण संख्या इत्यादि अंकित करना	
	सुर्यास्त के पश्चात् नाव संचालन पर रोक लगाना/प्रतिवेदन देना	

कोषांग 17 : एन0जी0ओ0 समन्वय

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
सभी जोखिमों के लिए	जिला प्रशासन	<ul style="list-style-type: none"> जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जिला उद्योग केन्द्र
विभाग	गतिविधि	जिम्मेदारी
जिला प्रशासन	बाढ़ के समय एन0जी0ओ0 से प्राप्त सामग्रियों का संग्रहण /भण्डार पंजी में प्रविष्टि	उप विकास आयुक्त

कोषांग 18 : खोज एवं बचाव

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
सभी जोखिमों के लिए	जिला प्रशासन	<ul style="list-style-type: none"> जिला प्रशासन शिक्षा विद्युत प्रमण्डल एन0डी0आर0एफ0 एस0डी0आर0एफ0 अन्य सम्बन्धित विभाग नागरिक सुरक्षा
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
जिला प्रशासन	कार्मिकों का आकलन करना कार्मिकों की मांग करना कार्मिकों का प्रशिक्षण कराना खोज एवं बचाव राहत दल का गठन करना खतरनाक भौतिक दुर्घटना होने की स्थिति में खोज एवं बचाव दल को मानव सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित करना	जिला स्थापना उप समाहर्ता
विद्युत	आवश्यकता पड़ने पर विद्युत आपूर्ति काटना एवं बहाल करना खोज एवं बचाव कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करना	एस0डी0ओ0
लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण	अग्नि से संवेदनशील लोगों के लिए समुचित जलापूर्ति सुनिश्चित करना	
एन0डी0आर0एफ0 / एस0डी0आर0एफ0	खोज एवं बचाव कार्यों के लिए रास्तों/मलबों/ गिरे हुए मकानों को साफ करना	
नागरिक सुरक्षा	राहत कार्यों के लिए आवश्यक उपकरणों एवं स्वयंसेवकों को उपलब्ध कराना	उप नियंत्रक
स्वास्थ्य	कार्यस्थल पर एम्बुलेन्स की व्यवस्था करना पीड़ितों का प्राथमिक उपचार करना तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना यदि आवश्यक हो तो पीड़ितों को अस्पताल तक पहुंचाना	डिप्टी सिविल सर्जन (मेडिकल) एसआरयूएल के तौर पर मेडिकल पदाधिकारी एसआरयूएल के तौर पर मेडिकल आफिसर
जिला प्रशासन	यदि आवश्यक हो तो प्रशिक्षित मानव संसाधनों, वाहन चालकों एवं तैराकों की तैनाती करना खोज एवं बचाव कार्यों के लिए नाव, चप्पू, ओबीएम आदि उपलब्ध कराना	जिला राजस्व पदाधिकारी
रेड क्रॉस सोसायटी	प्रभावितों को प्राथमिक उपचार एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना	सचिव, रेडक्रॉस सोसायटी
बिहार रोडवेज	खोज एवं बचाव कार्यों के लिए वाहनों एवं उपकरणों को उपलब्ध कराना।	जी0एम0 रोडवेज
क्षेत्रीय परिवहन अभिकरण	जब भी जरूरत हो वाहनों को उपलब्ध कराना	सचिव, आरटीए

कोषांग 19 : जन सहयोग कोषांग

जोखिम	नोडल विभाग/वरीय पदाधिकारी	सहयोगी विभाग
सभी जोखिमों के लिए	जिला प्रशासन/उप विकास आयुक्त	<ul style="list-style-type: none"> जन सम्पर्क शिक्षा प्रखण्ड प्रमुख मुखिया/सरपंच माननीय विधायक
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
जिला प्रशासन	जन प्रतिनिधियों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करना	जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी

जागरूकता फैलाना	जिला शिक्षा पदाधिकारी
जन प्रतिनिधियों के माध्यम से राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग प्राप्त करना	उप विकास आयुक्त
प्रशासन द्वारा प्राप्त राहत सामग्रियों को सुदूर क्षेत्रों के अति प्रभावित परिवारों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना	प्रखण्ड प्रमुख/मुखिया /सरपंच
प्रभावित परिवारों को समुचित संसाधनों जैसे कपड़े, चारपाई, कम्बल, बर्तन, टेण्ट, तिरपाल आदि उपलब्ध कराने में सहयोग करना	

कोषांग 20 : खाद्य सामग्री गोदाम

जोखिम	नोडल विभाग/वरीय पदाधिकारी	सहयोगी विभाग
सभी जोखिमों के लिए	आपदा प्रबन्धन	<ul style="list-style-type: none"> आपूर्ति विभाग एस0एफ0सी0
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
आपूर्ति विभाग	सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर अस्थाई गोदामों का निर्माण एवं भण्डारण	जिला आपूर्ति पदाधिकारी
	प्रत्येक शिविर केन्द्र में भण्डारण की व्यवस्था कराना	
	केन्द्रीय गोदाम से शिविर गोदाम तक खाद्य सामग्री भिजवाना	सहायक गोदाम प्रबन्धक

सेना,एन.डी.आर.एफ. /एस.डी.आर.एफ.पुलिस, अग्निशमन व नागरिक सुरक्षा कोर से समन्वय एवं विशिष्ट कार्य

द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जाती हैं—

सेना
थल सेना, वायु सेना की आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार निर्धारित प्रक्रिया से उनकी सेवाएं प्राप्त करती है। बिहार राज्य के लिए नोडल इकाई बिहार झारखण्ड सबेरिया मुख्यालय, दानापुर है। जहां अनुरोध करने पर थल सेना की इकाईयां प्राप्त होती हैं। वायुसेना के लिए रक्षा मंत्रालय अथवा शिलांग एवं इलाहाबाद में स्थापित एयर कमान से अनुरोध कर प्राप्त किया जा सकता है। वैसे जिला पदाधिकारी भी अपने जिले में कार्यरत सेना के कार्यालय को अनुरोध कर सकते हैं।

एन0डी0आर0एफ0 /एस0डी0आर0एफ0
एन0डी0आर0एफ0 व एस0डी0आर0एफ केन्द्र व राज्य स्तर पर आपदा के दौरान त्वरित क्रियान्वित होने वाली सशक्त टीम होती है जो केन्द्र व राज्य सरकार के अधीन एवं निर्देशन में केन्द्रीय स्तर पर व अपने राज्य में काम करती और आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार की अनुमति पर दूसरे राज्य के आपदा में भी सहयोग करती है।

एन0डी0आर0एफ0 की एक बटालियन राज्य के अधीन बिहटा में स्थापित है। राज्य में एस0डी0आर0एफ0 भी गठित है, जिसकी प्रतिनियुक्ति अति संवेदनशील जिलों में लगातार रहती है। जिला में आपदा के समय एस0डी0आर0एफ0 / एन0डी0आर0एफ0 की आवश्यकता होने पर जिला प्रशासन द्वारा राज्य से मांग की जायेगी। रिस्पान्स के दौरान इनके

- किसी भी प्रकार प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदा स्थिति में बचाव एवं राहत के लिए विशिष्ट दक्षता के साथ रिस्पान्स का कार्य करना।
- लम्बे समय तक आपदा की स्थिति बने रहने पर कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करना।
- आपदा प्रभावित क्षेत्र अथवा लोगों को प्रदूषण रहित बनाना।
- मलबों की साफ-सफाई सुनिश्चित करना।
- मृत शरीरों का निस्तारण सुनिश्चित करना।
- आपदा से प्रभावितों/पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।
- घायलों को तुरन्त प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना।
- आपदा के दौरान या बाद में राहत वितरण कराने में स्थानीय प्रशासन की मदद करना।
- बचाव एवं राहत कार्यों में लगे अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

पुलिस
आपदा की दृष्टि से पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुलिस की भूमिका आपदा के दौरान प्रथम उत्तरदाता की होती है अर्थात् किसी भी प्राकृतिक या मानवीय आपदा की स्थिति में आपदा स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाला विभाग पुलिस ही होता है। आपदा काल के दौरान पुलिस जिला में कानून-व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के साथ ही बचाव एवं

राहत कार्यों में लगी संस्थाओं/ एजेंसियों के साथ भी सहयोग करती है। आपदा के दौरान पुलिस द्वारा की जाने वाली विशिष्ट गतिविधियां निम्नवत् हैं –

- स्थानीय प्रशासन के निकट सहयोग से खोज-बचाव तथा निष्कासन अभियान में भाग लेना।
- प्रभावी विधि-व्यवस्था बनाये रखने तथा निष्कासित जनसंख्या की सुरक्षा हेतु प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बलों की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में अपराधिक एवं असामाजिक तत्वों एवं गतिविधियों पर विशेष नजर रखना एवं आवश्यकतानुसार उनके विरुद्ध उचित कदम उठाना।
- राहत शिविरों राहत सामग्रियों एवं प्रभावितों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था करना।
- संवेदनशील तटबंधो एवं अन्य खतरनाक स्थलों पर सुरक्षा प्रहरी उपबलध कराना।
- आपदा प्रभावित बस्तियों/गृहों की सुरक्षा व्यवस्था करना।
- मुनाफाखोरों, कालाबाजारियों इत्यादि के विरुद्ध अभियान में स्थानीय प्रशासन की मदद करना।
- आपदा से क्षतिग्रस्त सरकारी सम्पत्तियों एवं संरचनाओं की सुरक्षा।
- क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों इत्यादि के आस-पास की आपात् यातायात व्यवस्था का प्रबंधन।
- घिरे हुये व्यक्तियों को बचाने तथा लाशों के निष्पादन में स्थानीय प्रशासन की सहायता करना।
- राहत शिविरों एवं अन्य स्थानों पर राहत सामग्री वितरण के समय भीड़ एवं विधि व्यवस्था पर नियंत्रण।

- भगदड़ संभावित क्षेत्रों, स्थानों, अवसरों की पूर्व पहचान एवं आवश्यक पुलिस व्यवस्था।
- बाढ़ के दौरान प्रभावित क्षेत्रों से जनसमुदाय के बचाव हेतु एस0डी0आर0एफ0/ अग्निशमन की सहायता सुनिश्चित करना।

अग्नि शमन

- आग की सूचना मिलने पर तत्काल आपदा स्थल पर जाना और जान-माल की सुरक्षा करना।
- समुदाय के बीच निरन्तर जागरूकता एवं क्षमता वृद्धि कार्यक्रम करना जिससे कि समुदाय प्रशिक्षित और जागरूक हो जाय। विशेषकर स्कूलों कालेजों, व्यवसायिक संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों, अस्पतालों आदि में।
- खेतों, खलिहानों में लगने वाली आग से बचाव के लिए थ्रेशर चालकों व मालिकों को जागरूक करना।
- भूकम्प अथवा वैसी आपदा जिसमें किसी भवन इत्यादि से लोगों को सुरक्षित निकालने की आवश्यकता हो, उस समय एन0डी0आर0एफ0/ एस0डी0आर0एफ0 को सहयोग देना।
- मुख्यालय, प्रमंडल एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना सुनिश्चित करना।

नागरिक सुरक्षा

- यह संगठन भी राज्य में प्रशिक्षित संगठन है, परन्तु इस जिले में गठित नहीं है।

अध्याय : 8

पुनर्निर्माण व पुनर्वास द्वारा पुनर्प्राप्ति

(Recovery through Reconstruction and Rehabilitation)

विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं के बाद सभी प्रकार की रिकवरी के लिए पुनर्निर्माण के साथ-साथ पुनर्वास कार्यक्रमों को अपनाने की आवश्यकता पहले से अधिक होती है। पर्याप्त ज्ञान, क्षमता एवं प्रबन्धन कौशल की कमी के कारण अक्सर इस तरह के कार्यक्रम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, जिनकी वजह से आजीविका और शरणालयों के साथ ही अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे – जल, स्वच्छता, बिजली आदि के पुनर्निर्माण में लम्बा समय लग जाता है। इसलिए आपदाओं के बाद सुरक्षित और स्थाई पुनर्प्राप्ति भविष्य में आने वाली आपदाओं के विरुद्ध अनुकूलता को बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। पुनर्प्राप्ति हेतु किये जाने वाले पुनर्निर्माण व पुनर्वास के कार्यों को Build Back Better के सिद्धान्त के आधार पर क्रियान्वित किया जाना आवश्यक होगा। अर्थात् पुनर्निर्माण के कार्यों को पहले की संरचना से बेहतर व आपदारोधी कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

8.1 पुनर्निर्माण

आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की गतिविधियां शामिल हैं। तात्कालिक गतिविधियों में क्षति आकलन, राज्य आपदा राहत कोष एवं अन्य विशिष्ट योजनाओं के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार प्रभावितों को राहत उपलब्ध कराना, महामारी की रोक-थाम, क्षतिग्रस्त ढांचों के सुधार, मरम्मत तथा मजबूती से सम्बन्धित गतिविधियां शामिल हैं, जबकि दीर्घकालिक निर्माणात्मक गतिविधियों में बहु खतरा सुरक्षित आवास निर्माण, आजीविका का पुनर्स्थापन, बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान आदि के साथ ही मनोवैज्ञानिक, सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय एवं कृषिगत पुनर्वास सम्मिलित है।

अ. तात्कालिक पुनर्निर्माण गतिविधियां

क्षति का आकलन

- सहाय वितरण के लिए आवश्यक होगा कि गृह क्षति, भूमि क्षति (भूमि पर बालू का जमाव), पशु क्षति, बर्तन एवं वस्त्र आदि की क्षति, फसल क्षति, मछुआरों के नाव-जाल आदि की क्षति आदि का विस्तृत आकलन किया जाना चाहिए। क्षति का आकलन करने के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीमों गठित की जायेंगी तथा सभी प्रकार की

क्षति की डिजिटल कैमरे से तिथियुक्त फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करा ली जानी चाहिए।

- भूमि एवं फसल क्षति के आकलन के लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा कृषि विभाग के जिला कृषि पदाधिकारी तथा राजस्व विभाग के पदाधिकारियों को सम्मिलित जवाबदेही दी जानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जमीन की मापी व जमीन पर स्वामित्व आदि के प्रश्नों को स्थापित कानूनों के अनुसार बिना देर किये हल कर दिया जाये। फसल क्षति हेतु अनुदान रबी की फसल की बुवाई के पहले भुगतान कर दिया जाना चाहिए ताकि जिन किसानों की फसल बाढ़ से बरबाद हो गयी है, उन्हें रबी की फसल उगाने हेतु सहायता मिल सके।
- बाढ़ के दौरान सड़क, पुल- पुलियों, विद्युत संचरण लाइन, दूर संचार माध्यमों, सरकारी भवनों, अस्पतालों/दवाओं, जलापूर्ति योजनाओं, चापाकलों, वन सम्पदा आदि की क्षति का आकलन सम्बन्धित विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। जिला पदाधिकारी क्षति आकलन का समन्वय करेंगे तथा आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करेंगे। क्षति के आकलन के उपरान्त उनके त्वरित पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण के लिए सम्बन्धित विभागों को प्रस्ताव भेजे जाने चाहिए।
- पारदर्शिता बनाये रखने के लिए क्षति के आकलन के समय यथानुसार पंचायत/वार्ड अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का सहयोग एवं परामर्श प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।

राहत वितरण

- क्षति का आकलन करने के तुरन्त बाद प्रभावित व्यक्तियों को निर्धारित मानदर के अनुसार राहत वितरण का कार्य आरम्भ किया जायेगा। राहत वितरण यथानुसार वार्ड/पंचायत स्तरीय समितियों के पर्यवेक्षण/परामर्श से किया जायेगा। राहत वितरण के साथ-साथ मनुष्य एवं पशुओं के जान की क्षति के लिए भी नियमानुसार क्षति की भरपाई के लिए सहाय

मानदर के अनुसार भरपाई की जायेगी। इसी के साथ-साथ मृत एवं घायल व्यक्तियों के परिवारों को भी निर्धारित मानदर के अनुसार सहायता प्रदान की जायेगी।

- आपदा के दौरान प्रभावित परिवारों को एक माह के लिए निर्धारित मानदर के अनुसार खाद्यान्न का वितरण तथा नगद अनुदान का भुगतान किया जाना चाहिए। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए अगले माहों के लिए भी मुफ्त खाद्यान्न वितरण करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की सहमति से खाद्यान्न वितरण आदि का निर्णय लिया जाना चाहिए।
- आपदाग्रस्त क्षेत्र के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को रबी की बुवाई हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके लिए जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में रणनीति बना ली जानी चाहिए।
- क्षतिग्रस्त फसल यदि फसल बीमा के अन्तर्गत आच्छादित हो तो सहकारिता विभाग द्वारा यथाशीघ्र फसल बीमा की राशि के भुगतान हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए।
- आपदा के उपरान्त राहत कैम्प/मेगा राहत कैम्पों में राज्य सरकार द्वारा निर्देशित मानकों के अनुरूप राहत सामग्री उपलब्ध करायी जानी चाहिए। (इस सन्दर्भ में विभागीय निदेश पत्रांक 2493/आ0प्र0 दिनांक 5.09.08 का सन्दर्भ लिया जायेगा।)

महामारी की रोक-थाम

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने की सर्वाधिक आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग द्वारा महामारी की रोक-थाम हेतु निरोधात्मक कदम उठाये जाने चाहिए।

क्षतिग्रस्त ढांचों का सुधार, मरम्मत तथा मजबूती

सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन आधारभूत संरचनाओं की क्षति के आकलन कराने के पश्चात् उनके त्वरित पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही की जानी चाहिए। इस

सन्दर्भ में किये जाने वाले कार्यों को निम्नवत् देख सकते हैं -

क) सुधार : सुधार का मुख्य उद्देश्य भवनों को तुरन्त काम में लाना है। सुधार के लिए निम्न बिन्दु अपनाये जा सकते हैं -

- छोटी-मोटी कमियों को दूर करना, जैसे दीवारों में दरारें, गिरे प्लास्टर को सही करना।
- खिड़कियों, दरवारों की मरम्मत करना।
- बिजली वायरिंग में हुई तकनीकी खामी को जांचना तथा मरम्मत करना।
- गैस पाइप, पानी पाइप, सीवरेज तथा अन्य प्लम्बिंग से जुड़ी सुविधाओं की जांच करना तथा मरम्मत करना।
- टूटे हुए दीवारों, छतों, फर्श में पड़ी दरारों आदि की मरम्मत करना तथा इस पर पुनः रंगाई-पुताई करना।

ख) मरम्मत : इसमें मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त हिस्से को पुनः बनाया जाता है। इसके अन्तर्गत निम्न बिन्दु आते हैं -

- दरार पड़े मोटे-मोटे दीवारों को हटाकर उनके स्थान पर नये पतले एवं कम स्थान घेरने वाले दीवारों को बनाना।
- दरार पड़े दीवारों को दोनों तरफ से मजबूत जाल से बांधकर उसे बढ़िया तरीके से बोल्ट से कस देना ताकि दीवार मजबूत रहे। इसके लिए बहुत से विकल्प उपयोग किये जा सकते हैं।
- दीवारों, कालमों, बीमों आदि के बीच की दरारों को भरने के लिए प्राक्सी सामग्रियों का उपयोग करना।

जहां पर ढांचागत मरम्मत या सुधार जरूरी हो, वहां पर पहले हल्का सुधार कराना सही होता है ताकि सामग्रियों की बरबादी एवं अव्यवस्था से बचने के लिए पर्याप्त नियोजन करने हेतु समय मिल जाये।

ग) मौजूदा भवनों को मजबूत करना : वास्तविक मजबूती को और अधिक उन्नत करने को ही मजबूती प्रदान करना कहते हैं। किसी भी आपदा के बाद जब भवनों का आकलन किया जाता है और यह पाया जाता है कि ये भवन फिलहाल तो मजबूत हैं, लेकिन आगामी किसी भी प्रकार की आपदा को यह सह नहीं पायेंगे तो ऐसी स्थिति में उन्हें और मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता होती है। मजबूती की यह प्रक्रिया निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत सम्पादित की जा सकती है -

- दीवारों और कालमों की संख्या बढ़ाकर या दीवार का क्षेत्रफल बढ़ाकर या सुदृढ़ीकरण करते हुए दोनों तरफ से उसे मजबूत बनाया जा रहा है।
- एक दीवार को दूसरी दीवार से या एक कालम को दूसरी कालम से समुचित रूप से जोड़ना ताकि भूकम्प आदि के आने की स्थिति में दीवारों के गिरने की आशंका कम से कम रहे तथा सभी सदस्य सुरक्षित रहें।
- सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना।

ब. दीर्घकालिक गतिविधियां

रिकवरी की सम्पूर्ण प्रक्रिया में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, मानसिक आघात से उबरने हेतु आवास एवं उससे सम्बद्ध ढांचों का पुनर्निर्माण आपदा के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः आपदा प्रभावित समुदायों के स्थाई विकास के लिए इसमें आवास, ढांचा, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण आदि के पुनर्वास सहित व्यापक व सघन गतिविधियां करनी होंगी। इसके अन्तर्गत प्रभावित समुदायों के साथ मिलकर निम्नलिखित गतिविधियों एवं माध्यमों को पुनर्निर्माण प्रक्रिया में एक संगठित स्वरूप में शामिल करना होगा। इससे समुदाय का स्थाई विकास सुनिश्चित होगा।

क) डिजाइन एवं सामग्री : आवास के पुनर्निर्माण के लिए उपयुक्त डिजाइन होना चाहिए। जैसे बनने वाले आवास सांस्कृतिक रूप से मान्य, पर्यावरणसम्मत एवं समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होने चाहिए। आवास में उपयोग की जाने वाली सामग्री और तकनीक भी आपदा को ध्यान में रखकर होनी चाहिए तथा वह भी समुदाय की जानकारी में होना चाहिए ताकि जब उन्हें आवास दिया जाये तो वे उसकी देख-भाल करने में सक्षम हों। ज्यादा अच्छा होगा कि जिन्हें आवास में रहना है, उनकी देख-रेख में ही आवास बने।

ख) आपदा रोधी(Resilient)निर्माण : आपदा के बाद पुनर्निर्माण की गतिविधियों के अन्तर्गत आपदारोधी आवास बनाने हेतु तकनीकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में भवन एवं सड़क निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग एवं अन्य सदस्य होंगे, जो build, back, better के सिद्धान्तों पर आपदारोधी आवास बनाना सुनिश्चित करेंगे। ये सदस्य बहु आपदारोधी डिजाइन तैयार करने और पूरी निर्माण प्रक्रिया की निगरानी में सहयोग करेंगे। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि आपदारोधी तकनीकों को

विभिन्न योजनाओं एवं विकासात्मक परियोजनाओं में शामिल किया जाये जिससे उन योजनाओं के फण्ड को आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्यों में प्रयुक्त किया जा सके। उदाहरण के लिए इन्दिरा आवास योजना एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भवन निर्माण से सम्बन्धित अन्य योजनाएं।

ग)गृहस्वामियों का उन्मुखीकरण : आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए यह एक उल्लेखनीय माध्यम है। इसमें आवास के स्वामी को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह अपनी सुविधा के अनुसार आवास बनवा ले। इस तरीके में जिला प्रशासन निर्माण गतिविधि के लिए सिर्फ अनुदान एवं तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है। इससे लोगों के अन्दर स्वामित्व की भावना उपजती है तथा उन्हें अपने सामाजिक पूंजी को यथावत बनाये रखने में मदद मिलती है। साथ ही लोगों के जुड़ने से लागत घटाने तथा समुचित निगरानी करने में सहायता मिलती है।

ब.1 आधारभूत सुविधाएं

सभी पुनर्निर्माण एवं रिलोकेशन साइटों पर निम्नलिखित आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा—

क) स्वास्थ्य सुविधाएं

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिले में सभी पुनर्निर्माण साइटों पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु एक समिति का गठन करेगा।
- यह समिति स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर विभिन्न निर्माण एजेन्सियों एवं विभागों जैसे प्राइवेट एजेन्सियों, भवन एवं सड़क निर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग, भवन बोर्ड आदि से समन्वय स्थापित करेगी और सभी पुनर्निर्माण
- साइटों पर आवश्यक ढांचों सहित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।
- इसके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि का उपयोग किया जा सकता है।

ख) शिक्षा सुविधाएं :

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिले में सभी पुनर्निर्माण साइटों पर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु एक समिति का गठन करेगा।
- यह समिति शिक्षा विभाग के साथ मिलकर जिले में आपदा प्रभावित बच्चों/छात्रों के लिए शिक्षा

देना सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न निर्माण एजेन्सियों एवं विभागों जैसे भवन एवं सड़क निर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग आदि से समन्वय स्थापित करेगी।

- इसके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे आंगनबाड़ी कार्यक्रम, क्रेच कार्यक्रम, बाल पुस्तकालय आदि का उपयोग किया जा सकता है।

ग) जल

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिले में सभी पुनर्निर्माण साइटों पर निरन्तर जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक समिति का गठन करेगा।
- पाइपलाइनों एवं अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण विभाग द्वारा पीने एवं अन्य उपयोग हेतु पानी की अबाध आपूर्ति भी यह समिति सुनिश्चित करेगी।
- समुचित जल संग्रहण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु इकाई का गठन भी यह समिति विभिन्न पुनर्निर्माण एजेन्सियों के साथ मिलकर करेगी।

घ) जल निकासी एवं साफ-सफाई की सुविधाएं

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिले में सभी पुनर्निर्माण साइटों के लिए यथोचित जल निकासी एवं साफ-सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक समिति का गठन करेगा।
- पुनर्वास साइटों पर समुचित ड्रेनेज प्रणाली एवं अन्य हाइजिन एवं सैनिटेशन गतिविधियां सुनिश्चित करने हेतु लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण विभाग तथा निर्माण एजेन्सियों जैसे – प्राइवेट एजेन्सियों, भवन एवं सड़क निर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग, आवास बोर्ड आदि के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

च) बिजली

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिले में सभी पुनर्निर्माण साइटों के लिए बिजली एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु एक समिति का गठन करेगा।
- सभी पुनर्वास साइटों पर स्थाई कनेक्शन के साथ बिजली एवं सम्बन्धित ढांचों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु यह समिति बिजली विभाग एवं नगर निगम के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

छ) परिवहन एवं एक से दूसरे सम्पर्क मार्गों को जोड़ने की सुविधाएं

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिले में सभी पुनर्निर्माण साइटों के लिए यथोचित सड़क एवं परिवहन आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक समिति का गठन करेगा।
- पुनर्निर्माण साइटों के लिए परिवहन एवं सड़क सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण विभाग, बिहार रोडवेज, भवन एवं सड़क निर्माण विभाग आदि के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

8.2 पुनर्वास

आपदा के बाद पुनर्वास एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें आजीविका पुनर्स्थापन, मानसिक देख-भाल, पर्यावरणीय पुनर्वास आदि विभिन्न पहलू शामिल होते हैं। पुनर्वास प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सरकारी, गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मजबूत सम्बन्ध स्थापित करने तथा जिले में समुदाय के साथ काम करने के अवसरों को देखने की आवश्यकता होगी।

पुनर्वास प्रक्रिया में मुख्य तौर पर निम्न बिन्दुओं पर पुनर्वास का खाका तैयार करना होगा—

- **सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास** : सामाजिक आर्थिक पुनर्वास के तहत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की आपदा के बाद आजीविका सुनिश्चित करने, आजीविका में स्थाईत्व लाने तथा सुधार करने की प्रक्रिया पर जोर दिया जायेगा। इस हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में एक समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्न बिन्दुओं पर काम करेगी—
 - ✓ आजीविका के क्षेत्र में सुधार, आजीविका के नये-नये अवसरों की पहचान तथा इस हेतु विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों (मनरेगा, पशुपालन, बीज उत्पादन आदि) से जुड़ाव सुनिश्चित करना।
 - ✓ समुदाय स्तर पर प्लेस्कूलों आदि की स्थापना करना तथा आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल से पहले शिक्षा, नियमित स्वास्थ्य जांच, पोषण, खेल-कूद एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करना।
 - ✓ आपदा प्रभावित विधवाओं, बेसहारा व्यक्तियों को पंजीकृत करना तथा उन्हें समाज कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना।
 - ✓ आपदा के बाद वृद्धों को पुनः सुचारु जीवन-यापन चलाने हेतु व्यवस्था प्रदान करने के लिए वृद्धों का पंजीकरण करना

तथा वृद्धावस्था की तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना।

- ✓ शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को कृत्रिम हाथ, पैर, सुनाई देने की मशीन, व्हील चेयर्स आदि प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी एजेंसियों जैसे समाज कल्याण विभाग, रेडक्रास सोसायटी आदि से सम्पर्क स्थापित करना तथा इन्हें स्कालरशिप आदि दिलाने की व्यवस्था करना।
 - ✓ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों से जुड़े प्रभावित लोगों की आजीविका में सहयोग करने हेतु समाज कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित करना तथा इन्हें तकनीकी कौशल प्रदान करना।
- **मनोवैज्ञानिक पुनर्वास**
 - ✓ आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मानसिक आघात से उबारने हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा।
 - ✓ आपदा प्रभावित समुदायों को मानसिक आघात से उबारने हेतु यह समिति स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर समुदाय स्तर पर विभिन्न गतिविधियां संचालित करेगी।
 - ✓ आपदा प्रभावित बच्चों के मनोवैज्ञानिक देख-भाल हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों जैसे बाल भवन, खेल का मैदान, हॉबी क्लब आदि प्रयुक्त की जा सकती हैं।
- **कृषिगत पुनर्वास**
 - ✓ जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एक कृषिगत पुनर्वास समिति का गठन करेगी, जो आपदा की वजह से मृदा की उर्वरता एवं संरचना में आये बदलाव की स्थिति में मृदा सुधार कार्य सुनिश्चित करेगी।
 - ✓ समिति कृषि विभाग के सहयोग से जिले में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करेगी, जो कृषिगत पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने तथा शोध कार्य करने का काम करेगी।

- ✓ कृषिगत पुनर्वास पर काम करने के लिए समिति जिले में काम करने वाली स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लेगी।
- ✓ मृदा में आये बदलाव को देखते हुए समिति फसल पद्धति, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उचित संयोजन आदि के बारे में भी सुझाव देगी और इस तरह का एक मॉडल भी तैयार करेगी।

- **पर्यावरणीय पुनर्वास**

- ✓ जलस्रोतों, हवा, मिट्टी प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं से निपटने हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एक पर्यावरणीय पुनर्वास समिति का गठन करेगी।
- ✓ यह समिति प्रदूषण के स्तर की जांच करने, उसे नियंत्रित करने व निगरानी करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन एवं पर्यावरण विभाग, कृषि विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेगी।
- ✓ यह समिति पुनर्वास साइटों की निगरानी करेगी और प्रदूषण घटाने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

- **सामाजिक पूंजी का पुनर्स्थापन**

- ✓ आवास वितरण के दौरान भी लोगों के सामाजिक संबंध पहले की तरह ही बने रहें, इस हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एक सामाजिक पूंजी पुनर्स्थापन समिति का गठन करेगी।
- ✓ आवास आवंटन प्रक्रिया से लोगों के सामाजिक संबंधों पर असर न पड़ने देने के लिए समिति वितरण एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करेगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जिन परिवारों के बीच आपसी ताल-मेल बेहतर है, उन्हें आस-पास के मकान आवंटित किये जायें।

पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है और सभी गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित की जा रही हैं, इस बात की निगरानी का प्रावधान जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत किया गया है।

अध्याय : 9

बजट एवं वित्तीय संसाधन (Budget & Financial Resources)

किसी भी योजना के सफलीभूत होने के लिए उसके वित्तीय पक्ष को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना में शामिल की गयी गतिविधियों/क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था एक आवश्यक अंग है।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला सभी स्तरों पर आपदा रिस्पान्स फण्ड और आपदा न्यूनीकरण फण्ड उपलब्ध कराता है। अधिनियम की धारा 46 (1) एवं धारा 48 (1) के अनुसार गृह मंत्रालय के आपदा प्रबन्धन विभाग ने वर्ष 2010 में पत्रांक सं० 32-3/2010-एनडीएम-1 दिनांक 28 सितम्बर, 2010 के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स फण्ड एवं राज्य आपदा रिस्पान्स फण्ड का गठन किया है। इसी अधिसूचना के माध्यम से आपदा राहत कोष को राज्य आपदा राहत कोष में बदल दिया गया। 13वें वित्तीय आयोग के अन्तर्गत, कोष की यह व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष का उद्देश्य विशेष रूप से न्यूनीकरण के उपायों के लिए फण्डिंग करना है।

एन०डी०आर०एफ० व एस०डी०आर०एफ० फण्ड के उपयोग के सन्दर्भ में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2015 में राज्य के सभी मुख्य सचिव एवं आपदा प्रबन्धन विभाग को जारी दिशा निर्देश के अनुसार भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों के बीच सहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा मानदर निर्धारित किया गया है। इसमें माह फरवरी एवं मार्च, 2015 में ओलावृष्टि से फसल क्षति को भी सम्मिलित करते हुए नये मानदर के अनुसार अनुमान्य भुगतान करने की स्वीकृति दी गयी (अनुलग्नक19)। यह मानदर अप्रैल, 2015 से 2020 तक लागू होगा।

वर्तमान समय में बिहार सरकार आपदा प्रवण क्षेत्रों में मोटरबोटों की खरीदी, वेयर हाउसों के निर्माण, इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टरों को मजबूती प्रदान करने, जिले में बाढ़ से बचाव की दृष्टि से महाजाल, लाइफजैकेट आदि की खरीदी करने, संचार सम्बन्धी उपकरणों की खरीदी एवं उसके रख-रखाव तथा आपदा से सम्बन्धित पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने व आपदा न्यूनीकरण के उपर हितभागियों के

क्षमता वर्धन कार्यों में निवेश कर रही है। जैसा कि अधिनियम के अन्तर्गत सभी विभागों की अपनी अलग आपदा प्रबन्धन योजना होना अनिवार्य है। अतः ऐसी स्थिति में सभी विभागों द्वारा यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वे राज्य स्तर पर अपने-अपने वार्षिक विभागीय योजना में आपदा प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए अलग से बजट का प्रावधान करें।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जो आपदा प्रबन्धन की दिशा में उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके अन्तर्गत राज्य में चलाये जा रहे इन्दिरा आवास योजना, मनरेगा, सात निश्चय, शताब्दी अन्न कलश योजना आदि कार्यक्रम हैं। जिनके उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से आपदा प्रबन्धन हेतु बजट की बात नहीं कही गयी है, परन्तु उनके कार्य बिन्दुओं में दिये गये कार्यों को आपदा से रोक-थाम, शमन, पूर्व तैयारी, पुनर्निर्माण जैसे आपदा प्रबन्धन के घटकों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स निधि

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार तथा 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (Clamity Relief Fund (CRF)) के स्थान पर राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स निधि का गठन भारत सरकार के स्तर पर हुआ। राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स निधि की प्रशासकीय व्यवस्था राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के हाथ में होती है। गम्भीर आपदा आने की स्थिति में, जब राज्य आपदा रिस्पान्स निधि से राहत कार्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है, उस समय कुछ आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स निधि के मद से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। इस हेतु यह आवश्यक होता है कि राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रवार नुकसान तथा आवश्यक निधि का उल्लेख करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने के बाद, एक अन्तर-मंत्रालय केन्द्रीय टीम का गठन कर उन्हें इस बात की जिम्मेदारी दी जाती है कि वे क्षति का भौतिक आकलन करते हुए मौजूदा सामग्रियों तथा मानकों के अनुसार राहत कार्यों के लिए आवश्यक निधि का आकलन करें। अन्तर-मंत्रालय टीम/राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गृह सचिव द्वारा विचार-विमर्श करने के उपरान्त वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, गृह मंत्री एवं

योजना आयोग के उपाध्यक्ष को मिलाकर गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट तथा अन्तर-मंत्रालय टीम की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया जाता है और वर्तमान सामग्रियों तथा मानकों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स निधि से धनराशि संस्तुत की जाती है। आपदा की स्थितियों में तात्कालिक तौर पर केन्द्र द्वारा राज्य आपदा रिस्पान्स निधि के अन्तर्गत अपने 75 प्रतिशत अंशदान का शेष भाग उपलब्ध करा दिया जाता है। राज्य आपदा रिस्पान्स निधि/राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स निधि से किया जाने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जो वित्त मंत्रालय के सहयोग के साथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित राज्य आपदा रिस्पान्स निधि और राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स निधि से किये जाने वाले खर्चों के मानकों एवं पात्र आपदाओं में राहत के लिए आवश्यक वस्तुओं के अनुसार ही खर्च की जाती है।

राज्य आपदा राहत निधि

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार तथा 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर आपदा राहत निधि (Clarity Relief Fund (CRF)) के स्थान पर राज्य आपदा रिस्पान्स निधि का गठन हुआ। इस निधि में 75 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार का 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार का होता है। केन्द्र सरकार द्वारा

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपना अंशदान दो चरणों में जून व दिसम्बर माह में जारी किया जाता है। ठीक इसी प्रकार, राज्य सरकार भी राज्य आपदा रिस्पान्सनिधि के खाते में अपना 25 प्रतिशत अंशदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो चरणों में (जून व दिसम्बर माह में) स्थानान्तरित करता है। किसी विशिष्ट आपदा के आने की आशंका होने की स्थिति में, यदि गृह मंत्रालय उसका संज्ञान लेता है तो राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार आने वाले वर्ष का 25 प्रतिशत अग्रिम में दे सकता है, जिसे आगामी वर्ष के अंशदान में समायोजित कर लिया जायेगा। संविधान के दिशा-निर्देशों तथा भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे राज्य आपदा रिस्पान्स निधि के प्रशासन के अनुसार बाढ़, भूकम्प, अगलगी, एवं कीटों के आक्रमण से प्रभावितों को फौरी तौर पर राहत उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपदा रिस्पान्स निधि का उपयोग किया जायेगा। राज्य आपदा रिस्पान्स निधि के राहत से सम्बन्धित सभी तात्कालिक खर्चों से जुड़े विषयों का निर्णय राज्य के प्रमुख सचिव द्वारा किया जायेगा।

मुख्यमंत्री राहत कोष

राज्य स्तर पर, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित, या फिर सड़क, वायु या रेल दुर्घटनाओं में प्रभावित लोगों को तत्काल सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राहत कोष की स्थापना की गयी है।

9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहायक योजनाएं/कार्यक्रम, जुड़ाव का स्वरूप व कार्यदायी संस्थाएं

तालिका 24 : आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहायक केन्द्र व राज्य की योजनाएं एवं जुड़ाव का स्वरूप

योजना	जुड़ाव का स्वरूप	कार्यदायी संस्था
केन्द्र सहायित योजना		
अग्नि एवं आकस्मिक सेवाओं को सशक्त करना।	इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बहु आपदाओं को ध्यान में रखते हुए अग्नि एवं आकस्मिक सेवाओं को सशक्त बनाना है ताकि वे किसी भी प्रकार की आपदा में प्रथम रिस्पान्डर के तौर पर रिस्पान्स करने में सक्षम हो सकें। <ul style="list-style-type: none"> इसके अन्तर्गत अग्नि आपदा से बचाव सम्बन्धी उपकरणों जैसे अग्निशामक यंत्रों, हौज पाइपों आदि की खरीदी सुनिश्चित करना। अग्नि बचाव से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रम व स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम चलाना। खोज एवं बचाव के ऊपर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण करना। अगलगी से उत्पन्न खतरों एवं जोखिम का आकलन करना। 	गृह विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग, वित्त विभाग
मनरेगा	इस योजना के अन्तर्गत आपदा – बाढ़ व सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को निश्चित आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजनाओं से जुड़ाव के माध्यम से वे आपदा के बाद आसानी से राहत कार्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राहत कार्यों के लिए अन्य स्थानों से कोष तक अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण, खेत का समतलीकरण, तालाब की खुदाई आदि कार्यों के माध्यम से आपदा को कम करने में सहायता मिलेगी। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खेतों की मेड़बन्दी, चेकडैम, तालाब-पोखरों का गहरीकरण आदि कार्य सूखा आपदा को कम करने में सहायक सिद्ध होंगे।	ग्रामीण विकास विभाग
नमामि गंगे	इस योजना के तहत गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को कम करने	जल संसाधन,

	के लिए प्रभावी उपाय करते हुए उन्हें संरक्षित एवं पुनर्जीवित करने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।	नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
रिवर बेसिन मैनेजमेण्ट	केन्द्र सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के मुख्य नदी बेसिन के क्षेत्रीय संसाधनों का मूल्यांकन कर वहां पर चलाये जा रहे योजनाओं का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के सन्दर्भ में मूल्यांकन करना है। बिहार राज्य में इस योजना के माध्यम से गंगा एवं उसकी सहायक नदी (कोसी) में बढ़ते अवसादों (segmentation) के कारण बढ़ रहे बाढ़ के प्रकोप को समझने एवं उसको कम करने के उपाय को अपनाने हेतु सहायक हो सकते हैं।	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
नेशनल रिवर कन्जरवेशन प्लान	यह योजना केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत देश के सभी छोटी-बड़ी नदियों एवं नदी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण एवं पारिस्थिति की असंतुलन को कम करने तथा बचाने हेतु राज्य सरकार को यथोचित बुनियादी ढांचों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना	2018 में लागू इस योजना के तहत अनपेक्षित घटनाक्रम (बाढ़, सूखा, आंधी-तुफान) के कारण फसल हानि व क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जिससे किसान विपरीत परिस्थितियों में भी खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण, प्रतिस्पर्धा में सक्रिय साझेदारी कर सकें।	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिला एवं उपजिला स्तर पर सिंचाई साधनों में निवेश कर जल संसाधन का बेहतर उपयोग करना है।	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन	स्वच्छ भारत मिशन एक अभियान है, जिसके तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त बनाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसके साथ ही इस मिशन के माध्यम से लोगों को शौचालय बनाने हेतु अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से पेयजल एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को कम करते हुए आपदा के दौरान एवं बाद में फैलने वाली जल एवं विषाणु जनित बीमारियों के प्रकोप को कम किया जा सकता है।	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
इन्दिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना	आपदा से प्रभावितों को आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक प्रभावी योजना है। प्रत्येक वर्ष इन्दिरा आवास योजना का 10 प्रतिशत इस उद्देश्य हेतु रेखांकित होता है। सार्वजनिक सम्पत्तियों जैसे स्कूल भवन, आंगनबाड़ी केन्द्रों आदि के पुनरुद्धार के लिए इन योजनाओं के अर्न्तगत दिये गये फण्डों का उपयोग किया जा सकता है।	योजना एवं विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग व वित्त विभाग
राज्य सहायित योजना		
बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना 2015	विशेषकर बंटाईदार किसान इस योजना से जुड़ाव कर आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करने में सक्षम हो सकते हैं।	कृषि विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग
शताब्दी अन्न कलश योजना	बाढ़ व सुखाड़ दोनों परिस्थितियों के लिए शताब्दी अन्न कलश योजना का प्रावधान है।	खाद्य एवं उपभोक्ता सुरक्षा विभाग
मिड-डे-मील	बाढ़ व सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खाद्य आपूर्ति की एक बेहतर योजना है।	शिक्षा विभाग, आपदा प्रबन्धन योजना
मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम	विशेषकर बच्चों में आपदा रोक-थाम, शमन, पूर्व तैयारी सहित आपदा प्रबन्धन के सभी घटकों के ऊपर कौशल विकास एवं क्षमता वर्धन करने का कार्य इस योजना के अन्तर्गत किया जाता है। इसके तहत 'सुरक्षित शनिवार' के नाम से चलाये जा रहे कार्यक्रम में प्रत्येक शनिवार को बच्चों को आपदा प्रबन्धन के किसी एक विषय के ऊपर जागरूक व प्रशिक्षित किया जाता है तथा माकड्रिल कराया जाता है।	शिक्षा विभाग
सात निश्चय	सात निश्चय के अन्तर्गत शामिल कार्यक्रमों - सड़क निर्माण, लगातार बिजली, साफ पीने का पानी, हर घर में शौचालय, युवाओं को रोजगार, पढ़ाई व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना शामिल है। इन सभी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, रोक-थाम, शमन व पूर्व तैयारी के उपायों को शामिल कर उनके लिए बजट का प्रावधान किया जा सकता है।	शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग

स्रोत : विभागीय चर्चा

9.2 केन्द्रीय सरकार की गैर योजना कार्यक्रम
प्रधानमंत्री राहत कोष

राष्ट्रीय स्तर पर, किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जनता के सहयोग से हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गयी है। इस कोष के पीछे निम्न उद्देश्य हैं –

- पीड़ित एवं उसके परिजनों को तत्काल वित्तीय सहयोग प्रदान करने हेतु
- खोज एवं बचाव में सहयोग करने हेतु
- पीड़ितों को स्वास्थ्य देख-भाल पहुंचाने हेतु
- पीड़ितों को शरणालय, भोजन, पेयजल एवं साफ-सफाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु
- सड़कों, पुलों, संचार सुविधाओं एवं परिवहन के अस्थाई बहाली हेतु
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की तत्काल बहाली हेतु।

सांसद राहत कोष

किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं के कारण प्रभावित लोगों/संसाधनों को पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस लाने के लिए, खोज, बचाव, पुनर्निर्माण आदि के कामों में स्थानीय सांसद रु० 10 लाख तक की राशि आपदा प्रबन्धन के कामों में खर्च कर सकता है।

क्षमता निर्माण कोष

गम्भीर परिस्थितियों से निपटने के लिए तथा प्रभावी एवं त्वरित ढंग से आपदा रिस्पान्स को क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है ताकि मानव जीवन एवं सम्पत्ति पर आपदा के प्रभाव को

कम किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि आपदा के प्रति रिस्पान्स करने वाले समुदायों/लोगों के बीच नियमित रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम को संचालित किया जाये। राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण के मद में प्रत्येक वर्ष कुल राज्य आपदा रिस्पान्स कोष का 10 प्रतिशत प्राप्त होता है। जिले की मांग पर इस क्षमता विकास अभ्यास को जिला स्तर पर किया जाता है और इस हेतु आवश्यक कोष राज्य स्तर से निर्गत होता है।

अतिरिक्त केन्द्रीय सहयोग

आपदा प्रबन्धन के सन्दर्भ में देखा जाये तो आपदा के बाद पुनर्निर्माण के समय वित्तीय संसाधन एवं प्रबन्धन का होना अत्यधिक आवश्यक है। इस हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य आपदा प्रबन्धन कोष के प्रावधान से अलग गंभीर प्राकृतिक स्थिति होने पर इस कोष का प्रावधान राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स कोष से किया गया है।

9.3 अन्य विकल्प

इसके अलावा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण विभिन्न प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य प्राइवेट दानदाताओं से राहत, पुनर्स्थापन एवं अन्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों से सहयोग ले सकता है। साथ ही अन्य विकल्पों के तौर पर जोखिम बीमा व आपदा के कारण बड़े पैमाने पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए माइक्रो इन्श्योरेन्स, कारपोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी (CSR) के अन्तर्गत फण्ड को राहत, पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन के कार्यों में सहयोग लिया जा सकता है।

अध्याय : 10

निगरानी, मूल्यांकन एवं जिला आपदा प्रबन्धन योजना का अद्यतन

(Monitoring, Evaluation and Updation of District Disaster Management Plan)

जिला आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया होती है। जिसकी निरन्तर एवं सघन निगरानी, मूल्यांकन व समय-समय पर उसको अद्यतन किया जाना आवश्यक होता है। निगरानी एवं मूल्यांकन प्रक्रिया न केवल योजना के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहयोग करती है, वरन् इससे कार्यों की भी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। साथ ही साथ निरन्तर निगरानी एवं मूल्यांकन के माध्यम से आपदा के प्रभावों को कम करने की दिशा में नये विकल्पों के ऊपर चर्चा करने एवं काम करने का अवसर मिलता है। इस दृष्टिकोण से जिला आपदा प्रबन्धन योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन विभिन्न पहलुओं एवं स्तरों पर किया जाना चाहिए। जिससे योजना के अन्तर्गत विभिन्न हितभागियों के लिए सुझाये गये कार्यों की प्रगति एवं उसकी वस्तुस्थिति को समझा जा सके तथा विगत आपदाओं के दौरान प्राप्त सीखों एवं अनुभवों के आधार पर कार्यों/उपायों की सफलता-असफलता को जांचते हुए कार्य बिन्दु में बदलाव किया जा सके।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना के उपयुक्त निगरानी, मूल्यांकन एवं अद्यतन करने के लिए जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिम्मेदार होगा। जिला आपदा प्रबन्धन योजना की निगरानी, मूल्यांकन एवं अद्यतन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित हैं –

- संसाधनों की उपयुक्तता/उपलब्धता
- विभिन्न विभागों/एजेन्सियों के बीच समन्वयन
- समुदाय की सहभागिता
- गैर सरकारी संगठनों के साथ सहभाग करना।
- आपदा से सम्बन्धित बीमा योजनाओं पर कार्य करने के लिए बीमा कम्पनियों के साथ सहभाग करना।

10.1 योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जिला आपदा प्रबन्धन योजना के निर्माण से सम्बन्धित धारा 31 की उपधारा 4, 5, 6 एवं 7 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार –

- जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जायेगा और उसे अद्यतन किया जायेगा।
- उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियां जिले के सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायेंगी।
- जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा, जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेसित करेगा।
- जिला प्राधिकरण समय-समय पर, योजना के क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा, जिन्हें वह क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन के समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए–

- सभी विकासीय योजनाओं एवं परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मानकों को शामिल किया गया है एवं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- प्रत्येक एक वर्ष पर जिले में उपस्थित सरकारी एवं गैर सरकारी सभी संसाधनों की सक्रियता एवं पर्याप्तता की निगरानी करना। इसके अन्तर्गत सभी विभागों/ एजेन्सियों/ सामुदायिक संगठनों के पास उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों की सूची को अद्यतन किया जायेगा और उसे आई0डी0आर0एन0/ एस0डी0आर0एन0 की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
- संसाधनों को अद्यतन करने हेतु जिला इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर उत्तरदायी होगा, जो सामान्य समय में विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्र कर एन0आई0सी0 के सहयोग से इस कार्य को करेगा।
- जिले में उपस्थित सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों का निम्नलिखित आडिटों के माध्यम

से निगरानी एवं मूल्यांकन किया जा सकता है—

- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के लिए विद्युत सुरक्षा आडिट
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के लिए अग्नि बचाव आडिट
- सभी सरकारी कार्यालयों एवं भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा आडिट
- आवासीय भवनों के निर्माण में राष्ट्रीय भवन संहिता का पालन सुनिश्चित कराना।

- यह भी सुनिश्चित करना कि सभी विकासात्मक योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश किया गया है।
- सभी विभागों, एजेन्सियों एवं अन्य हितभागियों के नोडल पदाधिकारियों के बीच समन्वयन को अपडेट करना।
- सभी फ्रण्टलाइन विभागों के अधिकारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षित किये जाने की निगरानी करना।
- जिले के अन्दर बचाव, शमन, पूर्व तैयारी एवं रिस्पान्स से सम्बन्धित सभी कार्यों के उपयुक्त क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा सफल

अभ्यासों (Best Practices) का दस्तावेजीकरण करना।

- निगरानी हेतु विभागवार चेकलिस्ट विकसित करना (अनुलग्नक20)।
- योजना की उपयोगिता को जानने हेतु नियमित मॉकड्रिल एवं अभ्यास किया जाना।
- आयोजित मॉकड्रिलों एवं अभ्यासों में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं अन्य एजेन्सियों की नियमित सहभागिता सुनिश्चित करना।
- योजना के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार अधिकारियों एवं अन्य हितभागियों का नियमित प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण किया जाना।
- सम्पूर्ण योजना या उसके महत्वपूर्ण भाग को ई-प्लान के तौर पर विकसित कर जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड करना ताकि योजना की जानकारी अधिक से अधिक हितभागियों तक पहुँच सके। इस प्रक्रिया से योजना के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में और अधिक पारदर्शिता आयेगी।

सन्दर्भ सूची

- राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, 2017 "अगलगी पर मानक संचालन प्रक्रिया"
- Govt. of Bihar, 2016, "**Roadmap for Disaster Risk Reduction 2015-2030(Revised)**"
- National Disaster Management Authority, Govt. of India, 2016, "**National Disaster Management Guidelines on School Safety Policy**"
- National Disaster Management Authority, Govt. of India, 2016, "**National Disaster Management Guidelines on Hospital Safety**"
- UNISDR, "**Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030**" available at website <<https://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291>>
- Gupta, Anil K et. al, 2016, "**Climate Resilient and Disaster Safe Development**" **Process Framwork Training Manual**, by : GEAG, ISET-USA, 2016
- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, मधेपुरा, 2015, "जिला आपदा प्रबन्धन योजना"
- बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, 2015, "'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन' पर मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्तपुस्तिका"
- गोरखपुर एन्वायरन्मेण्टल एक्शन ग्रुप, 2011, "सूखा स्थितियों से निपटने हेतु सामुदायिक प्रयासों का दस्तावेज"
- National Disaster Management Authority, 2010 "**Guidelines on Management of Dead in the aftermath of disaster**" available at <https://ndma.gov.in/images/guidelines/management-of-Dead-in-the-Aftermath-of-disaster>>
- National Disaster Management Authority, Govt. of India, 2010, "**National Disaster Management Guidelines Management of Droughts**"
- राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, 2010, "बाढ़ पर मानक संचालन प्रक्रिया"
- National Disaster Management Authority, Govt. of India, 2008, "**National Disaster Management Guidelines Management of Floods**"
- National Disaster Management Authority, Govt. of India, 2007, "**National Disaster Management Guidelines Management of Earthquakes**"
- मिश्रा, डी0के0, 2006 "दुई पाटन के बीच में" प्रकाशन : पीपुल्स
- Building Material and Technology Promotion Council, Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Government of India, 2006, "**Vulnerability Atlas of India**"
- गोरखपुर एन्वायरन्मेण्टल एक्शन ग्रुप, 2005, "बाढ़ स्थितियों से निपटने हेतु सामुदायिक प्रयासों का दस्तावेज"
- National Disaster Management Authority, Govt. of India, "**National Disaster Management Guidelines on Minimum Standards of Relief**"
- भारत सरकार, 2005, "आपदा प्रबन्धन अधिनियम" अनुभाग (क) भारत का राजपत्र असाधारण 389
- राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, 2001, "सूखाड़ पर मानक संचालन प्रक्रिया"